मंगलवार,
२५ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधायें

*७८२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या संचरण मंत्री २५ मई, १९५३ को लखनऊ में दिये गये अपने इस वक्तव्य की ओर कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधायें दी जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उक्त प्रस्थापना पर विचार किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वह चिकित्सकीय सुविधायें जो कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को दी जा रही हैं, चाहे वह डाक तथा तार विभाग में हों अथवा किसी अन्य विभाग में हों, एक समान ही हैं । लखनऊ में मैं ने जो वक्तव्य दिया था वह इन सुविधाओं के इस विभाग के श्रेणी ४ के कर्मचारियों के परिवारों को दिये जाने के सम्बन्ध में था । इस प्रस्थापना पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को जिनको अधिक वेतन मिलता है तथा जो अपने चिकित्सा सम्बन्धी व्ययों को स्वयं वहन कर सकती हैं निशुल्क चिकित्सकीय सहायता की सुविधा दी गई है इसके विपरीत जिनको इसकी आवश्यकता है उनको यह सुविधायें नहीं दी गई हैं । मैं जान कर सकता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : यही तो मैंने निवेदन किया कि श्रेणी ४ के कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधायें प्राप्त होती हैं और श्रेणी ४ के कर्मचारियों को यह सुविधायें दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि श्रेणी ४ के कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधायें दिये जाने का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन पड़ा हुआ है ?

श्री जगजीवन राम : वह बहुत दिनों से पड़ा हुआ है परन्तु यह मैं कह सकता हूं कि कम से कम एक वर्ष से जब से कि मैं ने

इस मंत्रालय का प्रभार लिया है यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

डा० राजा राव: क्या सरकार को विदित है कि सरकार के क्षय रोग सम्बन्धी परामर्शदाता ने सरकार को कम से कम रेलवे तथा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये एक क्षय रोग अस्पताल खोलने का परामर्श दिया था, तथा यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम: जहां तक डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं सदन को यह सूचित कर दूं कि हम ने विभिन्न क्षय रोग अस्पतालों में बहुत से स्थान उनके लिये सुरक्षित कर दिये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या यह औषधालय केवल डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की ही सेवा करता है अथवा सभी सरकारी कर्मचारियों की ?

श्री जगजीवन राम: श्रीमान्, मुझ से इन सब ब्यौरों के याद रखने की आशा नहीं की जा सकती है । मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लड़कों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

उपाध्यक्ष महोदय: शिक्षा सुविधायें नहीं बल्कि चिकित्सकीय सुविधायें ।

लाला अचिन्त राम: क्या टी० बी० बैड्स के अलावा और बैड्स का भी आपने अफ़सरों के लिये कुछ अस्पतालों में इन्तज़ाम किया है ?

श्री जगजीवन राम: जहां तक मुझे पता है और बैड्स का इन्तज़ाम तो कोई खास नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि भारत के वर्तमान अस्पतालों में डाक-तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये १२० स्थान बढ़ाये जाने की प्रस्थापना पूर्ण हो गई है ?

श्री जगजीवन राम: जैसा कि मैं ने निवेदन किया, मेरे पास यहां पूरा ब्यौरा नहीं है परन्तु देश के विभिन्न भागों में स्थित अनेकों क्षय रोग अस्पतालों में हम ने बहुत से स्थान सुरक्षित कराये हैं ।

श्री दामोदर मेनन: मैं जान सकता हूं कि श्रेणी ४ के कर्मचारियों को यह सुविधायें दी जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किये जाने की हम कब तक आशा करें ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): श्रीमान्, भारत सरकार के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधायें दिये जाने के प्रश्न पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई थी और उसने उसकी स्वीकृति दे दी थी परन्तु इस योजना को इस लिये रोक लिया गया कि दिल्ली राज्य का निर्माण हो गया था और किन्हीं बातों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में मतभेद था । अब यह प्रश्न फिर संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है जिस ने चिकित्सकों के लिये विज्ञापन दिया है, और आशा की जाती है कि इस मामले के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायगा ।

श्री जगजीवन राम: मुझे भय है कि मुझे अपने कार्यबन्धु द्वारा दिये गये उत्तर को, जो कि केवल दिल्ली स्थित कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही है, पूर्ण करना होगा । मेरा आशय समस्त देश में नियुक्त श्रेणी ४ के सभी कर्मचारियों से है । मैं ने इस प्रश्न को हाथ में ले लिया है । यह तथ्य है कि अन्य विभागों के श्रेणी ४ के कर्मचारियों का प्रश्न भी प्रायः समरूप ही है । श्रेणी ४ के

कर्मचारियों को, चाहे वह दिल्ली में हों अथवा कहीं और हों, चिकित्सकीय सुविधायें दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन

*७८३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में वाशिंगटन में हुये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन ने भारत को गेहूं का कोई अभ्यंश आवंटित किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना तथा कितनी अवधि के लिये ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हाल ही में वाशिंगटन में हुये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में सन् १९४९ के अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के पुनरीक्षण तथा नवीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया था क्यों कि उक्त क़रार ३१ जुलाई, १९५३ को समाप्त होने को था । सन् १९५३ के पुनरीक्षित तथा नवीकृत क़रार में भारत को एक अभ्यंश मिला है ।

(ख) पुनरीक्षित तथा नवीकृत क़रार १ अगस्त, १९५३ से प्रारम्भ हो कर तीन वर्ष की अवधि के लिये है । इस क़रार के अनुसार भारत का अभ्यंश दस लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार में आवंटित की गई गेहूं की सम्पूर्ण परिमात्रा का आयात करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हमें यही आशा करनी चाहिये ।

श्री दाभी : किस मूल्य पर ?

श्री किदवई : यदि खुले बाज़ार में भाव २ डालर और ५ सैण्ट से अधिक होगा तो हमको गेहूं इसी मूल्य पर मिलेगा परन्तु यदि बाज़ार भाव इस अधिकतम मूल्य से कम होगा तो हमें गेहूं खुले बाज़ार के भाव पर मिलेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री के हाल ही के इस वक्तव्य के निर्देश से, कि भारत अगले वर्ष १० लाख टन से अधिक गेहूं आयात नहीं करेगा, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार रूस के साथ अपनी बातचीत जो कि मेरे विचार से गेहूं के आयात करने के सम्बन्ध में है, जारी रखेगी ?

श्री किदवई : यदि हम को रूस से सस्ता गेहूं मिलता है तो हम उस पर आपत्ति क्यों करें ?

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारत में गेहूं का कितना सम्पूर्ण स्टाक उपलब्ध है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि जितनी जानकारी माननीय मित्र को है उतनी ही मुझे है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं कि जिन से हम को गेहूं खरीदना है और क्या गेहूं का भाव एक जैसा होगा ?

श्री किदवई : जब तक कि बाज़ार का भाव क़रार के मूल्यों से अधिक है इस गेहूं क़रार के अन्तर्गत २.०५ डालर के भाव से निर्यात करने वाले देशों से गेहूं प्राप्त करेंगे, परन्तु यदि बाज़ार का भाव अधिकतम मूल्य से कम होगा तो हम बाज़ार भाव पर गेहूं खरीदेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : यदि सरकार रूस से गहूं खरीदती है तब भी क्या संयुक्त राज्य अमरीका से कम से कम १० लाख टन प्रति वर्ष खरीदना अनिवार्य है ?

श्री किदवई: हम केवल संयुक्त राज्य अमरीका से ही १० लाख टन गेहूं नहीं खरीदेंगे । हम सभी निर्यात करने वाले देशों से खरीदेंगे । जब तक कि मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम नहीं हो जाते हैं तब तक कोई अनिवार्यता नहीं है क्यों कि यह मूल्य तो खुले बाज़ार का भाव ही होता है और हर कोई क्रय कर सकता है, परन्तु यदि मूल्य न्यूनतम मूल्य से भी कम हो जाते हैं तो वह निस्सन्देह हमारे द्वारा क्रय किये जाने पर आग्रह करेंगे ।

श्री सी० डी० पांडे: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माननीय मंत्री ने बम्बई में एक वक्तव्य दिया था, कि देश में गेहूं का पर्याप्त स्टाक मौजूद है और उन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि उस स्टाक का क्या किया जाये, तो अब और अधिक गेहूं आयात करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री किदवई: क्यों कि हमारे पास आज जो स्टाक है वह सन् १९५४ और १९५५ तक नहीं चलेगा । उसे रखा नहीं जा सकता है और हमें कुछ गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी ।

कुमारी एनी मस्करीन: श्रीमान्, क्या मैं संयुक्त राज्य अमरीका के मूल्यों तथा सोवियत रूस गण राज्य के मूल्यों में अन्तर जान सकती हूं ?

श्री किदवई: सोवियत रूस गणराज्य में कोई मूल्य नहीं है । माननीय सदस्या ने हाल ही में रूस का दौरा किया है और इस लिये उनको मुझ से अधिक जानकारी होनी चाहिये ।

कुमारी एनी मस्करीन: वस्तु विनिमय के आधार पर फैलाये गये सोवियत रूस गण-राज्य के मूल्यों और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

श्री किदवई: यह तो हमारे समझौते की बातचीत पूरी कर सकने पर निर्भर है । उसी समय हम को मालूम होगा कि हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा ।

श्री मुनिस्वामी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस सम्मेलन में जो मूल्य निश्चित किये गये हैं वह गत सम्मेलन में निश्चित किये गये मूल्यों से कहीं अधिक हैं और क्या इसी कारण से कुछ देश इस क़रार में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे ?

श्री किदवई: मेरा विचार है कि कदाचित माननीय सदस्य को स्थिति का पता नहीं है । यदि मूल्य अधिकतम मूल्य से कम जाता है तो उस का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्यों कि हम को गेहूं बाज़ार के भाव पर मिलेगा ।

श्री टी० के० चौधरी: मैं जान सकता हूं कि क्या गेहूं का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विशेषकर शिकागो की मंडी में, बहुत अधिक गिर गये हैं । और क्या माननीय मंत्री हमें यह सूचना दे सकते हैं कि क्या अन्य देशों से, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार में सम्मिलित हैं, सस्ते भाव पर गेहूं प्राप्त करने की कोई सम्भावना है ?

श्री किदवई: जैसा मैं ने निवेदन किया, शिकागो की मंडी में गेहूं का भाव गिर गया है और हम इसका स्वागत करते हैं । हम उसी मूल्य पर खुले बाज़ार से गेहूं खरीदेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तुरन्त इसी समय से गेहूं का मूल्य कम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री किदवई: मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि चालू वर्ष में तो हमने दो बार मूल्य कम किये हैं । पहली बार १८ रुपये ८ आने से घटा कर मूल्य १७ रुपये ८ आने किया गया था और फिर १७ रुपये ८ आने से १६ रुपये प्रति मन किया गया

था । यह उस मूल्य से कम है जिस मूल्य पर बम्बई और कलकत्ता के नियंत्रित बाज़ारों में गेहूं की प्रदाय की जा रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल: मैं जान सकता हूं कि सरकार कब तक गेहूं पर से नियंत्रण हटा लेने का विचार करती है ?

श्री किदवई: हाल ही में जब कि मैं बम्बई में था तो मुझे मालूम हुआ था कि उपभोक्ताओं को गेहूं २० रुपये के भाव से बेचा जा रहा है जब कि उसे हम खुदरा व्यापारी को १६ रुपये ८ आने के भाव से बेच सकते हैं तो वह उसे उपभोक्ता को १७ रुपये या अधिक से अधिक १७ रुपये आठ आने के भाव से बेच सकेगा । अतः इस बात पर भली भांति विचार विमर्श किया जा रहा है ।

सेठ गोविन्द दास खड़े हुये—

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने इस पर सोलह प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी है । मैं और क्या कर सकता हूं ? जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको जल्दी आना चाहिये—और प्रारम्भ में ही प्रश्न पूछने चाहिये । मैं उनके देर से आने की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं ।

चाय आदि के बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

*७८४. **चौ० रघुवीर सिंह**: (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चाय आदि के बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये एक जापानी विशेषज्ञ को बुलाया गया है ?

(ख) क्या वह आ गया है और उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]

चौ० रघुवीर सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि वह विशेषज्ञ एक प्रदर्शन केन्द्र क्यों नहीं स्थापित कर सका ?

श्री आबिद अली: वस्तुतः वह एक सिद्धान्तज्ञ था और यह नहीं जानता था कि जो वस्तुयें हम कुटीर उद्योगों के लिये बनवाना चाहते थे उनके निर्माण का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाये । अतः उसे जल्दी ही वापस भेज दिया गया ।

श्री ए० एम० टामस: माननीय मंत्री ने हाल में बागान क्षेत्रों का दौरा किया था । क्या वह जानने हैं कि इन बागान क्षेत्रों में मज़दूर सप्ताह में औसतन कितने दिन काम से लगे रहते हैं ?

श्री आबिद अली: अधिकांश बागानों में मज़दूर सप्ताह में छै दिन काम से लगे रहते हैं, हां, कुछ स्थानों पर उन्हें सप्ताह में चार या पांच दिन ही काम रहता है ।

श्री ए० एम० टामस: यदि वह सप्ताह में छै दिन काम से लगे रहते हैं तो फिर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री आबिद अली: उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी । आखिर, मज़दूरों को कुछ काम फ़ालतू समय में किये जाने के लिये भी दिया जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस शास्त्रीय विशेषज्ञ को किसने बुलाया था और उसका खर्चा किसने दिया ?

श्री आबिद अली: वह एक क़रार के अन्तर्गत आया था । यह मामला पहले भी कई बार उठ चुका है । हमने केवल लगभग ३,४०० रुपये व्यय किये थे ।

श्री नानादास: इस विशेषज्ञ ने किस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह अब वापस जा चुका है ।

श्री ए० एम० टामस: क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के साथ हुये इस प्रबन्ध के अन्तर्गत—जिसके अनुसार यह जापानी विशेषज्ञ भारत आया—किसी अन्य विशेषज्ञ के आने की भी सम्भावना है ?

श्री आबिद अली: कम से कम इस समय तो नहीं है ।

श्री एन० सोमना: क्या अनुपूरक मज़दूरी के सम्बन्ध में भी उसने कोई सुझाव दिये हैं ?

श्री आबिद अली: जी हां, उसने सुझाव दिये हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या सरकार के पास इस विशेषज्ञ की सिफ़ारिशों के अतिरिक्त कोई अन्य योजना भी है जिसके अनुसार बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके ?

श्री आबिद अली: जी हां, हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

पंजाब में नलकूप (सहायता)

*७८५. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य ने राज्य में नलकूप लगाने के लिये कितनी सहायता मांगी थी ; तथा

(ख) अब तक राज्य को कितनी सहायता मंजूर की गई तथा दी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). १९५०-५१ से पंजाब सरकार को, उसकी नलकूप बनाने की योजना के लिये, १३६.१४ लाख रुपये का ऋण मंजर किया गया है । उसने १४७.६२ लाख रुपये मांगे थे ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: नलकूपों के निर्माण के लिये यह अनुदान भारत के विभिन्न राज्यों को किस आधार पर दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस आधार पर कि वे क्या चाहते हैं और क्या दिया जाना राज्य तथा देश के लिये लाभकारी होगा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या भारत सरकार को राज्य सरकारों से, बनवाये गये तथा बनवाये जाने वाले नलकूपों के बारे में, कोई रिपोर्ट मिलती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: नियमित रूप से ; और यदि कार्य निर्धारित क्रम के अनुसार नहीं हो रहा हो तो हम इस बात का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करते हैं कि कार्य में अधिक प्रगति हो ।

लाला अचिन्त राम: जो रिपोर्ट अब तक पहुंची है क्या उस रिपोर्ट में हिसार का ज़िला भी शामिल किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): क्या हिसार में भी ट्यूब वेल बन रहे हैं ?

लाला अचिन्त राम: बनने चाहियें । वहां पानी नहीं पहुंचता है ।

श्री किदवई: चाहिये का सवाल नहीं था । सवाल यह था कि कितना लोन मांगा गया था और कितना दिया गया ।

लाला अचिन्त राम: हिसार के लिये मांगा गया था लेकिन मिला नहीं ।

श्री किदवई: हिसार के लिये शायद मांगा ही नहीं होगा ।

लाला अचिन्त राम: यह आप को ग़लत-फ़हमी है ।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं । मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि एक ही सदस्य एक साथ चार-पांच प्रश्न पूछे ।

श्री बी० के० दास: क्या इस स्वीकृत राशि में टैक्निकल सहयोग क़रार के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि भी शामिल है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या नलकूप बनाने की योजना दक्षिणी राज्यों में किसी जगह, विशेष रूप से त्रावनकोर-कोचीन राज्य में भी, लागू की गई है ?

श्री किदवई: त्रावनकोर-कोचीन में तो बहुत पानी मौजूद है ।

कुमारी एनी मस्करीन: मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि पंजाब में यह कार्य "हैरल्ड टी० स्मिथ" नामक एक अमेरिकी सार्थ द्वारा किया जा रहा है यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसे औसतन २६,००० रुपये प्रति नलकूप दिया जा रहा है ? क्या यह पहले दर से अधिक नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह सब ठीक है ।

श्री हेडा: जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास समय समय पर आती है उस से क्या हुकूमत इस बात का अन्दाज़ा लगा सकती है कि पंजाब में कितनी गहराई पर आम तौर पर पानी मिलता है और क्या ट्यूब वेल की स्कीम कामयाब रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: ट्यूब वेल का जो तरीक़ा है वह ३००, ४०० फ़ुट के नीचे से पानी लाता है और इस के लिये काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं समझता हूं कि यह नलकूप-निर्माण-कार्य टैक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है । क्या इस के लिये यह अनिवार्य है कि हम निर्माण के ठेके अमेरिकी सार्थों को ही दें या सामान अमेरिकी सार्थों से ही ख़रीदें ?

डा० पी० एस० देशमुख: बिल्कुल नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या पंजाब में अमेरिकी सार्थ या अन्य सार्थ अपना कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं कर सके ?

डा० पी० एस० देशमुख: कार्य के पूरे होने में काफी विलम्ब हुआ है । बीच में हमें कठिनाइयों का पता लगाना पड़ा था । अब प्रगति काफ़ी सन्तोषजनक है ।

श्री केशव्पन: "ऐसोशियेटेड ट्यूब-वैल्स" ने कितना समय लिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह ठेका २५,००० रुपये का दिया गया था ।

श्री नामधारी: क्या सरकार सिरसा तहसील के लिये नलकूप बनाये जाने की मंजूरी देगी जिससे कि उसे दुर्भिक्ष से बचाया जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख: हमने ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया है । हो सकता है कि इन क्षेत्रों के लिये—जिनमें मेरे माननीय मित्र का हिसार ज़िला भी शामिल है—योजनायें बाद में विचारार्थ आयें । यदि राज्य सरकार सिफ़ारिश करे तो हो सकता है हम बाद में उन पर विचार करें ।

कूच बिहार के मुख्य आयुक्त को सम्बोधित पत्र

*७८६. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कभी कभी केन्द्रीय सरकार के विभाग अपने पत्र कूच बिहार के मुख्य मंत्री या मुख्य आयुक्त को सम्बोधित करते हैं जो अब विद्यमान नहीं हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): जी हां; परन्तु ऐसे पत्रों के कूच बिहार के उपायुक्त को, जो कि अब कूच बिहार जिले के प्रशासन-प्रमुख हैं, दिये जाने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध कर दिये गये हैं और इस विषय में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जाती ।

राजस्थान का रेगिस्तान

*७८८. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेगिस्तान वनीकरण अनुसन्धान केन्द्र ने राजस्थान की पश्चिमी सीमा के निकट वृक्ष लगाने के कार्य में कितनी प्रगति की है ;

(ख) वृक्ष लगाने के लिये कितने क्षेत्र के उपयोग किये जाने का विचार है ;

(ग) उड़ कर आने वाली रेत का मुक़ाबला किस प्रकार के वृक्ष कर सकेंगे ;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सँस्थाओं से किस प्रकार की सहायता मिली है ; तथा

(ङ) क्या नक़शे बना लिये गये हैं और भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाये जाने हैं उसके अन्तर्गत निजी भूमि प्राप्त किये जाने तक, गदरा रोड से गिरोल तक की कोई ३२ मील की लम्बाई में 'प्रोसोपिस', 'जूलिफ्लोरा' और गरम जलवायु में उगने वाले कतिपय अन्य प्रकार के वृक्षों के बीच, प्रयोग के रूप में, १ जुलाई, १९५३ को वायुयान द्वारा बोये गये थे ।

(ख) लगभग २,००० वर्ग मील ।

(ग) यह काम रेगिस्तान वनीकरण अनुसन्धान केन्द्र का है जो इस के लिये सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार के वृक्षों का पता लगाने के कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त है । सम्भावना यह है कि 'प्रोसोपिस', बबूल और स्थानीय रूप से उगने वाले अन्य वृक्ष वहां उग सकेंगे ।

(घ) टैक्निकल सहयोग प्रशासन के द्वारा, कुछ उपकरण मंगाने के लिये, आर्डर दिया गया है । खाद्य तथा कृषि संस्था द्वारा प्रस्तावित विशेषज्ञ के इसी सर्दियों में यहां पहुंच जाने की आशा है ।

(ङ) प्रारम्भिक नक़शे बन गये हैं । भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही भी जारी है ।

श्री एस० सी० सामन्त: राजस्थान के पश्चिमी भाग में जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाये जाने की प्रस्थापना है, क्या उसका मापन कर लिया गया है और यदि कर लिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह नापी तो नहीं गई है परन्तु हम जानते हैं कि वृक्ष किस क्षेत्र में लगाये जाने हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाये जाने हैं उसकी लम्बाई-चौड़ाई कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: विचार यह है कि सीमा के पर्याप्त भाग पर कोई पांच मील अन्दर तक वृक्ष लगाये जायें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या यह सच है कि केन्द्रीय जंगलात बोर्ड ने, जिसकी बैठक माननीय मंत्री की अध्यक्षता में गत जून में हुई थी, सरकार से यह कहा था कि वह एक समिति नियुक्त करे जिसमें राज्यों के भी सदस्य हों ? क्या इस कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये समिति नियुक्त कर दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक विशेषज्ञ समिति ने इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी थी। हम क़रीब क़रीब उस समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब जंगलात बोर्ड की बैठक देहरादून में हुई थी तो उसमें कई राज्यों ने यह सुझाव दिया था कि एक उच्चतर समिति बनाई जाये जिसमें मंत्री आदि हों। इस मामले पर सम्भवत: शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सयुक्त राज्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था की मासिक पत्रिका 'केरियर' में निकलने वाले सुझावों पर विचार किया गया है तथा यदि किया गया है तो उस दिशा में क्या पग उठाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं यह अमुक लेख मेरी सूचना में नहीं आया है।

श्री टी० के० चौधरी : राजस्थान के रेगिस्तान के दिल्ली की ओर प्रसार के बारे में समय समय पर प्रकाशित होने वाले समाचारों को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि रेगिस्तान वनीकरण अनुसन्धान केन्द्र ने इस विषय में कोई जांच की है और क्या उसने कोई सिफ़ारिशें की हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने जिस समिति के स्थापित किये जाने की ओर निर्देश किया तथा जिन अन्य कार्यवाहियों की ओर यहां संकेत किया गया वे इसी आशंका का ही परिणाम है कि रेगिस्तान इस ओर आ रहा है।

श्री हेडा : बारिश काफ़ी न होने या कम होने की सूरत में भी क्या यह एफ़ारेस्टेशन की जो स्कीम है दरख्त वग़ैरह उगाने की, उसके कामयाब होने के बारे में गवर्नमेंट को विश्वास है कि और अगर विश्वास नहीं है तो आलटरनेट स्कीम पर अभी से सोचा जा रहा है या इस स्कीम के फ़ेल होने के बाद सोचा जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब बारिश होगी या नहीं होगी तब सोचा जायगा। अभी तो यह नहीं सोचा जा सकता कि बारिश कितनी होगी और कितनी नहीं होगी।

श्री बी० के० दास : योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ? अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक कोई बहुत अधिक राशि व्यय नहीं हुई है। परन्तु मैं समझता हू कि इसे केन्द्र तथा राज्य मिल कर सहन करेंगे। केवल इसी प्रयोजन के लिये कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है। हां, मैं समझता हूं कि जितने धन की आवश्यकता होगी वह मिल जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यूनेस्को के अधीन संसार के ९ वैज्ञानिकों की मंत्रणा समिति में भारत का भी कोई वैज्ञानिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये। मेरे माननीय मित्र एक ऐसी बात पूछ रहे हैं जिसके सम्बन्ध में जानकारी इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है।

राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा परियोजना

*७८९. **श्री गिडवानी :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मई, १९५३ तक कितने औद्योगिक केन्द्रों में राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा परियोजना लागू की गई है ?

(ख) इस समय तक यह कुल कितने कमकरों पर लागू हुई है ?

(ग) जब इस सारी परियोजना को पूर्णतया लागू किया जायगा तो इसके अन्तर्गत कुल कितने कमकर आ जायेंगे ?

(घ) पूरी परियोजना को लागू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) यह परियोजना दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में तथा पंजाब के सात औद्योगिक क्षेत्रों में पुरः स्थापित की गई है।

(ख) लगभग १५६,०००।

(ग) २५ लाख।

(घ) एक विवरण जिस में कि यह सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री गिडवानी: विवरण के निर्देश में मैं जानना चाहता हूं कि परियोजना के क्रियान्वित होने पर प्रत्येक राज्य सरकार खर्चे का कुल कितना भाग उठायेगी ?

श्री आबिद अली: दो प्रणालियां हैं: एक 'पेनल' प्रणाली है तथा दूसरी सेवा प्रणाली है। विभिन्न प्रणालियों के अन्तर्गत राज्यों से विभिन्न धनराशियां प्राप्त होने की आशा है। इस बारे में राज्य सरकारों से बात चीत चल रही है। इस समय मैं इस सम्बन्ध में और अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री गिडवानी: वास्तविक भाग क्या था ? धनाभाव के कारण राज्य सरकारें इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका हिस्सा क्या होगा: क्या यह करोड़ों अथवा लाखों अथवा हज़ारों में होगा ?

श्री आबिद अली: यह बात राज्य के साइज़ पर तथा उस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर है। निस्सन्देह यह एक बहुत बड़ी राशि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: वह यह कहने में असमर्थ हैं।

श्री गिडवानी: क्या यह सत्य है कि विलम्ब का कारण श्रम सचिवालय तथा निगम के भूतपूर्व डायरेक्टर डा० कटियल के बीच पारस्परिक मतभेद था तथा जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया है, सरकार ने उनकी परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया ?

श्री आबिद अली: जी नहीं, श्रीमान्।

श्री मुनिस्वामी: माननीय मंत्री ने बताया कि ऐसी परियोजनाओं को कुछ स्थानों पर लागू किया गया है। क्या देश भर में ऐसे केन्द्र खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री आबिद अली: जी हां, श्रीमान्।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन २५ लाख कमकरों को कब तक इस परियोजना के अन्तर्गत लाने का विचार रखती है ?

श्री आबिद अली: ज्यों ही कि ऐसा करना सम्भव होगा। वह जल्दी ही ऐसा करना चाहती है।

प्रो० डा० सां० शर्मा: क्या यह सत्य है कि पंजाब के कुछ डाक्टरों ने चिकित्सक संथा के सदस्यों के नाम एक परिपत्र भेजा था जिस में कि उन से कहा गया था कि उन्हें 'पेनल' प्रणाली में शामिल नहीं होना चाहिये ? क्या मैं जान सकता हूं कि इन डाक्टरों को इस परियोजना में भाग लेने के लिये प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली: चिकित्सक संथा की ओर से पहले ऐसा किया गया था। परन्तु इसके बाद सरकार ने उन्हें मनवा लिया। इसके परिणामस्वरूप एक क़रार हुआ तथा डाक्टर अब काम कर रहे हैं।

श्री गिडवानी: इस सम्बन्ध में कानून कब बना लिया गया था तथा इसे कब क्रिया-

न्वित किया गया था ? इस में कितने वर्ष लगे ?

श्री आबिद अली : यह १९५२ में दिल्ली में क्रियान्वित की गई थी ।

श्री गिडवानी : कानून कब पास किया गया था ? तथा इस परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था ?

श्री आबिद अली : यह अधिनियम १९४८-४९ में पास किया गया था । पहले यह परियोजना कानपुर में लागू की गई थी, बाद में यह दिल्ली में लागू की गई । दोनों जगहों पर यह १९५२ में लागू की गई ।

पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का अभिज्ञान

*७९०. **श्री गिडवानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १० मई, १९५३ को सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) में हुये पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के सातवें वार्षिक सम्मेलन में पश्चिम रेलवे के प्राधिकारियों से मांग की गई थी कि उस कर्मचारी संघ को अभिज्ञात किया जाये क्यों कि उस ने सदस्यों की अपेक्षित संख्या दर्ज कर ली है ; तथा

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या इस संघ को अभिज्ञात किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जैसे कि मैं ने सदन में पहले ही स्पष्ट किया है, पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जो संस्थायें एक अथवा एक से अधिक अभिज्ञात संघों को मिला कर बनाई गई हैं उनको छोड़ कर किसी भी अन्य संस्था को अभिज्ञात करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या इन दोनों संघों की कुल सदस्य संख्या नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या के बराबर नहीं है ?

श्री अलगेशन : इसे किसी अन्य संघ के साथ नहीं मिलाया गया है । यह ७ मार्च, १९५२ को बनाया गया था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन संघों को अभिज्ञात करने में भेदभाव की नीति बर्ती गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका इस संघ के साथ कोई सम्बन्ध है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अन्य संघों से भी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यहां हमारा इस समस्या के साथ कोई सम्बन्ध है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या मैं यह समझ लूंगा कि सरकार की नीति का यह अर्थ है कि यदि किसी संघ में किसी विशिष्ट रेलवे के कर्मचारियों की भारी संख्या भी हो तो भी सरकार उस संघ को अभिज्ञात करने से इन्कार करेगी ?

श्री अलगेशन : जी नहीं, श्रीमान् । ऐसी बात नहीं है । इसका उत्तर पहले भी सदन में दिया जा चुका है । हमारी नीति यह नहीं कि हम इस बात को प्रोत्साहन दें कि ऐसे संघों की संख्या निरन्तर रूप से बढ़ती चली जाये । अन्य संघ उस संघ के साथ मिल सकते हैं जिसे कि अभिज्ञात किया गया हो । उदाहरणतः इस मामले में भूतपूर्व अखिल भारत रेल कर्मचारी संघ ने इस संघ को पश्चिम रेलवे की कर्मचारी संथा के साथ मिलने के लिये कहा है । जब ऐसा किया जायगा तो अभिज्ञान का प्रश्न स्वतः ही हल हो जायगा ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या मैं यह समझ लूंगा कि यदि कोई संघ, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, अखिल-भारत रेल कर्मचारी संघ के साथ मिलने को तैयार नहीं होगा तो सरकार उसे अभिज्ञात नहीं करेगी ?

श्री अलगेशन : यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह रेलवे यूनियन मूलत: गायकवाड बड़ौदा राज्य रेलवे द्वारा अभिज्ञात किया गया था तथा बाद में उन्होंने इस यूनियन का नाम बदल दिया ?

श्री अलगेशन : जी हां, श्रीमान् । इस यूनियन का और कुछ नाम था तथा भूतपूर्व राज्य रेलवे ने इसे अभिज्ञात किया था ।

श्री विट्ठल राव : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह यूनियन अखिल-भारत रेल कर्मचारी संघ से सम्बद्ध है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, यही तो मैं ने भी कहा था । इसी अखिल-भारत रेल कर्मचारी संघ ने इस यूनियन को मशवरा दिया है कि वह पश्चिम रेलवे की किसी अभिज्ञात यूनियन के साथ मिल जाये ।

श्री मुनिस्वामी : अभिज्ञात करने के लिये क्या कसौटी रखी गई है ? क्या यह कर्मचारियों की संख्या है अथवा अन्य यूनियनों के साथ मिल जाने की बात है ?

श्री अलगेशन : दोनों बातें ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि वैस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन को जितनी बातों को पूर्ण करना चाहिये था, उतनी बातें पूर्ण न करने की वजह से इस यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री नामधारी : क्या सरकार ऐसी यूनियनों को अभिज्ञात करने में सावधान रहेगी जिन्हें कि राजनीतिक दल पोषण करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

लंदन के साथ दूर-संचार व्यवस्था

*७९२. **श्री हेडा :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता को लंदन के साथ दूर-संचार व्यवस्था द्वारा मिलाये जाने के उद्देश्य से संयत्र तथा मशीनरी लगाने के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

(ख) इस लाइन पर कब से संदेश भेजे जा सकेंगे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). लन्दन के साथ बेतार के तार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये १२ मार्च, १९५३ को लन्दन में एक अग्र स्टेशन खोला गया था । कलकत्ता प्रदेश से सम्बन्धित विदेशी तार संदेशों का इसी स्टेशन द्वारा निवारण होता है ।

श्री हेडा : और कौन कौन से दूसरे शहर हैं जिनका इस प्रकार की लाइन से लन्दन से ताल्लुक़ पैदा किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : अभी तो कलकत्ते से ही है । अभी तक कुल चार स्टेशन से ग़ैर-मुल्कों से सम्बन्ध है, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास । तीन से पहले था, चौथे से अब है ।

स्वत: चलित तार प्रणाली

*७९३. **श्री राधा रमण :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि स्वत: चलित तार प्रणाली की एक नई परियोजना कलकत्ता में पुर:स्थापित की गई है ?

(ख) क्या नई प्रणाली के अन्तर्गत तारों की रेट वही कुछ रहेगी जो कि इस समय है ?

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को भारत के अन्य बड़े बड़े नगरों में भी पुरःस्थापित करने का विचार रखती है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) सरकार ने भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में तार प्रणाली का यंत्रीकरण आदि करने के लिये योजना बनाई है ।

एक 'टेलेक्स' सेवा जो कि प्राइवेट टेली-प्रिंटर रखने वालों को अन्य नगरों में यही व्यवस्था रखने वाले व्यक्तियों के पास तार घर के हस्तक्षेप के बिना ही तार संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध करती है, स्थापित की गई है ।

श्री राधा रमण: इस प्रणाली को चालू करने के लिये किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है ?

श्री जगजीवन राम: इसको स्पष्ट करना बहुत कठिन है जब तक कि माननीय सदस्य बम्बई जा कर स्वयं इस प्रणाली को वहां के डाकखानों में नहीं देखेंगे ।

श्री राधा रमण: क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि इस मशीनरी की लागत क्या होगी ?

श्री जगजीवन राम: मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि इस यंत्रीकरण के परिणाम-स्वरूप बहुत से लोग बेकार होंगे ?

श्री जगजीवन राम: मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रणाली को लागू करने से कोई विशेष बेकारी होगी ।

रेलवे स्टेशनों के लिये टेलीफोन

*७९४. **श्री विट्ठल राव:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही उन सब रेलवे स्टेशनों तथा हाल्टस् को टेलीफोन से कनेक्ट करने का है जहां कि टेलीफोन नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां जहां भी वहां की परिस्थितियों से यह संभव है, ट्रैफिक कन्ट्रोल टेलीफोन लगाए गए हैं। कम महत्व के स्टेशनों पर संचरण के अन्य साधन नामतः, ब्लोक औजारों की अथवा मोर्स टेलीग्राफी इत्यादि मौजूद है। समस्त फ्लैग तथा हाल्ट स्टेशनों पर जहां कि संचरण के कोई साधन नहीं हैं कन्ट्रोल टेलीफोनों का प्रबन्ध एक निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार किया जा रहा है। इस प्रकार के टेलीफोन सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में ३४७ स्टेशनों पर लगाए जाएंगे ।

श्री विट्ठल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितने स्टेशन बिना टेलीफोन के हैं ?

श्री अलगेशन: कुल लगभग ६,६५१ स्टेशन हैं जिनमें से ४,०७८ पर कन्ट्रोल टेली-फोन मौजूद हैं। शेष पर अभी लगना बाकी है।

श्री विट्ठल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में हुई रेलों की टक्कर का कारण इस प्रकार का प्रबन्ध मौजूद न होना है ?

उपाध्यक्ष महोदय: मदनापल्ले में ?

श्री विट्ठल राव: हाल में हुई टक्कर ।

श्री अलगेशन: संचरण का फेल हो जाना भी एक कारण था ।

श्री जे० पी० सिन्हा : क्या सरकार को विदित है कि बिहार में डेरी-ओन-सोन तथा बारा खाना के बीच के अधिकतर स्टेशन बिना टेलीफोन कनेक्शन के हैं ?

श्री अलगेशन : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में खानें

*७९५. **श्री विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों की खदानों के मज़दूरों को हाल में हुई बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप पैदा हुई बेकारी के काल का वेतन तथा भत्ता दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो सरकार का इस मामले में क्या पग उठाने का विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रभावित कमकरों को मंहगाई भत्ते सहित आधा वेतन दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल दुर्घटनायें (सुरक्षा के उपाय)

*७९६. **श्री गिडवानी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय सरकार का ध्यान पच्छिम तथा मध्य रेलवे के पूर्व वर्ती जनरल मैनेजर, श्री एन० एस० सेन द्वारा २२ जून सन् १९५२ को बम्बई के रोटेरी क्लब में "रेलवे दुर्घटनाओं" पर, रेलवेज़ में सुरक्षा उपाय करने सम्बन्धी भाषण की ओर आकर्षित हुआ है ?

(ख) क्या सरकार ने सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए किसी एतदर्थ विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है ?

(ग) यदि हां, तो उसका निर्णय ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव ((श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बम्बई में २३ जून, १९५३ को पूर्ववर्ती जनरल मैनेजर द्वारा दिये गए भाषण की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले में किसी एतदर्थ समिति की स्थापना आवश्यक नहीं समझी जाती ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि श्री सेन ने कहा था, इन सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने के रेट की भी प्रगति, वित्तीय कठिनाइयों के कारण धीमी रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह ठीक है कि वित्त संबन्धी कठिनाई है किन्तु रेलवे प्रशासन इन उपायों का प्रबन्ध करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान श्री सेन के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि हमारे सुरक्षा उपाय पुराने पड़ चुके हैं । उन्होंने बतलाया था कि इंग्लैंड, यूरोप और अमरीका में रेलों पर गाड़ी रोकने के स्वचालित उपाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं ?.

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह स्वचालित ट्रेन कन्ट्रोल पच्छिमी देशों में चल रहा है । हमारे यहां यह युक्ति नहीं है । इस पर विचार किया जा रहा है । मैं सदन को बतला दूं कि स्वचालित ट्रेन कन्ट्रोल के लिए आवश्यक सब उपकरणों को आयात करना पड़ेगा । इन का मूल्य बहुत अधिक है ।

श्री गिडवानी : गत वर्ष कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा कितनी हानि हुई ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उत्पन्न होता ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि स्त्रियों के डिब्बों की सुरक्षा के लिए कोई सिफारिश की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: सुरक्षा उपायों का अर्थ केवल पुरुषों के डिब्बों के लिए ही नहीं है। वे सब डिब्बों पर लागू होते हैं।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार यह बतला सकेगी कि श्री सेन की सिपारिशें क्या हैं ?

श्री अय्यंगेशन: मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

दूध देने वाले वृक्ष

*७९७. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन १९५०-५१ में ट्रिनिडाड में हमारे व्यापार आयुक्त से प्राप्त दूध देने वाले पेड़ों पर भारत में विभिन्न केन्द्रों में जो प्रयोग किए गए थे उनका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): बीज अंकुरित नहीं हुए।

श्री झूलन सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि इन बीजों को भेजने से पूर्व हमारे व्यापार आयुक्त ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि ये अंकुरित होंगे अथवा नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख: कुछ बीज इस देश में अंकुरित हो सकते हैं। कुछ बीज तो भारत में आने से पूर्व ही अंकुरित हो गए और शेष यहां आने पर अंकुरित नहीं हुए।

श्री झूलन सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि इन बीजों को भेजने से पूर्व व्यापार आयुक्त ने उनके पेड़ों से निकलने वाले दूध की किस्म के बारे में सुनिश्चित कर लिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस प्रश्न की मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। मुझे ज्ञात नहीं कि इस मामले पर उन्होंने कितनी गहराई से विचार किया था या नहीं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मामले को आगे बढ़ा रही है अथवा उसे यहीं छोड़ रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): सरकार ने इस मामले को छोड़ दिया है क्योंकि यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि इस दूध में कोई पोषक तत्व नहीं होते।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस उत्तर में यह और जोड़ दूं कि यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रवर्तित की गई थी और सरकार का इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि व्यापार आयुक्त ने इस पौधे के क्या क्या प्रयोग बतलाये हैं ?

श्री किदवई: यहां यह समझा जाता था कि कोई ऐसा पेड़ है जिससे दूध प्राप्त किया जा सकता है और चूंकि दूध की कमी की आम शिकायत है इस लिए यह प्रयोग हाथ में लिया गया था।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि इससे प्राप्त दूध में सामान्य दूध के गुण हैं या नहीं ?

श्री किदवई: यह चीज़ बाद को सुनिश्चित की गई थी। यह पाया गया कि यह दूध पोषक नहीं होगा। इसलिए यह योजना त्याग दी गई।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं जान सकता हूं कि बीज खराब किस्म के कारण अंकुरित नहीं हुए अथवा मौसमी दशाओं के कारण ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह कहना कठिन है।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने यह मालूम करने के

लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि भारत में कोई दूध देने वाले पौधे हैं या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, कोई खो नहीं की गई है।

श्री दामोदर मेनन : चूंकि बीज अंकुरित नहीं हुए हैं इस लिए क्या सरकार ने पौधा आयात करने की सम्भाव्यता पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं । योजना बिल्कुल त्याग दी गई है क्योंकि बाद की सूचना से यह ज्ञात हुआ है कि यदि बीज अंकुरित हो भी जायं तो कोई फायदा नहीं होगा ।

श्री वेलायुधन : क्या सरकार के पास कोई इस प्रकार की रिपोर्ट है कि त्रावनकोर-कोचीन में कुछ दूध देने वाले पौधे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सूचना प्राप्त करने में मुझे खुशी होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं पूछ सकता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने या और दूसरे मिनिस्टर साहबान ने इस दूध को पीकर देखा है कि वह किस किस्म का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सब मामला खत्म हो गया, न दूध ही मिला और न दरख्त ।

बाढ़

*७९८. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो कि सन् १९५३ में मानसून आने पर बवंडर तथा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ?

(ख) कौन कौन से राज्यों ने प्रभावित क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री कृष्णप्पा) : (क) और (ख). सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेंगी।

श्री संगण्णा : इस बात की दृष्टि में कि मद्रास में गोदावरी नदी तथा उड़ीसा और बिहार में महानदी में बाढ़ आने के कारण बहुत हानि हुई है, क्या सरकार एक समिति की स्थापना . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही के लिये सुझाव हैं । माननीय सदस्य जानकारी हासिल कर सकते हैं ।

श्रीमती ए० काले : चूंकि बाढ़ें आना एक आम बात हो गई है, क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या पग उठा रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई विशिष्ट उपाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं हैं और अपने उपाय हैं । अनेक राज्यों ने समितियों की स्थापना की थी । उन्होंने सुझाव दिये हैं परन्तु बाढ़ रोकने में समय लगेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि चक्रवात और बाढ़ के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है । कुछ समय पूर्व सदन ने यह सूचना मांगी थी । वह अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री किदवई : क्योंकि राज्य सरकारों मे हमें अभी तक वह सूचना नहीं दी है यद्यपि हमने उनसे यह सूचना मांगी है ।

श्री जे० पी० सिन्हा : क्या सरकार को मालूम है कि सारे उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण पानी भर गया है ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके लिये धन्यवाद ।

श्री जे० पी० सिन्हा : वहां के लोगों की हालत सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ?

श्री किदवई : जब राज्य सरकार कोई सिफारिश करेगी अथवा मांग करेगी तब हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या अभी तक भारत सरकार के पास राज्य सरकार की कोई प्रार्थना आई है ?

श्री किदवई : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

अस्पताल

*७९९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में पृथक अस्पताल बनाने की कोई योजना है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह योजना केवल उपरोक्त शहरों तक ही सीमित रहेगी अथवा यह भारत के अन्य बड़े शहरों में भी लागू की जायगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) डाक तथा तार विभाग के तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिये मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में ऐसे अस्पताल के, जिनमें १०० रोगियों के रहने की व्यवस्था हो, बनाने का प्रश्न इस समय विचारा धीन है ।

(ख) इस समय इन अस्पतालों के इन तीन शहरों में बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । डाक तथा तार विभाग कुछ महत्व-पूर्ण केंद्रों में डिस्पेंसरियां खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस योजना से जितने कर्मचारियों को लाभ होगा, क्या सरकार ने उनकी संख्या के आंकड़े इकट्ठे किये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को इन अस्पतालों के निर्माण की लागत के बारे में कुछ पता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, पता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उठीं—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को केवल इस उत्तर से संतोष नहीं होगा कि सरकार को यह पता है । स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह व्यय कितना है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्या यह प्रश्न दुहराया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन अस्पतालों के बनाये जाने पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : प्रश्न यह था : "क्या सरकार को इसके विषय में कुछ पता है ?" इसका उत्तर यह था कि सरकार को पता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उनकी अपेक्षा माननीय मंत्रियों के पास उनसे अधिक सूचना होती है । उत्तर यथा संभव पूरे ही दिये जायें जिससे कि प्रश्न-कर्ता उन पर और अनुपूरक प्रश्न करके सदन का समय न ले सकें ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : ब्यौरेवार व्यय के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर यह क्यों कहा गया था कि सरकार के पास सूचना है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सूचना एकत्रित की गई थी, किन्तु मेरे पास यहां नहीं है ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार संसद के सदस्यों तथा उनके परिवारों के लिए एक अलग अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री केलप्पन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : सदन इस समय प्रसन्न मुद्रा में है ।

श्री गिडवानी : मेरा सुझाव है कि संतति निग्रह केन्द्र स्थापित किए जायें ।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अलग अस्पताल खोले जाने की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार इस बात को समझती है कि इससे एक प्रकार का वर्गवाद चल पड़ेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं इसका उत्तर दूं ? अभी तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे उत्तर कितने ज़ोर से दिया जाय , यदि अधिक शोर होगा तो कोई भी नहीं सुन सकेगा ।

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता देने की व्यवस्था अभी तक स्थानीय राज्य सरकार के अस्पतालों में थी, किन्तु इन अस्पतालों में बहुत अधिक रोगी आने के कारण इन अस्पतालों अथवा रेलवे के अस्पतालों में और अधिक रोगियों के रहने की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वहां रहने की जगह नहीं मिल पाती है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों के कर्मचारी तथा स्थानीय निवासी मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में बनाये जाने वाले अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये जिन सुविधाओं की व्यवस्था है वे स्वाभाविक रूप से मुख्यतः उन्हीं के लिये हैं । किन्तु जहां ऐसा करना संभव होगा वहां दूसरे लोग भी इलाज करवा सकेंगे ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या निम्न वेतन वाली श्रेणियों के कर्मचारी भी इन अस्पतालों से लाभ उठा सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी ?

राजकुमारी अमृत कौर : निस्सन्देह, ये तो सभी के लिये हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस पूरे पूरे खर्चे को केन्द्रीय सरकार ही उठायेगी अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार, और यदि दोनों ही इसे उठायेंगी, तो क्या राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगा ली गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह खर्चा केवल केन्द्रीय सरकार ही उठायेगी, जिसके कर्मचारियों के लिये ये मुख्य रूप से बनाये जा रहे हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि इन शहरों में रेलवे के अस्पताल भी हैं, और मैं जान सकता हूं कि चूंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वहां बहुत थोड़ी संख्या में हैं, क्या वे इन अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

चीनी का आयात

*८००. **श्री पी० एन० राजभोज :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य मंत्रालय की २२ जन, १९५२ की अधिसूचना को, जिसमें चीनी के आयात के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे, किन परिस्थियों के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस के रद्द कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप देश में चीनी के दामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . एक विवरण सदन पटल

पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]**

श्री टी० एन० सिंह : जब सरकार ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो विदेशों से चीनी का आयात करना क्यों आवश्यक समझा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : योजना आयोग का यह विचार था कि भारत के चीनी के कारखाने १९५५-५६ में १५ लाख टन चीनी का उत्पादन करेंगे । १९५२-५३ में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया गया था ।

योजना आयोग का यह भी विचार था कि १९५५-५६ में हम जितना उत्पादन करेंगे वह देश के लिये आवश्यकता से अधिक होगा, किन्तु हमने उस लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन किया है । हमारा अनुमान है कि इस वर्ष देश में चीनी की खपत १६ लाख टन से अधिक होगी और चूंकि अवशिष्ट मात्रा कम है इस लिये यह समझा गया कि यदि इस समय चीनी का आयात किया गया तो संभवत: इससे इसके दाम कम हो जायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि गये साल जितना उत्पादन इस वर्ष हुआ उस से कम हुआ था और इतने पर भी हम को बाहर से चीनी नहीं मंगानी पड़ी थी, बल्कि हम यह सोच रहे थे कि हम चीनी बाहर भेज सकेंगे । तो क्या इस वर्ष के अन्दर यहां पर इतना ज्यादा खर्च बढ़ गया है कि चीनी बाहर से मंगानी पड़ेगी ? और अगर बाहर से मंगानी पड़ी तो कब तक मंगानी पड़ेगी ?

श्री किदवई : इस साल लोगों ने चीनी ज्यादा खाई । यह मुमकिन है कि चीनी के डिस्ट्रीब्यूशन पर कन्ट्रोल नहीं था, यह मुमकिन है कि शादियां ज्यादा हुई हों, यह मुमकिन है कि लोग पहले गुड़ खाते थे, मगर चूंकि बाज जगहों पर गुड़ का दाम बढ़कर २८ रु० हो गया तो शायद लोगों ने सोचा हो कि दो रुपये और ज्यादा खर्च करके चीनी खा लें । बहर हाल इस साल चीनी ज्यादा खर्च हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को इस बात से सूचित कर दूं कि चीनी तथा गन्ने के दामों पर चर्चा करने के लिये लगभग दो घंटे का समय निश्चित किया गया है, और इस पर कल भी विचार किया जा सकता है । उस समय माननीय सदस्य इस पर विस्तार पूर्वक विचार कर सकते हैं । मुझे २५ सदस्यों के नाम मिले हैं, और इस सूची में और नाम भी सम्मिलित किये जा सकते हैं और उन सबको समय दिया जा सकता है ।

अत: अब हम अगले प्रश्न को लें ।

श्री हेडा : किन्तु चीनी तथा गन्ने के दाम तो बिल्कुल भिन्न मामले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें चीनी तथा गन्ने के दाम, दोनों पर ही चर्चा की जा सकती है ।

श्री सैय्यद अहमद : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान में किसी खास श्रेणी या जाति के ऐसे लोग हैं जिन्हों ने चीनी ज्यादा खानी शुरू कर दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को क्यों न लें ? कल माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं ।

श्री किदवई : किन्तु कल तो इस पर चर्चा नहीं होगी ।

इम्फाल में क्षय रोग का अस्पताल

***८०१. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के क्षय रोग के अस्पताल का कोई योग्यता प्राप्त डाक्टर इंचार्ज नहीं है और अच्छे इलाज की सुविधायें न होने के कारण रोगी इलाज की सुविधाओं का कुछ भी लाभ नहीं उठा रहे हैं ; तथा

(ख) मनीपुर राज्य में क्षय रोग के आपात को प्रतिशतता कितनी है और क्षय रोग से बचने के लिये अब तक कितने लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं। एक डाक्टर, जिसने क्षय रोगों की प्रशिक्षा प्राप्त की है, क्षय रोग अस्पताल का इंचार्ज है। इस समय वह बी० सी० जी० कार्य में संलग्न है, और उसकी अनुपस्थिति में एक ऐसा डाक्टर जो कि रेडियोलोजिस्ट है, उस अस्पताल की देख भाल कर रहा है। यह बात ठीक नहीं है कि रोगी उस अस्पताल के इलाज से लाभ नहीं उठा रहे हैं। उस अस्पताल म रोगियों की स्क्रीनिंग तथा उनके थूक की परीक्षा निःशुल्क होती है तथा उस अस्पताल में दाखिल रोगियों के लिए ए० पी० तथा एक्सरे की निःशुल्क व्यवस्था है। इस बात के लिये भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं कि वहां और अधिक रोगी दाखिल किये जा सकें।

(ख) मनीपुर में क्षय रोग के आपात के सम्बन्ध में विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है। उस राज्य में अब तक ३८,०४५ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं।

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार को यह मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्र में क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और यदि ऐसा है, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: सरकार को मालूम है कि वहां क्षय रोग के आपात में वृद्धि हो रही है और इस को कम करने के लिये सरकार सभी संभव कार्यवाही कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): मैं यह बता दूं कि इम्फ़ाल में पहिले से ही एक क्षय रोग का अस्पताल है जिस में २० रोगी दाखिल किये जा सकते हैं, और वहां एक क्षय रोग रुग्णालय (सैनेटोरियम) खोलने की भी योजना है।

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर में क्षय रोग संस्था जैसी कोई संस्था है?

राजकुमारी अमृत कौर: इस समय वहां कोई क्षय रोग संस्था नहीं है, किन्तु मेरे परामर्श-दाता ने वहां स्थिति का अध्ययन किया है और मैं समझती हूं कि इम्फ़ाल में एक क्षय रोग संस्था चलाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्य सभी राज्यों में किया जा रहा है? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या सरकार सभी राज्यों में इस कार्य संचालन के लिये कार्यवाही करेगी?

श्रीमती चन्द्रशेखर: जी हां, सभी राज्यों में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

इम्फाल घाटी में बाढ़

*८०२. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५३ में मनीपुर में बाढ़ के कारण कितनी हानि हुई तथा बाढ़-ग्रस्त लोगों को कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इम्फाल घाटी में बाढ़ आने के कारणों की जांच की है; तथा

(ग) यदि हां, तो इम्फाल घाटी में बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) जुलाई, १९५३ के अन्तिम सप्ताह में छोटी बाढ़ आ जाने के फल स्वरूप २५० एकड़ भूमि पानी के नीचे आ गई थी किन्तु यह पानी दो दिन

में कम हो गया। दो कोठरियों--एक कोठरी और एक गाय बांधने की कोठरी गिर पड़ी। क्यों कि कोई विशेष हानि नहीं हुई थी इसलिये सहायता देना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) जी हां। वर्ष १९४७ में भारत सरकार ने केन्द्रीय जल, सिंचाई तथा नौवहन आयोग (अब केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग) के एक अधिकारी को मनीपुर में बाढ़ से बचने, कृष्यकरण करने, विद्युत उत्पन्न करने तथा सिंचाई करने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये भेजा था। आयोग का एक अन्य अधिकारी भी वर्ष १९५२ में वहां गया था।

(ग) मनीपुर घाटी में तीन महत्वपूर्ण नदियों, अर्थात्, इम्फाल, इरिल तथा नम्बल के किनारे बांधों की मरम्मत करने के लिये वर्ष १९५१-५२ में ३०,००० रुपये तथा १९५२-५३ में ४०,००० रुपये मंजूर किये गये थे। वर्ष १९५१-५२ में बाढ़ से हुई दरारों की मरम्मत करने के लिये और ७०,००० रुपया खर्च किया गया था। अन्य कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है।

श्री रिशांग किशिंग: गत वर्ष जुलाई में बाढ़ आने के फलस्वरूप मनीपुर में चावल के उत्पादन में कितनी हानि उठानी पड़ी थी?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जुलाई में जो बाढ़ आई थी वह बहुत छोटी थी तथा हमें पता लगा है कि इसके कारण केवल एक मकान तथा एक गाय बांधने का मकान गिर पड़ा था किन्तु फस्लों को कोई हानि नहीं पहुंची थी।

श्री रिशांग किशिंग: क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के पश्चात् से मनीपुर में अक्सर बाढ़ें आने लगी हैं और यदि ऐसा है तो क्या बाढ़ आने के कारणों में से एक केन्द्रीय सरकार का प्रशासन भी है?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या भारत सरकार ने अक्सर आने वाली बाढ़ों की जांच करने के लिये कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया था तथा क्या उस विशेषज्ञ ने यह राय दी थी कि उस क्षेत्र में खेती की झूम प्रणाली लागू होना ही बाढ़ों के अक्सर आने का सम्भावित कारण हो सकता है, और यदि हां, तो क्या सरकार खेती की इस प्रणाली को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मनीपुर में बाढ़ें आना वार्षिक नियम सा हो गया है। पिछले दो वर्षों से आसाम में बाढ़ों का आना अधिक हो गया है। तथा कुछ बड़ी बाढ़ें भी आई हैं। मनीपुर में, इम्फाल नदी पर बने बांध की अच्छी हालत न होने के कारण बाढ़ें आती हैं। और कोई कारण नहीं है।

श्री सैय्यद अहमद: क्या इम्फाल में प्रति वर्ष अधिक बाढ़ें आती हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: बाढ़ें इम्फाल की वार्षिक घटना सी बन गई हैं। सारी की सारी घाटी ही बाढ़ों के कारण बनी है क्योंकि कटाव के कारण मट्टीजमा होती रहती है।

श्री सैय्यद अहमद: इन बाढ़ों का नियंत्रण करने के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई दीर्घकालीन योजना है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं स्वयं मनीपुर गया हूं और विशेषकर उस समय जब कि वहां भारी बाढ़ आई हुई थी। वास्तव में, बाढ़ के कारण मुझे लगभग एक

सप्ताह तक रुका रहना पड़ा था और मैंने अपने माननीय मित्र श्री रिशांग किशिंग तथा लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के साथ बाढ़ के क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। उस अधिकारी ने जहां तक सम्भव हो सकता है बाढ़ें रोकने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है तथा उस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

राजस्थान तथा अजमेर में टिड्डियों का अंडे देना

१. **श्री कासलीवाल:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान तथा अजमेर के राज्यों में टिड्डी दल का भारी और अभूतपूर्व आक्रमण होने की सम्भावना है और इन राज्यों में टिड्डियां बड़े पैमाने पर अंडे दे रही हैं ; तथा

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) मई मास के मध्य में राजस्थान में पश्चिम से टिड्डी दलों ने आक्रमण करना आरम्भ किया था और रिपोर्ट मिली है कि उस राज्य में तथा अजमेर राज्य के समीपवर्ती भागों में टिड्डियां भारी तादाद में अंडे दे रही हैं। यह कहना कठिन है कि इस वर्ष टिड्डियों का आक्रमण अभूतपूर्व है अथवा नहीं।

(ख) राजस्थान, अजमेर तथा अन्य टिड्डी वाले स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में हवाई कार्यवाही भी की जा रही है।

इन दो राज्यों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्यवाही की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। खेती वाले क्षेत्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। नियंत्रण कार्यवाही के लिये केन्द्रीय टिड्डी संगठन के पास कर्मचारी, मोटरगाड़ियां, कीटाणुनाशक पदार्थ, पाउडर, छिड़कने की मशीनें आदि, सभी कुछ हैं। स्थिति पूरी तरह काबू में है।

श्री कासलीवाल : क्या यह कहना ठीक है कि टिड्डियों का आक्रमण उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी ज़िलों तथा पंजाब तक फैल रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह पहली बार नहीं है। अक्सर टिड्डियों के दल बहुत दूर तक फैल जाते हैं।

श्री कासलीवाल : क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि टिड्डियों ने कुल कितने क्षेत्र पर आक्रमण किया है तथा उसकी कुल आबादी क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख: टिड्डियों की कुल आबादी !

श्री सैय्यद अहमद: टिड्डियों के आक्रमण का सामना करने के लिये क्या कोई हैलीकौप्टर आयात किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक हम उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं।

श्री सैय्यद अहमद : क्या उन्हें प्राप्त करने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख: प्रस्ताव तो है।

श्री हेडा: क्या राजस्थान क्षेत्र में टिड्डियां पहली बार अंडे दे रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी नहीं। वे अक्सर देती रहती हैं। वही क्षेत्र अंडे देने के लिये सब से उपयुक्त है।

सरदार हुक्म सिंह: अन्य देशों से भारत में टिड्डियों का आक्रमण रोकने के लिये क्या भारत से बाहर भी उपकरण भेजे गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां । खाद्य तथा कृषि संस्था ने एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया है और हम विभिन्न राष्ट्रों के संसाधनों को इकट्ठा करते हैं जिससे हम टिड्डियों के आक्रमण को उसी देश में समाप्त कर दें जहां से वह आरम्भ होता है । इसीलिये, हम को कुछ व्यक्ति तथा उपकरण बाहर भेजने पड़े थे जो कि अब वापस भारत लौट आये हैं ।

श्री सैय्यद अहमद: इस टिड्डी आक्रमण को रोकने के लिये क्या संयुक्त राज्य अमरीका से कोई ऋण प्राप्त हो गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: ऋण की कोई बात नहीं है । किन्तु टेकनिकल सहयोग प्रशासन ने हमें कुछ उपकरण दिये हैं ।

श्री दाभी : राजस्थान में कितनी कुछ हानि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अब तक हानि होने की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री शोभा राम: क्या सरकार ऐसे कार्य में लोगों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हां, श्रीमान् । पिछले वर्ष हम केवल लोगों के सहयोग ही से इस आक्रमण का सामना कर सके थे, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार इस वर्ष भी ऐसा ही करेगी ।

डा० रामा राव: श्रीमान्, केवल एक मंत्रालय ने मेरा प्रश्न स्वीकार किया है । अन्य मंत्रालयों ने मेरे प्रश्न स्वीकार नहीं किये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: उन को भी स्वीकार कर लिया गया है ।

रेल पथ को हानि

२. **डा० रामा राव:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी नदी की बाढ़ द्वारा रेल पथ को जो हानि पहुंची है, क्या सरकार को उसका ज्ञान है ?

(ख) रेलवे-संपत्ति को कितनी प्राक्कलित हानि पहुंची है ?

(ग) विच्छिन्न लाइनों पर सामान्य रेल-यातायात पुनः चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(घ) बाढ़ पीड़ित रेल-कर्मचारियों को सहायता देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां ।

(ख) चूंकि बाढ़ का पानी अभी पूर्णतः उतरा नहीं है, हानि की पूरी मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

(ग) सामान्य कार्य के पुनः संचालन के लिए रेल मार्ग या अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि जैसा आवश्यक निर्माण कार्य परिस्थितियों के, अर्थात् पानी के उतार के अनुसार यथासंभव तीव्रगति से चल रहा है ।

मद्रास की ओर से चलने वाली रेल गाड़ियां, जो पहले निडद बोलु तक चलती थीं, अब राजहमुन्द्री तक चलने लगी हैं और वाल्टेर की ओर से चलने वाली गाड़ियां जो पहले सामलकोट तक चलती थीं, अब कडियम तक चलने लगी हैं । सवारी गाड़ियां इस मास की २५ तारीख अर्थात् आज से आर-पार चलने लगेंगी ।

(घ) अपनाए गए उपायों में निम्न बातें आती हैं :

(१) राजहमुन्द्री :

(१) कर्मचारियों और उनके परिवारों को सर्वप्रथम उनके क्वार्टरों से ले जाकर राजहमुन्द्री स्टेशन के प्लेटफार्म और यार्ड में उपलब्ध सवारी या माल के डिब्बों में बसाना ।

(२) तत्पश्चात् राजहमुन्द्री में नाममात्र कर्मचारियों को छोड़ कर, कर्मचारियों और उनके परिवारों को, जो कुल मिलाकर लगभग ११०० हैं, एक स्पेशल गाड़ी द्वारा निडदबोलु स्टेशन पर ले जाना ।

(२) निडदबोलु :

(१) निडदबोलु स्टेशन पर लाए गए कार्मचारियों के लिए सवारी या माल के डिब्बों में निवास की व्यवस्था करना ।

(२) कर्मचारियों के लिए मद्रास से लाए गए सामान की लागत-दर पर बिक्री की व्यवस्था करना ।

(३) तत्काल आवश्यक सुविधाएं देना, जैसे कि भोजन, २० रुपए तक वेतन की अग्रिम देनगी और बाद में तीन महीने तक के वेतन या ५०० रुपए की जो भी कम हो, अग्रिम देनगी अस्थायी कर्मचारियों को प्रत्याभूतियों के बिना ही एक महीने का वेतन अग्रिम रूप से दिया जाएगा, पर तीन महीने का अग्रिम वेतन दो प्रत्याभूतियां प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा । दक्षिण रेलवे की कर्मचारी-लाभ निधि भी विपन्नता के प्रमाणित मामलों में पुनर्वास सहायता देने के लिए विचार कर रही है ।

(४) विशेष चिकित्सा तथा स्वच्छता आदि की व्यवस्था ।

(३) नरसापुर :

(१) नरसापुर स्टेशन पर स्थित कर्मचारियों और उनके परिवारों के माल के डिब्बों और एक तीसरे दरजे के डिब्बे में रहने की व्यवस्था करना तथा बाद में उनको निकट के पालाकोल स्टेशन तक ले जाना ।

(२) उपर्युक्त रूप में आवश्यक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना ।

डा० रामा राव : अभी माननीय मंत्री ने कृपापूर्वक बताया कि वेतनों की अग्रिम देनगी मंजूर की जायगी । मैं जान सकता हूं कि क्या इसके इलावा कल्याण-निधि से भी कुछ अनुदान मंजूर किए गए हैं ?

श्री अलगेशन : यही तो मैं ने अपने उत्तर में कहा था । यह प्रश्न दक्षिण रेलवे की कर्मचारी-लाभ-निधि के विचाराधीन है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों के लिए ले जाने वाले सभी माल के निःशुल्क ले लिये जाने का आदेश दिया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, इस पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि वहां होने वाले खाद्याभाव के दृष्टिगोचर—चूंकि लगभग २,००० वर्गमील जमीन डूब गई है और खड़ी फसलें बरबाद हो गई हैं—

क्या भारत सरकार ऐसे अनुदेश देगी कि खाद्य रसद ले जाने के लिए यथावश्यक माल-डिब्बे संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे और इस विषय में लोगों की आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मद्रास सरकार इन सारी बातों पर विचार कर रही है । दक्षिण-रेलवे-प्रशासन उस सरकार द्वारा बताई गई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या दवाएं और दुग्ध-चूर्ण उस स्थल पर तुरंत पहुंचा दिए गए हैं ?

श्री अलगेशन: श्रीमान्, मुझे विदित नहीं । मद्रास सरकार यह सब काम कर रही है ।

श्री विट्ठल राव: मैं जान सकता हूं कि क्या रेल-कर्मचारियों को दी जाने वाली सहायता का अंश निर्धारित करने के लिए रेलवे के वित्तीय-आयुक्त को भेजा गया है ? यदि भेजा गया है, तो क्या ये अनुदान उसकी सिफारिशों के अनुसार ही दिए गए हैं ?

श्री अलगेशन: यह वित्तीय आयुक्त से परामर्श करके ही किया गया है, जो वहां पहले ही पहुंच गये हैं ।

श्री विट्ठल राव: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि बाढ़ के कारण कितने रेलवे-क्वार्टर गिर गए हैं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, इस के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए । जैसा आपको पता है, ये सारे क्वार्टर पानी में डूब गए हैं ।

श्री विट्ठल राव: मैं जान सकता हूं कि दिए गए अग्रिम धन कितनी किश्तों में वसूल किए जाएंगे ?

श्री अलगेशन: अभी तो १२ किश्तों में वसूल करने का विचार है ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय को दक्षिण रेलवे से कोई जानकारी मिली है कि वह बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन: मैं ने ये सारी बातें अभी अभी पढ़कर सुनाई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: उसी सूत्र से उनको यह जानकारी प्राप्त हुई है ।

डा० रामा राव: क्या सरकार ने और कुछ दिनों तक मुफ्त या सस्ते भाव पर खाद्यान्नों के वितरण की कुछ व्यवस्था की है ?

श्री अलगेशन: इस प्रश्न पर मद्रास सरकार को विचार करना है । जहां तक हमरा संबंध है, हम .....

उपाध्यक्ष महोदय: वह रेल कर्मचारियों के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण चलता रहेगा ?

श्री अलगेशन: हम खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टिड्डी आक्रमण

*७८७. **श्री के० पो० सिन्हा**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिड्डी-प्रतिरोध अनुसंधान-केन्द्र, लन्दन ने चेतावनी के रूप में यह बताया था कि १९५३ वर्ष में भारत-पाकिस्तान उप-महाद्वीप में एक टिड्डी आक्रमण की आशंका है ;

(ख) इस प्रसारण का पता सरकार को कब चला था ;

(ग) इस आक्रमण की आशंका कब है ; तथा

(घ) इस उपद्रव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां ।

(ख) अप्रैल, १९५३ के अन्त की ओर ।

(ग) आक्रमण १४ मई, १९५३ को शुरू हो गया ।

(घ) भारत के बाहर से टिड्डी-दल का आक्रमण रोकने के लिए हम भारत में कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकते । हमारे पश्चिम में स्थित बहुत से देशों ने, जहां से टिड्डी-दल आते हैं, टिड्डी-प्रतिरोधी संगठन बनाए हैं, और स्वयं हमने हाल ही में खतरे के इस स्रोत को नष्ट करने में ईरान का हाथ बटाने के लिए वहां कुछ सहायता भेजी थी । एक विवरण, जिसमें टिड्डियों और अखफुड्डों को नष्ट करने के लिए किए जाने वाले हमारे प्रबंध बताए गए हैं, सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**

बिहार में नई रेलवे लाइन

***७९१. श्री एल० एन० मिश्र**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के साथ हाल में अपने पत्र-व्यवहार में बिहार सरकार ने बिहार की कुछ रेलवे-लाइनों के पुनरुद्धार की मांग की है ;

(ख) यदि की है, तो उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं ; तथा

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) तथा (ख). हां । राज्य सरकार ने सहरसा तथा पूर्निया ज़िलों में फोरबेसगंज से परतापगंज होते हुए राघोपुर तक और सुपौल से चन्दपीपड़ तक रेल लाइनों के निर्माण की मांग की है ।

(ग) जब तक कोसी नदी का नियंत्रण नहीं हो जाता और उसका मार्ग सुस्थिर नहीं हो जाता, तब तक इन लाइनों का निर्माण न तो परामृश्य है और न पूर्णतः सुरक्षित ही ।

श्रमिक संघ

***८०३. श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मनीपुर राज्य में कितने श्रमिक संघ पंजीकृत किये गये हैं ?

(ख) क्या मनीपुर राज्य में श्रमिक संघ अधिनियम लागू है ?

(ग) संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत कितनी संस्थायें पंजीकृत की गई हैं ?

(घ) कला, विज्ञान तथा धर्मार्थ संस्थाओं के विकास के लिये श्रमिक संघों तथा संस्थाओं के पंजीकरण हेतु कौन से अधिकारी नियुक्त किये गए हैं ?

(ङ) क्या मनीपुर राज्य में दूकान कर्मचारी अधिनियम लागू है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) हां ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) श्रमिक संघों के पंजीकरण के लिये अभी तक कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं । कला, विज्ञान तथा धर्मार्थ संस्थाओं के विकास के लिये संस्थाओं के

पंजीकरण हेतु सहकारी सोसाइटियों तथा संयुक्त पूंजी कम्पनियों के रजिस्ट्रार अधिकारी पद पर नियुक्त किये गये हैं ।

(ङ) मनीपुर में दूकान कर्मचारी अधिनियम नहीं है ।

डाक निरीक्षकों की भर्ती

*८०४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक निरीक्षकों की भर्ती के लिये होने वाली परीक्षा बिहार क्षेत्र में अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित कर दी गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि मौखिक परीक्षा जो पहले ली जाती थी, तोड़ दी गई है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो किन कारणों-वश ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नहीं

(ख) हां ।

(ग) जब से परीक्षा चालू की गई थी, सेवा संघ तथा कर्मचारीगण इसको तोड़ने के लिये इस कारण उथल-पुथल मचा रहे थे कि यह एक पक्षपात करने का माध्यम समझा जाता था । चूंकि चुने हुये अभ्यर्थी स्थायीकरण के पूर्व परीक्षण काल के लिये रखे जाते हैं और इस परीक्षण काल पर रखने का मुख्य उद्देश्य उन गुणों की जांच करना है जिसके लिये मौखिक परीक्षा प्रारम्भ की गई थी, अतः परीक्षा व्यर्थ समझी गई ।

कुलू घाटी यातायात कम्पनी

*८०५. **श्री हेमराज :** (क) क्या रेल मंत्री ६ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुलू घाटी यातायात कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई विशेष जांच समिति ने जांच-पड़ताल करने का कार्य पूरा कर लिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) एक तालिका जिसमें समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश दिया हुआ है, सदन पटल पर रखी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

कपास

*८०६. **श्री राम धनी दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५३ में कपास की खेती के क्षेत्रफल तथा पैदावार में कमी हो गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियां, यदि कोई हों तो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, वर्ष १९५२-५३ की फसल के अनुसार ३.२ प्रतिशत क्षेत्र में और २.६ प्रतिशत कमी पैदावार में १९५१-५२ की तुलना में हुई है ।

(ख) अधिकतर प्रतिकूल मौसम के कारण ।

(ग) १९५३-५४ में कपास के क्षेत्रफल तथा उत्पादन की वृद्धि के लिये विभिन्न राज्यों में निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) विस्तृत खेती करने के ढंग जिस

में अनुपजाऊ तथा परती भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाना भी सम्मिलित है।

(२) गहरी खेती करने के ढंग जैसे (१) उत्तम श्रेणी के बीज तथा उर्वरकों आदि का वितरण, (२) पौदों की रक्षा करने के उपाय, (३) सिंचाई की सुविधा के लिये प्रबन्ध, (४) खेती करने के उन्नत तरीके, तथा (५) प्रचार तथा विज्ञापन।

आसाम लिंक पर माल का आवागमन

*८०७. **श्री के० पी० त्रिपाठी:** (क) क्या रेल मंत्री आसाम लिंक के प्रत्येक मार्ग से जाने वाले दैनिक मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन में से उत्तरी बंगाल के लिये कितने तथा आसाम के लिये कितने डिब्बे होते हैं ?

(ग) इस मार्ग पर इतनी कशमकश रहने के क्या कारण हैं ?

(घ) इस मामले में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). पिछले चार माह अप्रैल से जुलाई १९५३ में सिलीगुड़ी से अलीपुर द्वारा की दिशा में दैनिक औसत १२८ तथा विपरीत दिशा में ११८ था। इन में से क्रमशः ९६ तथा ७२ आसाम के लिये व शेष उत्तरी बंगाल के लिये थे।

(ग) और (घ). सिलीगुड़ी-अलीपुर द्वार विभाग की क्षमता अस्थायी रूप में, १९५२ की बाढ़ों के कारण नष्ट हुए पुलों की विस्तृत मरम्मत के परिणामस्वरूप गति पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण, घटा दी गई थी। अतिरिक्त रेलवे जंक्शनों की सुविधा देने, लूपों की लम्बाई बढ़ाने वाले अतिरिक्त लूपों का स्टेशनों पर निर्माण करने, ढालों को ठीक करने, सिगनल देने तथा अन्तःविषकम्भ (इन्टरलाकिंग) आदि के प्रमाप में उन्नति करने से क्रमशः लाइन की क्षमता में सुधार किया जा रहा है। इस लिंक पर माल का आना जाना बहुत कुछ हद तक घाटों के माल लाने ले जाने की क्षमता पर निर्भर करता है, यह तंगी मोकमेह के निकट गंगा के आर पार जाने के लिये पुल बन जाने पर दूर हो जायेगी।

गोदा

*८०८. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अन्न एकत्रीकरण के लिये बने आदर्श गोदामों के नमूने तैयार हो गये हैं और भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं ?

(ख) ऐसे गोदाम के निर्माण की क्या लागत होगी ?

(ग) हमारे देश के लिये ऐसे कितने गोदामों की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां, यह सच है कि भारत सरकार द्वारा थोक तथा फुटकर सामान रखने के गोदामों के आदर्श प्रकार के नमूने बनाये जा चुके हैं।

(ख) फुटकर माल के गोदाम की लागत लगभग ५० रुपये प्रति टन तथा थोक माल के लिये सत्तियों की लागत लगभग ८० रु० प्रति टन होगी।

(ग) यह बताना संभव नहीं कि देश के लिये कुल कितनी संख्या में इन की आवश्यकता होगी, क्यों कि यह माल के आकार, संग्रह करने की मात्रा, पदार्थ तथा माल इकट्ठा होगा या बोरों में, इन सब पर निर्भर करता है।

नवीन वर्षा मापक यंत्र का निर्माण

*८०९. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूना के भारतीय अन्तरिक्षविज्ञान विभाग के कारखाने द्वारा एक उन्नत वर्षामापक यंत्र का निर्माण किया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि यह भारत में अपने ढंग का प्रथम यन्त्र है ?

(ग) प्राचीन तथा इस नवीन यन्त्र में क्या अन्तर है ?

(घ) इन नवीन युक्ति की लागत क्या है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) एक साधारण वर्षामापक यन्त्र किसी समय विशेष में होने वाली कुल वर्षा का माप बताता है । यह नवीन यन्त्र एक "एकत्रतक वर्षामापक" यन्त्र है जो स्वत: ही वर्षा की गति प्रदर्शित करता है । यह रेकार्डिंग का कार्य विद्युन द्वारा एक रिकार्ड पर किया जाता है जो कुछ फासले पर रखा रहता है ।

(घ) अनुमानत: १,००० रु० ।

छोटी छोटी बन्दरगाहें

*८१०. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके बन्दरगाहों की उन्नति करने के लिये ऋण देना तय कर लिया है ?

(ख) वे प्रस्तावित सुधार किस प्रकार के होंगे जिनके लिये यह वित्तीय सहायता उपयोग में लाई जायगी ?

(ग) मद्रास राज्य के लिये निर्धारित कुल राशि क्या है ?

(घ) कुड्डलोर बन्दरगाह के लिये क्या सुधार प्रस्तावित किये गए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां ।

(ख) सुधारों में निर्माण, जहाजों के ठहरने के निश्चित स्थान की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन, कारखाने तथा सागर के तल से मिट्टी तथा अन्य पदार्थ निकालने वाले यन्त्र, यात्रियों के एवं अन्य माल को लाने ले जाने में सुविधायें देने का प्रबन्ध तथा बन्दरगाहों पर दी जाने वाली नौसैनिक सहायता का प्रबन्ध करना सम्मिलित है ।

(ग) व्यक्तिगत राज्यों के लिये नियतन पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(घ) मद्रास सरकार कुड्डलोर बन्दरगाह पर निम्न कार्य करने का विचार कर रही है :—

(१) जहाज पर माल चढ़ाने उतारने के स्थान पर कोयले के लिये स्थान विशेष का निर्माण ।

(२) एक छोटे कारखाने का प्रबंध करना जिसमें सभी आवश्यक यन्त्र उपलब्ध हों ।

(३) रात्रि में काम करने के लिये उन्नत प्रकाश पहुंचाने की सुविधायें ।

चीनी की श्रेणियां

*८११. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि चीनी में बहुत सी विभिन्न श्रेणियां रंग तथा अन्न के दानों के आकार की मालायें विद्यमान हैं जो उपभोक्ताओं के लिये बाजार में गड़बड़ पैदा करने वाला तथा शोषण का एक साधन है ;

(ख) क्या सरकार इसको दूर करने का विचार कर रही है और चीनी के लिये कुछ स्तर निश्चित कर रही है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इसको लागू करने की कब तक आशा की जानी चाहिये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). चीनी में विभिन्न श्रेणियां दोनों ही रंग तथा अन्न के दाने के आकार की मालायें देश में वास्तव में उत्पन्न की गई चीनी पर आधारित हैं । वर्तमान में रंग की छः श्रेणियां हैं, अर्थात् २४ से २९ तथा अन्न के दानों के आकार की ८ श्रेणियां हैं अर्थात् क क तथा क से छ । चूंकि रंगों की श्रेणियों में २४, २५ तथा २६ तथा कक, च तथा छ अन्न के दानों के आकार की श्रेणियों का अपेक्षत: उत्पादन नगण्य है, अत: रंग की श्रेणियों को घटा कर ३ तथा अन्न के आकार वाली श्रेणियों को घटा कर ५ रखने का विचार किया गया है । पुनर्विचारित श्रेणियों के १९५३-५४ की फसल से लागू किये जाने की आशा की जानी चाहिये ।

धान की खेती का जापान

*८१२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यों में १९५२ में जापानी ढंग से धान की खेती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ कितनी उपज हुई थी और उस पर क्या लागत आई थी ;

(ग) क्या उन फार्मों में १९५३ में भी जापानी ढंग से धान की खेती की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने एकड़ों में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां, बंबई में (१) सरकारी चावल उत्पादन केन्द्र, करजात और (२) सरकारी कृषि स्कूल फार्म, कोसबाद में ।

(ख)

स्थान नाम	प्रतिएकड़ उपज	प्रति एकड़ लागत
१. सरकारी चावल उत्पादन केन्द्र, करजात ...	पौंड ३८०४	रु० ३०४-२-०
२. कृषि स्कूल फार्म, कोसबाद ...	६००	जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) हां ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे कोचों के दाम

*८१३. **श्री विट्ठल राव :** क्या माननीय **रेल मंत्री** २८ अप्रेल, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १६६४ के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी द्वारा बनाई गई कोचों के दाम निश्चित करने के संबंध में लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच अब पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति कोच का निश्चित किया गया दाम ;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट को दिये जाने वाले नीचे के ढांचों (अंडरफ्रेमों) की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ प्रबन्ध किये हैं ; तथा

(घ) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५३ तक के काल में फैक्टरी में बनाई गई कोचों की संख्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हां ।

(घ) ७१ ।

त्रावणकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राज-पथ

*८१४. **श्री अच्युतन:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपथों के धारण-पोषण और सुधार के कार्यक्रम के अधीन त्रावणकोर-कोचीन में एडा-कोचीन और शीलाली को जोड़ने वाली सड़क पर आलवे और अरूर में पुल बनाने के लिये १९५३-५४ वर्ष में कुछ आवंटन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो वह राशि क्या है ?

(ग) पुलों का निर्माण कब शुरू होगा ?

(घ) उनके कब पूरे होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). १९५३-५४ वर्ष में इन पुलों के निर्माण के लिये ५ लाख रुपये की एक राशि रखी गई है ।

(ग) **आलवे पुल:** राज्य के लोक-निर्माण-विभाग के द्वारा तैयार किये जाने वाले प्राक्कलनों के तैयार होते ही निर्माण शुरू हो जायगा ।

अरूर पुल: जांच के लिये की गई बोरिंग से पता चला है कि और बोरिंग करनी पड़ेगी । इसका प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(घ) १९५५-५६ के अन्त तक ।

भूमि पर खेती

*८१५. **श्री विश्वनाथ राय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने एकड़ भूमि ऐसी है, जहां खेती हो सकती है पर जहां खेती नहीं हो रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): १९४९-५० में लगभग ११५ लाख एकड़ ।

मछली पकड़ने की जापानी नौकाएं

*८१७. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मछली पकड़ने की जापानी नौका 'टैड मारू' की सहायता से भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया मछली मारने का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ?

(ख) मछली मारने के लिये भारत को कितनी मछली पकड़ने की नौकाओं की आवश्यकता है ?

(ग) इस समय भारत के पास मछली मारने के लिये कितनी नौकायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां ।

(ख) निश्चित संख्या तब तक बताना सम्भव नहीं है, जब तक प्रयोग स्वरूप तथा जांच के लिये आजकल चलने वाले काम में पर्याप्त प्रगति प्राप्त न कर ली जाये ।

(ग) कुल मिला कर पांच ।

छोटे पत्तनों का परिमापन

*८१८. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता योजना के मिट्टी निकालने वाले (ड्रैजर) विशेषज्ञों श्री मन्त जे० जी० डी० पौयरियर तथा पी० कौर्मियर ने जिन्होंने भारत के छोटे पत्तनों का परिमापन किया था अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) भारत सरकार को अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जूट उद्योग में सेवायुक्त स्त्रियां

*८१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या श्रम मंत्री जूट उद्योग में सेवायुक्त स्त्रियों की सम्पूर्ण संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितनी एक वर्ष नौकरी कर लेने के बाद भी अस्थायी कर्मचारीवर्ग की श्रेणी में हैं ?

(ग) गत एक वर्ष में जूट उद्योग में कितनी महिला कर्मचारियों की छंटनी की गई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

'क्यू' बुखार

*८२१. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह तथ्य है कि पूना स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा विद्यालय की प्रयोग शाला में किये गये अनुसन्धान कार्य ने भारत में 'क्यू' बुखार के फ़ैले होने की बात को निश्चित कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो देश के किन भागों में यह बुखार फैला हुआ है ?

(ग) इस बुखार की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

जगदीश चीनी मिल

*८२२. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री राम जी वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि (१) श्रमिकों, (२) अन्य कर्मचारियों तथा (३) गन्ना उत्पादकों को जगदीश चीनी मिल लिमिटेड, कोटाकुईयां, ज़िला देवरिया के नियंत्रक द्वारा छै महीने से अधिक समय से वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि गन्ने के मूल्य का कई लाख रुपया जगदीश चीनी मिल लिमिटेड, कोटाकुईयां, ज़िला देवरिया, के नियंत्रक द्वारा नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि ऐसा है, तो वेतनों तथा गन्ने के मूल्य के हिसाब में क्रमशः कितनी रक़म का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(घ) इस के कारण;

(ङ) यह निश्चय करने के लिये कि इन रक़मों का भुगतान किया जाता है क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ;

(च) क्या यह तथ्य है कि देवरिया के ज़िलाधीश ने चीनी के विक्रय से प्राप्त हुई तथा होने वाली समस्त रक़म को राज्य सरकार के गन्ना उपकर के हिसाब में कुर्क कर लिया है ; तथा

(छ) क्या सरकार को विदित है कि सन् १९५३-५४ के अगले सीज़न में फैक्टरी न चली तो कर्मचारियों तथा गन्ना उत्पादकों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी और लाखों रुपये के मूल्य का गन्ना सड़ जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (छ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

चूरू-फतेहपुर रेलवे लाइन

*८२३. **श्री मुरारका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित चूरू-फ़तेहपुर रेलवे लाइन का भूपरिमापन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो सरकार कब तक उस कार्य को प्रारम्भ करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) फ़तेहपुर-चुरू रेल कड़ी का प्रारम्भिक भूपरिमापन कार्य पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चलन्तू डाकखाने

***८२४. श्री मुरारका**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चलन्तू डाकखानों की योजना को अन्य नगरों में भी चालू करने की प्रस्थापना करती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे कब तक चालू करने की आशा करती है तथा किन किन नगरों में ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जो नगर रात्रि डाक सेवा से सीधे ही सम्बद्ध हैं उन में इस योजना को चालू करने की प्रस्थापना है ।

(ख) बम्बई तथा कलकत्ता को, जिन में चलन्तू डाकखाने नहीं हैं, कोई छै महीने में ही अर्थात् जैसे ही उन के लिये गाड़ियां बन जायेंगी, इस योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

खलीलाबाद के निकट माल के डिब्बों का पटरी से उतर जाना

४२५. श्री रघुनाथ सिंह: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे में खलीलाबाद के निकट ६ जून, १९५३ को दोपहर के ३-३० बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ?

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि जब यह गाड़ी वहां पहुंची उस समय एक पुलिया पर काम करने वाला गेंग पटरी को बदल रहा था ?

(ग) क्या आने जाने वाली गाड़ियों को गोरखपुर-गोंडा के रास्ते से भेजने का प्रबन्ध किया गया था ?

(घ) क्या दुर्घटना-स्थल पर आने वाली गाड़ियों को ख़तरे की चेतावनी देने का कोई प्रबन्ध था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग) जी हां । ६ जून, १९५३ को दोपहर बाद १५-३० बजे पूर्वोत्तर रेलवे की मुंडरवा तथा ख़लीलाबाद के बीच चलने वाली डाउन पी० डब्ल्यू० डी० विशेष मालगाड़ी एक बिना जमाई हुई पटरी के ऊपर से हो कर जाते समय पटरी से उतर गई थी । इंजन और उस के पीछे के १६ डब्बे पटरी से उतरे थे । रेल पथ के इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण, कुछ गाड़ियों को गोरखपुर-गोंडा लाइन से, ७-६-१९५३ के २१-२० बजे तक, जब कि सीधा यातायात होना सम्भव हुआ, भेजना पड़ा ।

(ख) एक गैंग पटरी के जोड़ों को, जो कि गार्डरों के बने पुल से कोई एक तार खम्भा आगे था, चौरस कर रहा था, और जिस पटरी पर चढ़ कर गाड़ी उलटी थी उसे उस समय तक ठीक तरह से जमाया नहीं गया था ।

(घ) रेल पथ के उस भाग को, जहां कि पटरियों के जोड़ों को चौरस करने का काम हो रहा था, दोनों ओर से नियमों के अनुसार लाल झंडियां तथा कुहरे के सिगनल लगा कर सुरक्षित किया हुआ था । उस सैक्शन से हो कर जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को इंजीनियरिंग सिगनलों को देखने और जहां कहीं भी ख़तरे के सिगनल दिये गये हों

वहां अपनी गाड़ियों को ठहरा लेने के सावधानी आदेश भी जारी कर दिये गये थे ।

मछलियों को बर्फ में दबाने वाली फैक्टरियां

४२६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के मछली उद्योग में उत्पादित की जाने वाली बर्फ़ में जमाई गई मछली की वार्षिक परिमात्रा ;

(ख) मछलियों को बर्फ़ में दबाने के उद्योग में भारत में अब तक विनियोजित पूंजी ;

(ग) इस उद्योग में विनियोजित, यदि कोई, विदेशी पूंजी ;

(घ) बर्फ़ में मछली दबाने वाली फ़ैक्टरियों के नाम ; तथा

(ङ) वह स्थान जहां वह स्थापित की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मछली उद्योग के सम्बन्ध में कोई सामान्य सूचना उपलब्ध नहीं है । सरकारी संयंत्रों से सम्बन्ध रखने वाली सूचना नीचे दी जाती है :

भारत सरकार के शीघ्र प्रशीतन तथा ठंडे गोदामों वाले संयंत्र ने सन् १९५२-५३ में २,४०,०४९ पौंड मछली को बर्फ में दबाया है ।

(ख) भारत सरकार के शीघ्र प्रशीतन तथा ठंडे गोदामों वाले संयंत्र की अनुमानित लागत कोई १३ लाख रुपये है । दो बर्फ़ बनाने तथा ठंडे गोदामों वाली फ़ैक्टरियां मदरास सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं । प्रारम्भ में इन फ़ैक्टरियों की लागत का अनुमान ३,१०,४७० रुपये लगाया गया था परन्तु उन पर वास्तव में लागत आई कितनी, यह ज्ञात नहीं है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) भारत सरकार की शीघ्र प्रशीतन तथा ठंडे गोदामों लाली बर्फ़ बनाने की फ़ैक्टरी ।

(ङ) बम्बई, मंगलौर तथा कालीकट ।

हैलीकौप्टर

४२७. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने टिड्डी नाशक कार्यवाहियों तथा इन्हीं जैसे अन्य कार्यों के लिये हैलीकौप्टर ख़रीदे हैं अथवा ख़रीदने की प्रस्थापना करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत सरकार ने टिड्डी नाशक कार्यवाहियों अथवा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये कोई हैलीकौप्टर नहीं ख़रीदे हैं । हैलीकोप्टरों को ख़रीदने की कोई निश्चित प्रस्थापना भी विचाराधीन नहीं है ।

रेलगाड़ियों का देर से आना

४२८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उत्तरी रेलवे के राजस्थान सैक्शन में और विशेषकर भटिंडा-बीकानेर और बीकानेर-जोधपुर सैक्शनों में रेलगाड़ियों के बहुधा देर से आने की बात विदित है ; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार कौनसी प्रतिकारक कार्यवाहियां करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जून और जुलाई १९५३ में बीकानेर तथा जोधपुर डिवीज़नों में, और विशेषकर बीकानेर-भटिंडा सैक्शन में, चलने वाली सवारी गाड़ियों के समय पर चलने में मुख्यतया अभूतपूर्व ग्रीष्मकालीन अवस्थाओं के कारण बहुत गड़बड़ी पड़ गई थी । बीकानेर-

जोधपुर सैक्शन पर गाड़ियों का चलना सन्तोषजनक रहा था ।

(ख) सवारी गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने, समय पालन की देख रेख करने तथा उसमें सुधार करने के लिये रेलवे द्वारा की जाने वाली सामान्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त, कुछ दिनों से और अधिक शक्तिशाली इंजनों को लगाना तथा सवारी गाड़ियों में ढोये जाने वाले माल की परिमात्रा को कम करना अधिक वांछनीय पाया गया है । इस कार्यवाही के किये जाने के फलस्वरूप अगस्त मास से गाड़ियों के समय पर चलने की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है ।

इंजनों का बिगड़ना

४२९. **श्री कर्णी सिंहजी:** क्या रेल मंत्री उत्तरी रेलवे के केवल भूतपूर्व बीकानेर राज्य वाले भाग में पुनर्वर्गीकरण से पूर्व तथा पश्चात् रेल इंजनों के बिगड़ने के मासिक औसत को मीलों में बतलाने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): सन् १९५१-५२ में पुनर्वर्गीकरण से पूर्व प्रति इंजन के बिगड़ने की औसत मील संख्या ९३,३५४ मील थी और सन् १९५२-५३ में पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् यह संख्या ६५,२९० मील थी ।

डबोक का हवाई अड्डा

४३०. **श्री बलवन्त सिंह मेहता:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के डबोक हवाई अड्डे को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के निर्माण पर कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ;

(ग) इसको पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(घ) इसका निर्माण कब से आरम्भ होगा ; और

(ङ) इस पर इस वर्ष कितना रुपया व्यय होने की सम्भावना है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) इस योजना में कुछ नये हवाई अड्डे बनाने का उपबन्ध है । इन में से एक को डबोक (उदयपुर) में बनाने का विचार है, किन्तु इसे किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाय इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) लगभग ७.५ लाख रुपये ।

(ग) लीन वर्ष ।

(घ) जैसे ही कुछ आवश्यक प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो जायेंगे ।

(ङ) निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक में २०,००० रुपयों का उपबन्ध किया गया है । आवश्यकता के अनुसार और अधिक धन दिया जायगा ।

हिन्दी विभाग

४३१. **डा० एन० बी० खरे:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों का हिन्दी में उत्तर देने के लिये इस मंत्रालय में हिन्दी विभाग खोला है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो पहली जनवरी, १९५३ से ३१ जुलाई, १९५३ की अवधि में इस मंत्रालय म हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा हिन्दी मे उत्तर दिये गये पत्रों की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) यदि उन में से सभी का उत्तर हिन्दी में नहीं दिया गया, तो इस के क्या कारण है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) ३१ जुलाई १९५३ को समाप्त होने वाले सात महीनों में हिन्दी विभाग में १,४१५ हिन्दी पत्र आये तथा उसने ३४६ पत्रों का हिन्दी म उत्तर दिया ।

(ग) यथासम्भव, हिन्दी के पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिया जाता है । उनमें से कुछ पत्रों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती और वे फाइल में रख लिये जाते हैं ; अन्य पत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिये उसी रूप में सम्बद्ध रेलवे प्रशासन को भज दिया जाता है । कुछ के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है । जिस उत्तर म कानून तथा परिभाषिक जटिल शब्दों का प्रयोग किया जाना होता ह, एसा उत्तर अभी अंग्रेजी में ही दिया जाता है ।

ऊना-नांगल रेलवे लाईन

४३२. **प्रो० ो० सी० शर्मा** : (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऊना-नांगल रेलवे लाइन का पर्यालोकन कर लिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इस रेलवे लाइन को बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). इनका उत्तर नकारात्मक है ।

बेजवाड़ा रेलवे अस्पताल

४३३. **डा० रामा राव** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेजवाड़ा रेलवे अस्पताल में एक्स-रे प्लांट लगाने के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था ?

(ख) इसे अब तक लगाया क्यों नहीं गया ?

(ग) इस के कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) युद्धोत्तर योजना के भाग के रूप में बेजवाड़ा में रेलवे अस्पताल की एक नई इमारत बनाने का विचार किया गया था । यह भी निश्चय किया गया था कि इस प्रस्तावित अस्पताल में एक एक्स-रे प्लांट लगाया जाय । यह प्लांट १९४९ में मिला था ।

(ख) अस्पताल वाले स्थान पर पर्याप्त जमीन न होने के कारण एक्स-रे प्लांट को स्थापित करने के लिये नई इमारत बनाने की योजना को नये अस्पताल बनाने के प्रस्ताव के साथ कुछ समय तक के लिये स्थगित कर देना पड़ा था ।

(ग) वर्त्तमान रेलवे अस्पताल के पास हाल ही में अधिग्रहीत एक इमारत में एक्स-रे प्लांट स्थापित करने के हेतु उसमें परिवर्त्तन करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं । जैसे ही यह कार्य समाप्त हो जायेगा और वहां बिजली मिल जायेगी, वहां पर एक्स-रे प्लांट लगा दिया जायेगा ।

आलू तथा शकरकन्दी

४३४. **पंडित एम० बी० भार्गव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में पैदा किये गये आलू तथा शकरकन्दी की कुल मात्रा तथा मूल्य कितना है ?

(ख) किस राज्य में आलू तथा शकरकन्दी की सबसे अच्छी किस्म पैदा की जाती है ?

(ग) उपरोक्त वर्षों में इन चीजों का (१) कुल कितनी मात्रा में (२) कुल मूल्य का तथा (३) किन किन देशों से आयात तथा निर्यात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) एक नोट, जिस में आलू की अच्छी किस्मों तथा उन राज्यों, जिनमें ये पैदा की जाती हैं, के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]** आलू की किस्म केवल उसके आकार तथा रूप, रंग तथा गूदे, और उसके पकाने के गुण आदि बातों से ही नहीं जांची जाती है, अपितु वह इस बात से भी जांची जाती है कि उपभोक्ता किस किस्म को अधिक पसन्द करते हैं जो पसन्द प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है ।

(ग) एक विवरण, जिस में आयात के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]** सीमा शुल्क के अन्तर्गत निर्यात के सम्बन्ध मे सूचना पृथक् रूप से एकत्रित नहीं की जाती है ।

ब्यावर रेलवे स्टेशन

४३५. पंडित एम० बी० भार्गव: (क) क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के उन स्टेशनों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनके प्लेटफार्म वर्ष १९५३-५४ में ढक दिये जायेंगे ?

(ख) ब्यावर रेलवे स्टेशन को ढकने तथा वहां के प्रतीक्षा गृहों में सुधार करने की बात को योजना में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था ?

(ग) उक्त योजना को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है ?

(घ) इन कार्यों के किस समय आरम्भ किये जाने तथा समाप्त किये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम रेलवे के जिन स्टेशनों के प्लेटफार्म ढक दिये जायेंग उनके नाम ये हैं : अंधेरी, खार, आनन्द, डाकोर, दभोई, जुनागढ़ । पालन पुर, ब्यावर, सिधपुर, डीसा, नारनौल, मावली जंक्शन, आबू रोड़, भावनगर तथा बोताड स्टेशनों के प्लेटफार्मों के ढकने का कार्य, जो कि इन स्टेशनों के सम्बन्ध में बड़ी योजना के भाग के रूप म है, वर्ष १९५३-५४ में आरम्भ किया जा सकता है किन्तु वह वर्ष १९५४-५५ में समाप्त किया जायगा ।

(ख) से (घ). ब्यावर स्टेशन पर कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जायगा और अगले वर्ष समाप्त किया जायगा ।

डाक ले जाने के लिये ठेके

४३६. श्री एम० आर० कृष्ण: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक ले जाने के लिये गाड़ियां किराये पर लेने के लिये ठेकेदारों को प्रतिवर्ष कुल कितना धन दिया जाता है ?

(ख) ऐसे कितने ठेकेदार डाक सेवा के अन्तर्गत कार्य करते हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गैर सरकारी ठेकेदारों को अपनी गाड़ियों में डाक ले जाने के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि के अनुमानित आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

ठेकों की श्रेणी	प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि रुपयों में
(१) जहां मोटर गाड़ियां केवल डाक ले जाने के लिये ही प्रयुक्त की जाती हैं।	७,०२,६५६
(२) जहां मुसाफिरों के साथ डाक मोटर गाड़ियों में ले जायी जाती है।	१८,३६,००१

(३) जहां डाक मोटरगाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों में ले जायी जाती है।	२,०९,५६५
- कुल योग	२७,४८,२२१

(ख) ठेकेदारों की संख्या के विषय में पता नहीं, किन्तु दिये गये ठेकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

ठेके की श्रेणी	संख्या
(१) जहां मोटर गाड़ियां केवल डाक ले जाने के लिये ही प्रयुक्त की जाती है।	५५
(२) जहां मुसाफिरों के साथ डाक मोटर गाड़ियों में ले जायी जाती है।	१,१४३
(३) जहां डाक मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों में ले जायी जाती है।	१४४
कुल योग	१,३४२

कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनके पास एक से अधिक ठेके हैं।

पर्यटक आवागमन

४३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार भारत म पर्यटक संगठन कार्य के विकास के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ख) भारत में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने के सम्बन्ध में कितने दूसरे देशों में प्रचार कार्य किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) केन्द्रीय सरकार के भारत में पर्यटक संगठन में इस समय यातायात मंत्रालय में एक पर्यटक आवागमन शाखा है और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय हैं तथा आगरा, श्रीनगर और बनारस में छोटे पर्यटक सूचना कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों को अपने अपने राज्यों में पर्यटक कार्यों के विकास में केन्द्रीय सरकार को सहायता देने के लिये अवैतनिक प्रादेशिक पर्यटक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। एक केन्द्रीय पर्यटक आवागमन मंत्रणा समिति यातायात मंत्रालय से सम्बद्ध है। बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ते में प्रादेशिक मंत्रणा समितियां भी नियुक्त की गई हैं तथा मद्रास में भी इसी प्रकार की एक मंत्रणा समिति बनाई जा रही है।

विदेशी पर्यटक आवागमन को बढ़ाने के लिये सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं वे ये हैं—पर्यटकों के देखने योग्य महत्वपूर्ण स्थानों के सम्बन्ध में पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं, अर्थात् गाइड पुस्तकें, पोस्टर, फोल्डर, ब्रोचर, चित्रों वाले पोस्ट कार्ड छपवाये हैं, गैर वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिये मोडल तथा यात्रा सम्बन्धी फिल्में तय्यार करवाई हैं, गाइड सर्विस की व्यवस्था की है, सीमाशुल्क चौकियों पर पर्यटकों को अनावश्यक विलम्ब न हो इस के लिये पर्यटकों को पर्यटक परिचय कार्ड दिये गये हैं, रेल में सीट रिजर्व कराने की व्यवस्था की गई है, और उनके लिये डाक बंगलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। पर्यटक एजेंसियों को, जो सरकार को उसके पर्यटक कार्यों में विकास करने के लिये सहायता देती हैं, मान्यता देने के लिये नियम बनाये गये हैं।

(ख) अमेरिका से पर्यटकों को भारत में आने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने न्यूयार्क में एक पर्यटक कार्यालय खोला है। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, पर्यटक प्रचार के सम्बन्ध में वहां

भारतीय दूतावास कार्य कर रहे हैं जिन्हें प्रचार की सामग्री अर्थात् फोल्डर, पोस्टर, गाइड पुस्तकें, यात्रा सम्बन्धी फिल्में आदि, स्थानीय यात्रा एजेन्सियों, होटलों तथा यात्रा कार्य से सम्बन्धित सभी संस्थाओं में दिखलाने के लिये दी जाती हैं।

रेल दुर्घटनाएं

४३८. **श्री रघुवीर सहाय** : (क) क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी लाइनों पर जून १९५३ में हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा इन बातों के सम्बन्ध में जानकारी देने की कृपा करेंगे : (१) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, (२) कितने व्यक्ति घायल हुए, तथा (३) इन में से प्रत्येक दुर्घटना में कितनी रेल सम्पत्ति की क्षति हुई ?

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है?

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक दुर्घटना की जांच का क्या परिणाम निकला ?

(घ) क्या सरकार इन दुर्घटनाओं की वारंवारता के कारणों का पता लगा सकी है ?

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जाने की प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३९ रेल दुर्घटनाएं ।

(१) ६

(२) ६० (९ सख्त घायल हुए, ५१ मामूली)

(३) रेल सम्पत्ति को अनुमानतः १,७९,००० रुपये की हानि हुई ।

(ख) दुर्घटना का कारण पता लगाने, उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उपयुक्त निवारक कार्यवाही करने की दृष्टि से प्रत्येक दुर्घटना की जांच की गई है।

(ग) जांचों के परिणामस्वरूप इन दुर्घटनाओं के जो कारण पता लगे वे इस प्रकार हैं

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेल कर्मचारियों की गलती	११
ईजन डिब्बों आदि में दोष	२३
स्थायी पक्ष में खराबी	२
रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों, जैसे लौरी ड्राइवर आदि, की गलती	३
पूर्ण योग	३९

(घ) तथा (ङ). कुल ३९ दुर्घटनाओं में से केवल दो में लोग हताहत हुए । एक में लोग मारे गये तथा ायल हुए और दूसरी में केवल घायल हुए ।

पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर पूर्वोत्तर रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की वारंवारता के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जिससे कि यह पता लग सके कि दुर्घटनाओं के आपात को कम करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जाने चाहियें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे द्वारा सामान्य रूप से की गई निम्न कार्यवाहियों के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने हाल में अपनी मिली-जुली पैसेंजर-पार्सल गाड़ियों के अधिक सावधानी पूर्वक जोड़े जाने की व्यवस्था की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे, जहां तक सम्भव हो सके, वैकुंअम गाड़ियों के रूप में चलें ।

दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायित्व ठहराये गये रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

ईजन तथा डिब्बों का समय समय पर सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उनकी अधिक अच्छी प्रकार से देखभाल रखना ।

स्टेशनों की कार्यप्रणाली की व्यवस्थित ढंग से जांच करना ।

कर्मचारियों को पत्रिकाओं, परिपत्रों आदि के द्वारा 'सुरक्षा नियम' सम्बन्धी जानकारी देना ।

पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाहियों को कड़ा करना ।

कर्मचारियों को सचेत तथा सावधान रहने की चेतावनी देते रहना । प्रशिक्षण विद्यालयों में नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय के बाद नये विषयों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना ।

दुधारू ढोर

४३९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राप्य नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में कितने दुधारू ढोर हैं तथा दस वर्ष पहले उनकी संख्या कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९४०, १९४५ तथा १९५० में दुधारू ढोरों की संख्या (हजारों में) इस प्रकार थी :

	१९४०*	१९४५*	१९५०*
तीन वर्ष से सादर की गायें	४३,६७३	४३,६२२*	४८,५४९
तीन वर्ष से सादर की भैंसें	१९,१९९	२०,०००	२१,४१९
कुल	६२,८७२	६३,६२२	६९,९६८

*प्रकाशित †अनुमानित

१९४० और १९४५ के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें उन क्षेत्रों के बारे में आंकड़े शामिल नहीं किये गये हैं जो अब पाकिस्तान में चले गये हैं ; फिर भी इन आंकड़ों का सूक्ष्म रूप से मुकाबला नहीं किया जा सकता क्योंकि जिन क्षेत्रों के बारे में ऊपर आंकड़े दिये गये हैं वे सब तीनों गणनाओं में शामिल नहीं थे । इस बात के अधीन रहते हुए अनमानित आंकड़ों से दुधारू ढोरों की संख्या में कोई विशेष कमी-बृद्धि नहीं पता लगती ।

चोरियां और डाके

४४०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रेल** मंत्री अप्रैल से जून १९५३ के बीच चलती गाड़ियों में हुई चोरियों तथा डाकों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): अप्रैल से जून १९५३ तक चलती गाड़ियों में १६१७ चोरियां हुंई तथा एक डाका पड़ा ।

चावल की जापानी ढंग से खेती

४४१. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को चावल की जापानी ढंग से खेती करने के लिये किस प्रकार की सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत सरकार ने राज्यों को सहायता, उन्हें आन्दोलन संघटित करने के लिये टैक्निकल जानकारी तथा प्रचार सामग्री उपलब्ध करके और अमोनियम सल्फेट का सिन्दरी में मूल्य

३६५ रुपये प्रति टन से घटा कर २९० रुपये प्रति टन करके दी है। कीमत में यह कमी नयी खरीद तथा राज्यों के पास पड़े पुराने स्टाक दोनों पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण भी स्वीकृत किये हैं जिससे कि वे किसानों को अमोनियम सल्फ़ेट उधार दे सकें।

राष्ट्रीय राज-पद्ध

४४२. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा जनवरी १९५० से जो सड़कें राष्ट्रीय राज-पथ के रूप में ली गई हैं वे कुल मिलाकर कितने मील लम्बी हैं ?

(ख) ये सड़कें किस राज्य या राज्यों में हैं ?

(ग) उनके निर्माण या मरम्मत पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

गोदाम

४४३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारतीय पत्तनों में खाद्यान्न रखने के लिये अतिरिक्त गोदाम बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन पत्तनों में तथा उन गोदामों के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ; तथा

(ग) इन गोदमों में कुल कितना खाद्यान्न रखा जा सकेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). निम्न विवरण में यह बतालाया गया है कि इन गोदामों में कुल कितना खाद्यान्न रखा जा सकेगा और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी।

विवरण

स्थान	धारिता	अनुमानित लागत	
	टन	लाख रुपये	
बम्बई (वडाला)	१,००,०००	४६.००	५०,००० टन की धारिता के गोदाम १९५२ में बन कर तैयार हो गये थे।
बम्बई (सेवरी)	१३,०००	२.६	यह डिपो १९५२ में खरीदा गया था।
मद्रास	२४,०००	२०.००	
कोचीन	२०,०००	१७.००	दस हजार टन की धारिता वाले शैड १९५२ में खरीदे गये थे।
विज़गापट्टम्	२०,०००	१५.००	
कलकत्ता	४०,०००	२५.००	
पूर्ण योग	२,१७,०००	१२५.६	

मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन

४४४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों के कारण, जबकि १ अगस्त १९५२ को तथा अगस्त १९५३ में रेलवे स्टेशनों पर बोर्ड पर लिखे नामों को मिटा दिया गया था, सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १ अगस्त, ५२ को हिन्दी विरोधियों द्वारा स्टेशनों के बोर्डों पर जो नाम मिटा दिये गये थे उन्हें फिर से लिखवाने पर २,१४० रुपये व्यय हुए। १ अगस्त ५३ को मिटाये गये नाम अभी फिर से लिखे जाने हैं। ख्याल है कि उनके फिर से लिखे जाने पर कोई २,००० रुपये व्यय होंगे ।

जापान से सन्तरों की कलमें

४४५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जापान से बीज-रहित संतरे की कुछ कलमें मंगाई जा रहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रयोग निमित्त केन्दीय सरकार या अन्य राज्य सरकार की ओर से मंगाई जा रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये बीज-रहित जापानी 'मैन्डरीन संतरों के एक दर्जन पौधे मंगवा रही है ।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

४४६. **श्री गणपति राम :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में वर्ष १९५२-५३ में कुल कितने नये डाकघर खोले गये ;

(ख) वर्ष १९५३-५४ में उत्तर देश कुल कितने नये डाकघर खोले जाने की प्रस्थापना हैं ;

(ग) उन पर कुल कितना व्यय होगा ; तथा

(घ) उनमें कुल कितने अतिरिक्त कर्मचारी रखे जायेंगे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वर्ष १९५२-५३ में बनारस जिले में ४ डाकघर खोले गये थे ।

(ख) २३६ ।

(ग) वर्ष १९५३-५४ में ४०,००० रुपये ।

(घ) लगभग ५५० बहिर्विभागीय कर्मचारी ।

बाबत पुर का हवाई अड्डा

४४७. **श्री गणपति राम :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस के बाबत पुर स्थित हवाई अड्डे के कब्ज़े में कितनी एकड़ भूमि अभी बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या 'कच्चा रनवे' (धावन पथ) नामक घास का मैदान नीलाम से बेच दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने में ;

(घ) क्या बनारस हवाई अड्डे के कब्जे में बेकार भूमि किसानों को पट्टे पर उठा दी गई है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो किस दर पर ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वस्तुतः कोई भी भूमि बेकार नहीं पड़ी है। यह ठीक है कि इसका कुछ भाग संचालन प्रयोजनों के लिये आवश्यक नहीं है ; परन्तु इसे रखना इस लिये आवश्यक है कि हवाई अड्डे पर पहुंचने के मार्ग साफ़ रहें । यह

भाग घास काटने के लिये या खेती करने के लिये पट्टे पर उठा दिया गया है।

(ख) मैदान के वे भाग, जिनकी संचालन प्रयोजनों के लिये आवश्यकता नहीं है, घास काटने के लिये पट्टे पर उठा दिये गये हैं। ये कुल मिला कर ५० एकड़ हैं।

(ग) १९५१ से तीन वर्ष की कालावधि के लिये---३०१ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से।

(घ) तथा (ङ) बाबत पुर हवाई अड्डे के अन्तर्गत कुल भूमि का क्षेत्रफल, कच्चा 'रनवे' की भूमि को निकाल कर, ४५७ एकड़ है जिसमें से १५४ एकड़ खेती के लिये पट्टे पर उठा दी गई है। इस १५४ एकड़ भूमि में से ५२ एकड़ तो १२ मई, ५१ से तीन वर्ष की कालावधि के लिये ६६० रुपये प्रति वर्ष की दर से सार्वजनिक नीलाम द्वारा दी गई है और बाकी की १०२ एकड़ स्थानीय किसानों को दी गई है जिसकी दरें ५ रुपये २ आने से लेकर २१ रुपये ४ आने तक भिन्न भिन्न हैं ; तथा इस के अलावा १ रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष और लिया जाता है। ये दरें स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मट्टी के प्रकार या पलौट की स्थिति के अनुसार निर्धारित की गई हैं। अवशिष्ट भूमि की, जिमें कच्चा 'रनवे' भी शामिल है, संचालन प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है और इस लिये उसे केवल घास काटने के लिये ही पट्टे पर उठाया गया है।

मास्टर नाविक

४४८. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अधिवास के मास्टर नाविकों की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) क्या ऐसे कमकरों की ट्रेनिंग के लिये कोई व्यवस्था है ?

(ग) यदि है, तो कहां है ?

(घ) इन संस्थाओं में प्रति वर्ष कितने उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ), भारतीय अधिवास के मास्टर नाविकों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने निम्न-लिखित कार्यवाही की है :

(१) ट्रेनिंग जहाज "उफरिन" बम्बई जो कि भारतीय प्रजाजनों को समुद्री ट्रेनिंग देता है में नौ परिवहन अधिकारियों की संख्या ५० कर दी है जब कि १९४९ में यह केवल २५ थी।

(२) मास्टर नाविकों की योग्यता के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से बम्बई में उम्मीदवारों के लिये एक इंजीनियरिंग कालिज खोला गया है। इस कालिज से लगभग १५० छात्रों को प्रति-वर्ष सहायता मिलती है।

(३) १९४९ में सक्रिय प्रशिक्षण के लिये ९० शिशक्षओं को जहाज़ों पर रखा गया। वह अपनी पाठ्य चर्या समाप्त कर रहे हैं। तथा "सैकेंड मेटस" परीक्षा में बैठने वाले हैं।

चिकित्सा सलाहकार विभाग

४४९. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लंदन में स्थित चिकित्सा सलाहकार विभाग के कृत्य क्या हैं ?

(ख) वहां इस समय कुल कितने अधि-कारी काम कर रहे हैं ?

(ग) उन में से भारतीय कितने हैं ?

(घ) वर्ष १९५३-५४ के बजट में इस विभाग के लिये कुल कितना धन रखा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस विभाग के मुख्य कृत्य यह हैं :

(१) यह ब्रिटेन में सभी चिकित्सा छात्रों, स्नातक-पूर्वछात्रों तथा स्नातकोत्तर छात्रों (प्राइवेट तथा सरकारी छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वालों) की ट्रेनिंग आदि के लिये ज़िम्मेदार है। यह ऐसे सम्पर्क भी स्थापित करता है जो कि ब्रिटेन अथवा अमेरिका में छात्रों की अग्रेतर ट्रेनिंग की व्यवस्था के सुनिश्चयन के लिये आवश्यक हैं, यदि ऐसी ट्रेनिंग दोनों देशों में प्राप्त करनी अपेक्षित हो ;

(२) चिकित्सा सलाहकार भारत की चिकित्सा अनसंधान सम्पर्क समिति का सदस्य सचिव है ;

(३) वह चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा सामान्य स्वास्थ्य प्रशासन से सम्बन्धित सूचना आदि भारत को भेजने के लिये ज़िम्मेदार है ;

(४) वह सभी चिकित्सा मामलों के सम्बन्ध में भारतीय हाई कमिश्नर का सलाहकार है ;

(५) वह अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सम्मेलनों तथा अन्य वैज्ञानिक बैठकों में भारत सरकार की ओर से भाग लेता है तथा ऐसे सम्मेलनों के प्रतिवेदन भेजता है;

(६) वह निम्न लिखित काम भी करता है जैसे कि :

(अ) चिकित्सा बोर्डों की बैठकों में भाग लेना तथा

(आ) लंदन स्थित भारतीय भंडार विभाग द्वारा जो चिकित्सा सामान खरीदा जाता है उसका परीक्षण करना आदि।

(ख) दो।

(ग) दोनों भारतीय हैं।

(घ) ७२,००० रुपये।

भूमि पुनरुद्धार

४५०. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों मे जो बंजर जमीनें आबाद की गई थीं वह फिर बंजर हो गई हैं; तथा

(ख) यदि सत्य है, तो कहां तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों से जो सूचना प्राप्त की गई है उसके अनुसार १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में जिन ज़मीनों का केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा पुनरुद्धार किया गया था उनका कोई भी हिस्सा फिर बंजर नहीं बन गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नई रेलगाड़ियां

४५१. **श्री मुनिस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में कितनी नई रेल गाड़ियां चालू की गई हैं ; तथा

(ख) इन गाड़ियों को, राज्यवार, संख्या क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २२० नई रेलगाड़ियां जिनमें कि ६४ उपनगरीय गाड़ियां भी शामिल हैं, चालू की गई हैं।

(ख) रेल गाड़ियों के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार नहीं अपितु रेलवे-वार एकत्रित की जाती है। प्रत्येक रेलवे पर निम्न लिखित रेल गाड़ियां चालू की गई हैं :

मध्य रेलवे	६
पूर्व रेलवे	४३
उत्तर रेलवे	३८

पूर्वोत्तर रेलवे	२८
दक्षिण रेलवे	१४
पश्चिम रेलवे	९१
(६४ उपनगरीय रेल गाड़ियों के समेत)	
कुल	२२०

चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक

४५२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का कितना प्रतिशत भाग महिलायें हैं ?

(ख) कितने बच्चे हैं ?

(ग) हाल ही में चाय बागानों के बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप कितनी महिलायें तथा कितने बच्चे बेकार हुए हैं ?

श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). विवरण जिसमें कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ग) विभिन्न राज्यों मे चाय बागानों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप लगभग ५८,००० कमकर बेकार हो गये हैं। ऐसी महिला श्रमिकों तथा बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं। बागानों में काम पुनः शुरू हो जाने के परिणामस्वरूप इन में से अधिकांश काम पर वापस ले लिये गए होंगे।

"फ्रंटियर मेल"

४५३. **श्री राम दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ समय पहले अप-फंटियर मेल में एक ऐसा तीसरे दर्जे का डिब्बा जोड़ दिया जाता था जिसे कि अम्बाला छावनी पर उस गाड़ी से काट कर अम्बाला नांगल डाऊन गाड़ी के साथ मिलाया जाता था ?

(ख) यह व्यवस्था कितनी देर चलती रही?

(ग) यह व्यवस्था कब से बंद की गई, तथा क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दिल्ली तथा नांगल बांध के बीच पहले गाड़ी नम्बर ५ डी० यू० के०/यू० आर० एन० तथा २ यू० आर० एन०/६ डी० यू० के० के साथ तीसरे दर्जे एवं इन्टर क्लास का एक डिब्बा लगा रहता था तथा बाद में यह एक अप दिल्ली कालका मेल/१ यू० आर० एन० तथा २ यू० आर० एन० /२ डाऊन कालका-दिल्ली मेल में लगा रहता था। फ्रंटीयर मेल के साथ नहीं लगा रहता था जैसे कि प्रश्न में कहा गया है।

(ख) १ जनवरी १९५१ से १४ नवम्बर १९५२ तक।

(ग) १५ नवम्बर १९५२ से इस डिब्बे के स्थान पर एक ऐसा डिब्बा रखा गया जिस में कि पहले दर्जे, दूसरे दर्जे तथा इन्टर दर्जे की जगह है। इस डिब्बे में अब तीसरे दज की जगह तैयार करने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

माल गाड़ियों के डिब्बों की कमी

४५४. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हमारी रेलवेज़ में विशेषकर दक्षिण रेलवे में माल गाड़ियों के डिब्बों की कमी महसूस की जा रही है ?

(ख) यह समस्या हाल ही में कहां तक हल की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय जो रेल यातायात सुविधायें उपलब्ध हैं वह देखनें में मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं, परन्तु प्रायः

देखा गया है कि व्यादेश आवश्यक रूप से सही नहीं होते हैं ।

मई, जून तथा जुलाई के दौरान में पानी की अभूतपूर्व कमी के कारण तथा कर्मचारियों की बीमारी के कारण यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ख) स्थिति अब सुधर गई है, किन्तु रेल यातायात की रसद बन्दी की आवश्यकता अभी भी विद्यमान है ।

प्रकाश-स्तम्भ विभाग

४५५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रकाश-स्तम्भ विभाग को जो ८० लाख रुपया उधार देने का निश्चय किया गया है, उस में से इसे कितना रुपया दे दिया गया है ?

(ख) इस समय तक कितने प्रकाश-स्तम्भों में बिजली की व्यवस्था की गई है तथा धुन्ध, आवाज तथा पनडुब्बी सिगनलिंग से सम्बन्धित यन्त्र लगाए गए हैं ?

(ग) क्या सरकार महत्वपूर्ण प्रकाश-स्तम्भों में रेडियो टेलोफोन की व्यवस्था रखने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रकाश-स्तम्भ विभाग को अभी तक कोई उधार नहीं दिया गया है ।

(ख) (अ) तीन प्रकाश-स्तम्भों अर्थात् ओखा, मंगरोल तथा मद्रास का विद्युतीकरण हुआ है ।

(आ) निम्नलिखित प्रकाश-स्तम्भ धुन्ध तथा आवाज सिगनल उपकरणों से सुसज्जित हैं :—

(१) केत्तरी द्वीप प्रकाश स्तम्भ ।
(२) वैस्टर्न चेनल प्रकाशपोत ।
(३) रीफ प्रकाश पोत ।
(४) बोमांटस गट प्रकाशपोत ।

(इ) पनडुब्बी सिगनलिंग यंत्रों से कोई भी प्रकाश-स्तम्भ सुसज्जित नहीं है ।

(ग) जी हां, जहां कहीं आवश्यक हो ।

मछली

४५६. **श्री वो० पो० नायर :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ के ४ अगस्त, १९५३ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्या कुमारी से मंगलौर तक के पश्चिमी तट पर कितनी समुद्री मछली पकड़ी जाती है ?

(ख) आंकड़े एकत्रित करने के क्या साधन हैं ?

(ग) क्या मछली के उत्पादन तथा उपभोग के बारे में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक सांख्यकी एकत्रित करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) यदि है, तो इस योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी ।

अधिक अन्न उपजाओ सम्बन्धी उधार

४५७. **श्री वो० पो० नायर :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के ४ अगस्त, १९५३ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावणकुर-कोचीन राज्य सरकार से उधार के लिये प्रार्थनापत्र किस तारीख को आया था ?

(ख) अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के अन्तर्गत किस आधार पर उधार दिये जाते हैं ?

(ग) त्रावणकुर-कोचीन राज्य ने किस क्षेत्र के लिये उधार की प्रार्थना की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २ दिसम्बर, १९५२ को त्रावणकुर-कोचीन सरकार से २७.५ लाख रुपये के उधार के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये और ५४ लाख रुपये के उधार के लिये प्रार्थना पत्र १७ अगस्त, १९५३ को प्राप्त हुआ।

(ख) अधिक अन्न उपजाओ सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के विषय में, उनके उत्पादन सामर्थ्य तथा आर्थिकता के आधार पर उधार दिये जाते हैं :

(१) सिंचाई तथा भूमि सुधार जैसी स्थायी प्रकार की राज्य योजनाओं के विषय में व्यय पूरा करने के लिये;

(२) यन्त्र, ट्रेक्टर,, उपकरण, मोटर गाड़ियां आदि जैसी मूल सामग्री के क्रय के लिये ;

(३) गैरसरकारी व्यक्तियों को निजी रूप से किये जाने वाला स्थायी निर्माण कार्य चलाने के लिये मूल सामग्री के विक्रय के संबंध में उधार देने के लिये।

(ग) सारे राज्य में लगभग २,३९,४०० एकड़ भूमि को इन योजनाओं से लाभ होने की आशा है।

मंगलवार,
२५ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२५ म० पू०

आंध्र राज्य विधेयक—जारी

खंड ६६—(तुंगभद्रा परियोजना के लिए उपबन्ध)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब इस विधेयक पर आगे विचार करेगा। खंड ६६ तथा उसके संशोधनों पर विचार हो रहा था।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम) : कल डा० देशमुख खंड ६६ के सम्बन्ध में चित्तूर के प्रश्न पर एक वक्तव्य देने के लिये राजी हो गए थे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : केवल इस बात पर विचार करना शेष था कि जिन ज़िलों को तुंगभद्रा परियोजना में से सिचाई के लिए पानी अथवा बिजली प्रदान की जाएगी उनमें चित्तूर को भी सम्मिलित

किया जाए अथवा नहीं। तदनुसार मैंने पूछताछ की और मुझे खेद सहित यह कहना पड़ता है कि सन् १९४२ का परियोजना में चित्तूर जिले को सम्मिलित नहीं किया गया था।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि चित्तूर ज़िले को बिजली प्रदान की जाए तो यह प्रश्न भविष्य की आन्ध्र सरकार के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए। जो बिजली आन्ध्र के भाग में आए, उसमें से यदि आन्ध्र राज्य चाहे तो चित्तूर ज़िले को भी बिजली दे सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि खंड ६६ में जिन ज़िलों का ज़िक्र है उनमें कोई और जोड़ना ठीक नहीं होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : परियोजना का मुख्य बांध मैसूर राज्य में आने वाले भाग में स्थित है। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि मैसूर सरकार इस विद्युत् उत्पादन केन्द्र से बिजली न लेने को सहमत हो जाए, तो क्या इसके बदले उसे मैसूर के अन्य क्षेत्रों में सिचाई सुविधायें नहीं दी जायेंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : आन्ध्र राज्य के बनाने के पश्चात् जिन मामलों पर समझौता होना है उनमें से एक यह भी होगा।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक तुंगभद्रा परियोजना का सम्बन्ध है, हैदराबाद राज्य को भी इसमें रुचि है। यदि मैसूर तथा आन्ध्र राज्यों में कोई झगड़ा पैदा हो जाए, तो यह बात माननीय

[श्री हेडा]

मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट नहीं है कि उस दशा में क्या हैदराबाद राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस विधान द्वारा हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिसका हैदराबाद राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। यदि कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं।

सदन की अनुमति से, श्री शिवनंजप्पा, श्री बसप्पा, श्री गोपाल राव और श्री विश्वनाथ रेड्डी ने अपने संशोधन वापस लिए।

श्री राघवाचारी (पेन्नुकोंडा) : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ६६ से सम्बन्धित अब केवल एक संशोधन श्री राघवाचारी के नाम में शेष है। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २२ में--

(१) पंक्ति ३६ में शब्द "purposes" (प्रयोजनों) के पूर्व शब्द "original" (मूल) निविष्ट किया जाए; और

(२) पंक्ति ३७ तथा ३८ में "jointly by the said States or otherwise" (उक्त राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप में अथवा अन्यथा) के स्थान पर "by a Board consisting of both the Andhra and Mysore States representatives as also representatives of the Union Government" (मैसूर तथा आन्ध्र दोनों राज्यों के तथा केन्द्रीय सरकार के भी प्रतिनिधियों के एक बोर्ड द्वारा) आदिष्ट किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

खंड ६६ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६७ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

नवीन खंड ६७ क

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २३ में--

पंक्ति ४१ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाए :

"67 A. *Directive Principle.*— In the governance of the State, it shall be the duty of the Andhra State to apply the principles contained in Shri Baug Pact described in the Tenth Schedule"

[६७ क. निदेशक तत्व-- राज्य के प्रशासन में, यह आन्ध्र राज्य का कर्त्तव्य होगा कि दसवीं अनुसूची में वर्णित श्री बाग समझौते में निहित सिद्धान्तों को लागू करे।]

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं इस संशोधन के सांविधानिक पहलू पर कुछ कहना चाहता हूं। कल यह कहा गया था कि हम इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं रख सकते जिससे कि भाग 'क' राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिकारों की परिभाषा की जा सके। संविधान का अनुच्छेद ३७१ केवल भाग 'ख' राज्यों पर लागू होता है। भाग 'क' राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा किसी निदेश के जारी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका राज्यों के स्वायत्त शासन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता और न इससे राष्ट्रपति को कोई अधिकार ही मिलता है। इस संशोधन से तो आंध्र सरकार को एक विशेष प्रकार से कार्य करने का निदेश मिलता है। कल प्रधान मंत्री ने

बताया था कि संविधान के अनुसार अनुन्नत जातियों के हितों का संरक्षण करना सरकार का कर्त्तव्य है। अतः जब नया आंध्र राज्य बन रहा है तो यह ठीक है कि हम अनुन्नत जातियों के हितों के संरक्षण के लिये निदेश दें। मैं यहां यह सुझाव दे दूं कि देश के शासन के सम्बन्ध में श्री बाग समझौते में दिये गये सिद्धान्तों को माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति वांचू ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले पर विचार किया है। मैंने कल कहा था कि जहां तक रायल सीमा निवासियों का सम्बन्ध है, वहां के किसानों और कृषि तथा सिंचाई के हितों का संरक्षण किया जाय। कल यह भी कहा गया था कि हम यह क्यों समझें कि वहां की नई सरकार रायल सीमा के साथ न्याय नहीं करेगी। आंध्र राज्य को यह निदेश देने से वह रायल सीमा की आर्थिक तथा सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगी और मैं समझता हूं कि इससे हम कानून के उपबन्धों के विपरीत कार्य नहीं कर रहे। इन संरक्षणों को रखने का यह मतलब नहीं कि हम आंध्र राज्य सरकार में विश्वास नहीं रखते। इस सम्बन्ध में कितने भी आश्वासन क्यों न दे दिये जायें, किन्तु जब तक कानूनी संरक्षणों का उपबन्ध न हो तब तक उनका अधिक महत्व नहीं। मैं यहां इस प्रकार के एक संशोधन को चाहता हूं कि राज्य की कृषि तथा सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में रायल सीमा क्षेत्र को अधिमान दिया जाना चाहिये। ऐसा उपबन्ध रखने में कोई हानि नहीं है। ऐसा करने में कोई सांविधानिक कठिनाई भी नहीं है। यह संरक्षण पहिले दस वर्षों के लिये ही दिया जाना चाहिये।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान् जी क्या एक सदस्य उसी खंड पर एक बार से अधिक बोल सकता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय सदस्य ने कल भी एक औचित्य प्रश्न उठाया था और वे आज भी एक औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य के विभिन्न अवस्थाओं पर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। जब यहां राष्ट्रपति को निदेश जारी करने के लिये अधिकार देने वाला मामला उठाया गया था तब मैं यहीं था। संविधान के अन्तर्गत वह अधिकार केवल भाग 'ख' राज्यों के बारे में ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः आप भाग 'क' राज्यों के स्वायत्त शासन के अधिकारों को उनसे ले नहीं सकते। यहां राष्ट्रपति का मतलब "राष्ट्रपति मंत्री परिषद् के परामर्श से कार्य करते हुए है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहेंगे। अध्यक्ष के लिये इस बात का निर्णय देना कि संविधान के अन्तर्गत कोई मामला सदन के अधिकार वाह्य है या नहीं, बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसके निर्णय करने का काम मैं सदन पर छोड़ता हूं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है संविधान के अनुच्छेद ३९ के अन्तर्गत निर्देशक तत्व दिये हुए हैं। यदि उन निदेशक तत्वों को सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया जाता है, तो इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। यही बातें श्री बाग समझौते में भी दी हुई हैं। मैं इस सम्बन्ध में अपना विनिर्देश नहीं देना चाहता। मैं माननीय विधि मंत्री से इसके कानूनी पहलू तथा इन उपबन्धों को इस विधेयक में सम्मिलित किये जाने की वांछनीयता पर बोलने के लिये कहूंगा।

श्री गोपाल राव : कल इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया जा चुका है और माननीय मंत्री ने उत्तर भी दे दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कल जो चर्चा हुई उसका यह मतलब नहीं कि इस बात पर विचार नहीं किया जा सकता। संविधान के तत्वों के सम्बन्ध में एक मामले में राष्ट्रपति निदेश

[उपाध्यक्ष महोदय]

देता है और दूसरे में सदन देता है। ये दो भिन्न मामले हैं। मैं समझता हूं कि इस पर निर्णय करना सदन का कार्य है। कल इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है अतः माननीय सदस्य संक्षेप में ही बोलें।

श्री राघवय्या (ओंगोल) : क्या माननीय सदस्य संविधान में परिवर्तन करने वाले प्रस्ताव पर संशोधन दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस चर्चा को समझा नहीं। यही बात अभी कुछ मिनिट पहिले उठायी गई थी और इस सम्बन्ध में मैं पहिले भी कह चुका हूं। मैं इस प्रश्न के निर्णय का काम सदन पर छोड़ता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो मैं माननीय सदस्य को इस पर बोलने का अवसर दूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह एक गम्भीर विषय है। जिन सदस्यों ने कल इस संशोधन का विरोध किया, मेरी उनसे यह अपील है कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। वांचू रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि यदि श्री बाग समझौते को तथा उसके सिद्धान्तों को न माना गया तो आंध्र के इन पांच ज़िलों में बड़ा असन्तोष फैल जायगा। अतः मेरा कहना है कि यदि इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया जाता तो वहां के पांच ज़िलों में असन्तोष फैल जायगा। जब संविधान में निदेशक तत्व दिये हुए हैं तो इन शब्दों को दुहराना अनावश्यक है। संविधान के उपबन्ध नये आंध्र राज्य पर लागू होंगे ही।

यदि हम आंध्र प्रशासन के सम्बन्ध में, श्रीबाग समझौते में दिये हुए सिद्धान्तों को भी रख दें तो इससे कोई हानि नहीं होगी। ऐसे करने से तो हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। अतः मेरा सदन से निवेदन है कि इस मामले के इस पहलू पर विचार किया जाय। मेरा माननीय गृह मंत्री से निवेदन है कि वे इस पर पुनः विचार करें। यदि सांविधानिक रूप से ऐसा करना सम्भव नहीं है तो वह किसी अन्य प्रकार से रायलसीमा के लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करें। आंध्र प्रशासन के मामले में श्री बाग समझौते के सिद्धान्तों को मान लिया जाना चाहिये।

श्री राघवाचारी : कल जो कुछ मैं ने कहा था उसके अतिरिक्त मुझे इस विधेयक में निदेशक तत्वों के सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में कहना है। न्यायमूर्ति वांचू ने भी इनके रखे जाने की आवश्यकता के बारे में कहा है। श्री बाग समझौता सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में है। वांचू रिपोर्ट के पृष्ठ १६ में भी यह कहा गया है कि रायलसीमा और नेल्लोर के पिछड़े ज़िलों को भी समुद्र तटीय ज़िलों के समान विकसित करने की दृष्टि से तुंगभद्रा, कृष्णा और पेन्नार नदी परियोजनाओं में बिजली, पानी आदि के वितरण में इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

१९२१ से हम अनन्तपुर में पेन्नार कुमुद्वती नामक छोटी सी परियोजना के लिये आन्दोलन करते आये हैं। उस समय उसकी लागत कुल छै लाख रुपये थी। पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। १९३७ में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनने पर हमसे कहा गया कि चूंकि इस योजना से साढ़े तीन प्रतिशत का वांछित प्रतिफल नहीं मिलता अतः इस योजना को आरम्भ नहीं किया जा सकता। आप प्रति दूसरे तीसरे वर्ष अकाल सहायता पर ३० या ४० लाख रुपये व्यय करते हैं। और इसी कारण हमारा अनुरोध था कि अकाल निवारक योजना के रूप में ही इसे अपना लिया जाय। और सिंचाई मंत्री द्वारा यह बात स्वीकार भी कर ली गई थी; पर मुख्य मंत्री ने कहा कि साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिफल वाले सरकारी

आदेश की पूर्त्ति न करने के कारण इसको नहीं अपनाया जा सकता। १९३७ से १९४७ आ गया, प्रति वर्ष अकाल सहायता पर लाखों-करोड़ों व्यय होते रहे, पर यह योजना न अपनाई जा सकी। अन्त में केन्द्रीय सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना या छोटी सिंचाई योजनाओं को सहायता के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। पर छै लाख के स्थान पर अब २१ लाख व्यय करने पड़ेंगे। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये बीस लाख रुपये निश्चित किये हैं, पर बांध बनने के बाद पानी ले जाने के लिये स्थायी नालियां भी बनानी पड़ेंगी और यह लागत बीस लाख से अधिक हो जायेगी। सौभाग्य से इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई और पानी भर गया। किन्तु बांध के बार बार टूटने के कारण उसकी बार बार मरम्मत करनी पड़ी।

मैं यह उदाहरण इस लिये दे रहा हूं कि जब तक इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा और इस प्रकार का एक स्पष्ट निदेशक तत्व नहीं रखा जायगा, यह गड़बड़ी इसी प्रकार चलती रहेगी।

दूसरी बात शिक्षा अर्थात् विश्व विद्यालय के विषय में है जिसका उल्लेख श्रीबाग समझौते में है, जो राज्य सरकार का विषय है। उच्च न्यायालय और राजधानी के दो प्रधान केन्द्रों का चुनाव सिंचाई सुविधायें तथा कृषि सुधार और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में श्री बाग समझौते में जो विशेष ज़ोर दिया गया था उसका उद्देश्य दो वर्गों में अधिकतम सद्भावना बनाये रखना था। मैं कल यह कह चुका हूं कि ये निदेशक तत्व, जो श्रीभाग समझौते में हैं, वर्ग विशेष के लिये ही सीमित नहीं हैं। उनके कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में सभी सहमत हैं। अतः निदेशक तत्व के रूप में अधिमान देने वाला यह उपाय सभी वर्गों में सद्भावना बनाये रखने के लिये अत्यावश्यक है।

अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि प्रविधि सम्बन्धी बातों की वे गहन छान बीन न करें और बाल की खाल न निकालें इसे अपेक्षतया विस्तृत रूप से देखें और लोगों के अधिकतम लाभ और संतोष के लिये मेरे सुझाव को मान लें। यह निदेशक तत्व सदा के लिये न हो कर केवल दस वर्ष के लिये ही हैं, और संविधान की दृष्टि से भी न्यायोचित हैं। यदि इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार न किया जायगा तो रायलसीमावासी यह समझेंगे कि यद्यपि अनुभवी सद्भावनापूर्ण तथा कल्पनाशील व्यक्ति इस प्रकार का उपबन्ध रखना चाहते थे तथापि उनका श्रम विफल हुआ। अतः मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री बी० दास : तीन वर्ष पहले संविधान सभा में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का निर्णय करते समय हमने यह कभी नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार के विधान की आवश्यकता पड़ जायेगी। यह करुण स्थिति है कि आंध्रवासी मद्रासवासियों के साथ एक ही संविधान मंडल के अन्तर्गत नहीं रहना चाहते। रायलसीमावासियों की शिकायतें काल्पनिक हों या तात्विक, यह तो मानना ही होगा कि उनको ठुकराया गया है। वे आंध्र राज्य के समुद्रतटवासियों द्वारा नहीं ठुकराये गये हैं, जैसा मेरे परम मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव का अभिप्राय था, बल्कि वे परिस्थितियों द्वारा ठुकराये गये हैं और ब्रिटिश शासन ने भी पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अविकसित बनाये रखा है। पर इसे सुधारने के लिये राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप होने या इस सदन

[श्री बी० दास]

के एक अधिनियम में कुछ निदेशक तत्वों के रखे जाने का मैं विरोधी हूं। संविधान के उपबन्ध ही पर्याप्त हैं और वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के बाद रायलसीमावासियों को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिये। वर्तमान मद्रास सरकार के विरुद्ध तो यह शिकायतें ठीक भी थीं, पर अपने समुद्रतटवासी भाइयों से उनको डरते नहीं रहना चाहिये। तामिलभाषी अपेक्षतया धनाढ्य हैं। संभवतः उनकी संस्कृति आंध्र संस्कृति से मिलती जुलती नहीं है, अतः मद्रास राज्य के इन दो वर्गों में अनबन होना स्वाभाविक है, पर डा० लंका सुन्दरम् आंध्र राज्य के विधान मंडल में रायलसीमावासियों की गर्हणा नहीं कर सकते।

डा० लंका सुन्दरम् : मैंने वह कब किया है ?

डा० बी० दास : नहीं, मैं उस रूप में अपने माननीय मित्र को नहीं देख सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : दो संस्कृतियां नहीं हैं। दो भाइयों में लड़ाइयां होती रहती हैं। और यह उनके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए।

डा० बी० दास : हां, मैं मानता हूं कि दो भाइयों के आपसी निवास, खान-पान या विवाह के प्रश्न उनके ही उपर छोड़ देने चाहियें। केन्द्र को ऐसी विधि पारित न करनी चाहिए।

डा० लंका सुन्दरम् : मुझे आश्चर्य है क इस सदन के पितृतुल्य सदस्य डा० बी० दास इस संशोधन के सिद्धान्तों का विरोध कर रहे हैं यद्यपि इसी विधेयक में उच्च न्यायालय, तुंगभद्रा परियोजना आदि को लेकर राष्ट्रपति को विशेषाधिकार देने वाले उपबंध हैं। यह भी पता नहीं कि यह संशोधन किस कारण संविधान के उपबन्धों का विरोधी है। मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि अब भी रायलसीमा के विषय में कुछ विशेष उपबन्ध रख दें। आंध्र के २००० वर्ष के इतिहास में पहली बार जनसमुदाय का पुनर्गठन हो रहा है और सभी चाहते हैं कि रायल सीमावासियों के लिये कुछ किया जाए। अतः कल जैसे वैध तर्कों की आज आवश्यकता नहीं है और यह उपबन्ध किसी न किसी रूप में रखा जा सकता है। आशा है, आंध्रवासियों को पूर्ण सहयोग का अवसर प्रदान करने के लिये माननीय मंत्री श्री राघवाचारी का यह संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : रायलसीमा की कहानी अत्यन्त करुण है। उस के विषय में की गई प्रत्येक पुकार अरण्य-रोदन सिद्ध हुई है। इस वर्ष भी प्रकृति निर्दय रही है और विशेषतः कल्यानद्रुग, पैनूकोंडा, तदपात्री और मेरे जिले में वर्षा बहुत कम हुई है। अकाल-सहायता-कार्य चल रहा है और अब भी दलिया-केन्द्र खुले हुए हैं। कहीं तो गोदावरी आदि में भयावह बाढ़ लाने वाली भीषण अतिवृष्टि हुई है और कहीं मेरे जिले जैसी अनावृष्टि। इसी से हम लोग श्रीबाग समझौते के कार्यान्वित किए जाने के लिए आग्रह करते रहे हैं। उक्त समझौते में सिंचाई आदि की सुविधाएं देते हुए रायलसीमा और नेल्लोर की आर्थिक स्थिति सुधारने के निबन्धन हैं। रायलसीमा के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए मैं इस सदन का और विशेषतः पंडित ठाकुर दास भार्गव गृह मंत्री और वित्त मंत्री का कृतज्ञ हूं। पर कोरी सहानुभूति से क्या होगा? आशा है अनुभवी गृह मंत्री इस विधेयक में कुछ विशेष निदेश रख देंगे जिस से श्रीबाग समझौता कार्यान्वित हो सके और इस रोग की चिकित्सा हो सके। हमारी भूमि उजाड़ नहीं है और हम पूरे मद्रास राज्य के एक तिहाई

तिलहन, मूंगफली और कपास पैदा करते रहते हैं, पर वहां एक भी तेल मिल या वस्त्र मिल नहीं है । जमीन उपजाऊ होने पर भी समय पर वर्षा होने से फसलें ठीक नहीं हो पातीं, और इसी कारण श्री राघवाचारी ने श्री वांचू के प्रतिवेदन से उद्धहरण देते हुए नए आंध्र राज्य की स्थापना के बाद रायल-सीमा में सिंचाई की विशेष व्यवस्था होने पर ज़ोर दिया है । वहां की एक मात्र नदी तुंगभद्रा को ले कर कल बहुत काफी चर्चा हो चुकी है । कुड्डपा और चित्तूर ज़िलों को सींचने वाली कृष्णा और पेन्नार नदी परियोजनाओं के विषय में हम सरकार से अनुरोध करते रहे हैं । तुंगभद्रा की उच्च तल नहर को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में हमारे अनुरोध को भी नहीं सुना गया है । इसी कारण रायलसीमा की सिंचाई और बिजली संबंधी सुविधाओं के विषय में हम केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर रहे हैं । इन शब्दों के साथ मेरा गृह मंत्री जी से बारंबार अनुरोध है कि श्रीबाग समझौते के कार्यान्वित हुए बिना रायलसीमावासियों के कष्ट बने ही रहेंगे और यह भय भी बना रहेगा कि समुद्रतट वासी उन का शोषन करेंगे । अतः हमें निराश न करके इस के लिए कुछ मार्ग निकाल लिया जाय ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनावश्यक है कि हम बार-बार उसी बात पर अटके रहें । मैं, भारत सरकार और यह सदन—हम सभी रायलसीमा के नागरिकों की कठिनाइयों को गंभीरतापूर्वक समझते हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि आन्ध्र राज्य और उस के विधान मंडल का सर्वप्रथम कर्त्तव्य उन के लिए कुछ करना होगा । पर यहां उठाया गया प्रश्न एक भिन्न प्रश्न है । यह वैध भी है और औचित्य का भी प्रश्न है । इस के वैध स्वरूप का मैंने कल कुछ उल्लेख किया था, पर चूंकि आपने कल रखे जाने वाले खंड ६४-क का नाम लिया था, मैं कहूंगा कि यह निदेशक सिद्धान्त है । संविधान के निदेशक तत्वों का मूल आधार उन का पूरे संघ में लागू होना है । उन सिद्धान्तों का अभिप्राय ही है कि वे साधारणतः पूरे देश में लागू हों और मेरा अपना तथा मेरे विधिज्ञ परामर्शदाताओं का यह विचार है कि राज्य विशेष में सीमित निदेशक तत्वों का इस विधेयक में विनिवेश करने की शक्ति इस सदन को नहीं है । मैं सदन को यह ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि हम यह विधान संविधान के भाग १ के अधीन बनाने जा रहे हैं और अनुच्छेद ३ कहता है कि संसद् विधि द्वारा विभाजन और जोड़-तोड़ आदि करके एक नया राज्य बना सकती है । फिर अनुच्छद ४ कहता है कि अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट होंगे, जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबंध.....भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् आवश्यक समझे । अब वे उपबंध दो राज्यों के बीच अनुपूरक प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबंध हैं । आप एक राज्य को विभाजित कर रहे हैं और इसे उस पर लागू कर रहे हैं । अब आप के सामने नए राज्य या अवशिष्ट मद्रास राज्य के बीच या उन से संबंधित अनुपूरक, प्रासंगिक और आनषंगिक उपबंध हैं । यह सब अनुच्छद ४ क लिए संगत होगा, पर शेष मद्रास राज्य से इस का कोई संबंध नहीं है । आप आंध्र राज्य के ही मार्ग निर्देश के लिए कुछ करना चाहते हैं । मेरा विनम्र निवेदन है और मुझे यह वैध परामर्श मिला है कि अनुच्छेद ४ के अधीन हम ऐसा नहीं कर सकते और मैं माननीय सदस्यों से इस पहलू पर विचार करन के लिए कहूंगा । फिर वैध आपत्तियों के सिवा राज्य के पुनः संगटन की सभी कठिनाइय

[डा० काटजू]

निर्माताओं ने कभी यह सोचा था कि इस विशेष भाग १ के अधीन विधियां पारित करते समय संसद को ऐसे निदेशक तत्व रखने पड़ेंगे जो विभाजित होने वाले राज्यों तक ही सीमित न रहें।

श्री लक्ष्मय्या : मैं चाहता हूं कि आन्ध्र राज्य को निदेश दिया जाय कि वह रायल-सीमा के विकास के लिए पांच वर्ष तक व्यय के लिए पर्याप्त निधि वाला एक बोर्ड बनाए।

डा० काटजू : यह पूर्णतः आन्ध्र विधान मंडल के क्षेत्राधिकार का विषय है। यह सर्वसाधारण बात है। संविधान में राज्य के विषयों की एक सूची है। राज्य की कार्य-पालिका का अधिकार उस में .....

श्री लक्ष्मय्या : बेटा सहायता के लिए बाप के पास जाएगा।

डा० काटजू : मान लो, सिंचाई, बिजली या अन्य को विषय राज्य सूची में है, तो क्या संसद् कह सकती है कि उस विषय को नवनिर्मित विधान मंडल न निपटाएगा, बल्कि उसे बिलकुल भिन्न रूप में निपटाया जायगा। मुझे जो परामर्श दिया गया है उस के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा मैं ने कहा, हमारी सहानुभूति उन के साथ है। आन्ध्र देश में इधर पांच जिले हैं, जब कि छः जिले तटीय जिले हैं। मान लो, संसद् यह सिद्धान्त अपना लेती है, तो यह एक पूर्व दृष्टान्त बन जायगा और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार की मांगे आप के सामने आ रही हैं, जब कभी इस प्रकार की मांग होगी जिले - जिले पर ध्यान देने के लिए अलग मांगे की जाएंगी कि मैं अमुक जिला हूं और मुझे राज्य अंगभूत भागों पर भरोसा नहीं है और मेरे लिए इस राज्य में विशिष्ट निदेशक तत्व रखा जाए। और ऐसी मांगें सर्वत्र की जाएंगी। मेरा सादर निवेदन है कि इस संबंध में ऐसा कुछ करने की बात कभी भी नहीं सोची गई थी।

अब जहां तक गुण-दोष का संबंध है, हमने श्रीबाग समझौते के विषय में बहुत कुछ बातें सुनी हैं। वह एक काल विशेष के गण्यमान्य सार्वजनिक नेताओं के बीच हुआ पारस्परिक समझौता था और अब आप उसे विधान मंडल की उच्च कसौटी पर खींच लाना चाहते हैं। निदेशक होने के कारण ही इसका कुछ विधायी प्रभाव या कार्यपालिका निष्ट प्रभाव नहीं हो जाता। यह तो एक सैद्धान्तिक तत्व या सहानुभूति युक्त सिद्धान्त की घोषना मात्र है। मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन में कहते हैं कि 'राज्य के शासन में आन्ध्र सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि दशम अनुसूची में वर्णित श्रीबाग समझोते में अंतर्विष्ट सिद्धान्तों का प्रवर्तन करे।

यदि खंड ६७-क पारित हो गया, तो यह प्रभावी हो जाएगा। मैं ने श्री बाग समझौते को पढ़ लिया है। पहले यह विश्व-विद्यालयों को लेता है, फिर सिंचाई, और फिर विधान मंडल को लेते हुए कहता है:

> "विधान मंडल में साधारण स्थानों के विषय में वितरण साधारणतः समान जिला आधार पर किया जाएगा।"

मैं नहीं समझता कि इस का क्या अभिप्राय है।

श्री राववाचारी : मैं कह चुका हूं कि वर्तमान व्यवस्था में इस का पालन असंभव है।

डा० काटजू : फिर अंतिम खंड कहता है कि "इन निबन्धनों को सर्वसाधारण की स्वीकृति से बदला जा सकेगा।" इस का क्या अर्थ है? ऐसी बात तो कभी सुनने में नहीं

आई कि लगभग दसेक वर्ष पहले—मुझे ठीक तिथि विदित नहीं है—सार्वजनिक नेताओं द्वारा किया गया कोई समझौता संविधि निर्वाचित सदस्यों के ऊपर मार्गनिर्देश के रूप में लादा जाए । मित्रवर डा० लंकासुन्दरम २००० वर्षों के इतिहास में आंध्रवासियों की एकता का जो भावोद्रेक पूर्ण वर्णन करते हैं, वह हृदयस्पर्शी है । पर आप वहां जा कर अपने विधानमंडल का पहला सत्र बुलाइए । मेरे मित्र को वहां और भी मित्र मिल जाएंगे और मेरे विचार से आध्र विधान सभा में पारित होने वाले पहले संकल्प में यह कहा जाना चाहिए कि, "यह सदन जोरदार शब्दों में यह निश्चय करता है कि उसे रायलसीमा वासियों की चिन्ता है और उनके प्रति उसे सच्ची सहानुभूति है और संकल्प करता है कि सिंचाई, देहाती विद्युत्करण, बिजली के वितरण स्थानों के वितरण तथा अन्य सभी बातों में रायलसीमा वासीयों या रायलसीमा भूखंड का सर्वाधिक ध्यान रखा जाएगा ।" सब सदस्य इस के पक्ष में बोलें, और यह उत्साह के साथ पारित हो, तो आपके अभीष्ट की पूर्ती हो जाएगी ।

और इस में है क्या ? इस निदेश का अर्थ क्या है ? इस में केवल चार पंक्तियां हैं । न आप राज्य पाल को निदेश दे रहे हैं, न मंत्रियों को । आप कह रहे हैं कि आंध्र सरकार या आंध्र राज्य यह करे या वह करे । संसद् जब कभी कोई विधि अधिनियमित करती है, तो किसी उद्देश्य से करती है । वस्तुत: हमारे संविधान तक में निदेशक तत्वों का उल्लेख एक असामान्य बात है । अन्यथा यह वाचिक सहानुभूति भर है । यह वाचिक सहानुभूतियां इस सदन को प्रकट नहीं करनी चाहिए । वे बहुत कुछ प्रकट की जा चुकी हैं । वे नवनिर्वाचित आंध्र विधान मंडल द्वारा प्रकट होनी चाहिएं । अन्यथा मान लो, निशेदक तत्व रख दिया गया, पर उस की पूरी अवहेलना होती है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता तो क्या किया जाएगा ? वह बिलकुल निरर्थक रह जाएगा । सर्वश्रेष्ट उपाय यह है कि डा० लंका सुन्दरम् जिन का प्रभाव अपरिमित है, आंन्ध्र देश में तटीय जिला-वासियों के निकट जायं और उन का समुचित आयव्ययक पारित करते हुए और समुचित उपबंध रखते हुए अपनी सहानुभूतियां क्रिया में अनूदित करने के लिये प्रोत्साहित करे । अत: पहले तो इस के संविधान के प्रतिकूल होने, दूसरे इस के किसी विशेष लक्ष्य में उपयोगी न होने और तीसरे भविष्य के लिए इस के एक अत्यन्त बुरे पूर्वदृष्टान्त बन जाने के आधार पर—अर्थात् यह हमें बड़ी कठिनाइयों और अकल्पित अड़चनों में डाल देगा—मेरा विचार है कि यह पारित न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

खंड ६८ और ६९ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची

श्री गौडलिंगन गौड (कुरनूल) : मैं ने अपने संशोधनों में यह प्रस्ताव रखा है कि कुरनूल जिले का वंगनपल्ली उपताल्लुका कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र से निकाल कर अनन्तापुर निर्वाचन क्षेत्र में मिला दिया जाये ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : श्रीमान्, विधेयक के खण्ड ३ और ४ के सम्बन्ध में पहले ही निश्चय कर दिये जाने के कारण यह खण्ड अवरोधित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह खण्ड ३ तथा ४ के पारित हो जाने से अवरोधित नहीं हो जाता । इस के सम्बन्ध में कोई

[उपाध्यक्ष महोदय]

टेकनिकल आपत्ति नहीं है । माननीय सदस्य अपने संशोधन के बारे में सदस्यों से अपील कर सकते हैं ।

श्री गौडलिंगन गौड : सरकार सिरुगुप्पा को मैसूर राज्य में मिला रही है तथा उस के स्थान पर वर्तमान कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र में ढोन ताल्लुका तथा बंगनपल्ली का उपताल्लुका मिलाना चाहती है । इस प्रकार सिरुगुप्पा के स्थान पर जिस की आबादी ७४,९६६ है, सरकार १,७०,६८१ आबादी वाला क्षेत्र कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र में मिलाना चाहती है ।

लोक-सभा में नये आंध्र राज्य को २८ सीटें दी गई हैं अर्थात् ७,५०,००० व्यक्तियों के पीछे एक सदस्य । कुरनूल की आबादी पहले ही ८,४६,६६९ है जब कि अनन्तपुर की आबादी केवल ७,१९,२०४ है । इस प्रकार लगभग ३०,००० की कमी है । इसे पूरा करने के लिये मैं चाहता हूं बंगनपल्ली का उपताल्लु को जिस की आबादी ४३,४४७ है अनन्तपुर ज़िले में मिला दिया जाये ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री लक्ष्मय्या : मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं । क्यों कि परिसीमन आयोग इस मामले के सम्बन्ध में जांच कर रहा है इसलिये यह मामला उसी पर छोड़ दिया जाना चाहिये । उस की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात्, यदि आवश्यकता पड़े तो, केन्द्र इस में हस्तक्षेप कर सकता है । जब तक परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता है तब तक वर्तमान स्थिति ही चलने दी जाये ।

डा० काटजू : अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो कारण बतलाये हैं उन्हीं के कारण मैं भी इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई ।

तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई ।

चौथी अनुसूची

गृह–कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २७ से २९ तक में,

जहां कहीं भी "21st April" (२१ अप्रैल) आता हो उस के स्थान पर "20th April" (२० अप्रैल) आदिष्ट किया जाये ।

२१ अप्रैल गलती से छप गया है जब कि वास्तव में अवधि २० को ही समाप्त हो जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ २७ से २९ तक में,

जहां कहीं भी "21st April" (२१ अप्रैल) आता हो उस के स्थान पर "20th April" (२० अप्रैल) आदिष्ट किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चौथी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ली गई ।

पांचवीं और छठवीं अनुसूचियां विधेयक का अंग बना ली गईं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सातवीं अनुसूची बाद में ली जा सकती है । हम पहले आठवीं

अनुसूची लेंगे। आठवीं अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

श्री गोपाल राव : खण्ड ४७ और सातवीं अनुसूची को एक साथ ही लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु चर्चा प्रत्येक खण्ड पर होगी।

खण्ड ४७ (परिसम्पत् तथा दायितायें)

डा० लंका सुन्दरम् : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट १४ और १५ में, खण्ड ४७ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"47. *Apportionment of assets and liabilities.*–The assets and liabilities of the State of Madras as dealt with in the Seventh Schedule, as also current revenues and expenditure, shall be divided between the States affected by this Act by an order of the President of India, on the recommendation of a neutral Commission of experts, presided over by a Judge of the Supreme Court."

[४७. **परिसम्पत् तथा दायिताओं का संविभाजन.**—मद्रास राज्य की परिसम्पत् तथा दायितायें, जैसा कि उन का सातवीं अनुसूची में उल्लेख है, और चालू राजस्व तथा व्यय, इस अधिनियम द्वारा प्रभावित राज्यों के बीच, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक तटस्थ आयोग की सिफारिशपर, राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा, विभाजित किये जायेंगे।]

श्री रघुरामय्या : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि अवशिष्ट मद्रास, आंध्र तथा मैसूर राज्यों के बीच परिसम्पत् तथा दायितायें एक वित्तीय आयोग के निर्णय के अनुसार संविभाजित की जायें। इस आयोग में तीन सदस्य हों तथा उन में से एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो तथा इस आयोग को निश्चित तिथि से पहले राष्ट्रपति नियुक्त करें। परिसम्पत् का मूल्य निर्धारण, आयोग, निश्चित तिथि के दिन उस के बाजार मूल्य के अनुसार करे तथा उस समय तक संविभाजन सातवीं अनुसूची के अनुसार किया जाये।

श्री नाना दास (ओंगोल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि परिसम्पत् तथा दायितायें सातवीं अनुसूची के अनुसार संविभाजित किये जाने की बजाय आबादी के आधार पर संविभाजित की जायें।

श्री राघवाचारी : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि परिसम्पत् तथा दायिताओं के संविभाजन से उत्पन्न होने वाले किसी भी झगड़े का निर्णय राष्ट्रपति एक ऐसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर दें जिस का अध्यक्ष कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि परिसम्पत् तथा दायिताओं का संविभाजन सातवीं अनुसूची के अनुसार न कर के विशेषज्ञों के आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिये। इस आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिये तथा इस आयोग को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम : इस विधेयक का खण्ड ४७ तथा सातवीं अनुसूची आंध्र राज्य वालों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार इस विधेयक द्वारा जिस ढंग से परिसम्पत् तथा दायिताओं की समस्या को सुलझाने जा रही है उस से आंध्रवासी काफी उत्तेजित हो उठे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने १७ तारीख के भाषण में अनेक बातें कही थीं। उन्हों ने कहा था कि इस सम्बन्ध में जो आलोचना की जा रही है वह पूरी पूरी बातों को ध्यान में न रखते हुए की जा रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मद्रास विधान-सभा में तथा गैर-सरकारी रूप से सूचना जानने की कोशिश की गई थी मगर हमें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हों ने यह भी कहा था कि परिसम्पत् को आबादी के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों को मद्रास में ही खत्म कर दिया गया था। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह स्थिति आंध्र वासियों के लये किसी प्रकार भी हितकर नहीं है। मेरे विचार में मद्रास सरकार तथा भारत सरकार ने अपना कर्त्तव्य पालन करने में बहुत ही अधिक लापरवाही दिखलाई है। आन्ध्र राज्य तथा अवशिष्ट मद्रास राज्य के बीच विभाजित की जाने वाली परिसम्पत् तथा दायिताओं के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संग्रह नहीं की गई है।

इस मास की १३ तारीख को सामान्य वाद-विवाद के सम्बन्ध में मैं ने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि जो आंकड़े दिये गये हैं उन के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की जा सकती है। मद्रास विधान सभा के सामने १९५३–५४ का जो आयव्ययक आगगन रखा गया था उस के परिशिष्ट को देखने से जान पड़ता है कि ऐसा प्रयत्न किया गया है कि आंध्र देशवासी जानकारी प्राप्त न कर सकें। मद्रास विधान सभा में जो दस्तावेज़ बांटे गये हैं उन से इन के कथन की पुष्टि नहीं होती है। स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया गया है कि कुछ लेन-देन ऐसे हैं जिन का पता नहीं लगता है। मैं केवल यह दिखाना चाहता हूं कि विधान सभा के सामने हिसाब किताब जिस ढंग से रक्खा जाता है उस से स्पष्ट है कि भारत सरकार को इस विधेयक में रखने के लिये जिस जानकारी की आवश्यकता है उस को उपलब्ध करने के ढंग में कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण दोष है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

मद्रास विधान सभा की यह बड़ी कर्त्तव्य उपेक्षा है कि उस ने इस वर्ष निवियोग विधेयक पारित नहो किया है। यह ठीक है महालेखा परीक्षक भी हैं और हिसाब किताब भी रक्खा ही जायगा परन्तु भारत के एक नागरिक तथा इस सदन के सदस्य के नाते यह मेरा अधिकार है कि मुझे भी सारी जानकारी प्राप्य हो। मेरा कहना है कि मेरा सूचना प्राप्त करने का रास्ता बन्द है। जब मैं "मैं" कहता हूं, तो मेरा तात्पर्य इस सदन के प्रत्येक सदस्य से है।

मेरे माननीय मित्र, गृह कार्य मंत्री ने हम लोगों को एक अनियमित बैठक में बताया है कि, निश्चित तारीख पर मद्रास राज्य का कुल पूंजी व्यय ११७ करोड़ रुपया होगा। इस में से आंध्र का भाग ३५ करोड़ तथा मैसूर का भाग १४ करोड़ होगा। सारे मद्रास राज्य का लोक ऋण ११७ करोड़ होगा, इस में से ८७ करोड़ सार्वजनिक ऋण से प्राप्त होगा तथा ३० करोड़ राजस्व से। मेरी मुख्य आपत्ति यही है कि यह आंकड़े कहां से प्राप्त किये गये हैं। इसी लिये इस महीने की १३ तारीख को मैं ने प्रवर समिति के लिये कहा था। मद्रास विधान सभा में, तथा अन्य विधान सभाओं ने जहां यह विधेयक, उपलेख के

रूप में, भेजा गया था सदस्यों को इन आंकड़ों की छान बीन करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया । हम से बिना यह बताये हुए कि इन आंकड़ों का ठीक ठीक अभिप्राय क्या है, मतदान मांगा जाता है । १९५२–५३ के मद्रास सरकार के आयव्ययक स्मरण पत्र के पृष्ठ १४५ तथा १४६ को देखने से जान पड़ता है कि कल हमें जो आंकड़े दिये गये थे उन का इन आंकड़ों से ताल मेल नहीं है । कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जिस से हमें पता लग सके कि इस वर्ष की ३१ मार्च से लेकर उस समय तक क्या हुआ जब कल हमें वे आंकड़े दिये गये थे । इस सदन के सदस्य के रूप में हमें इस सूचना के प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु हमें यह सूचना नहीं दी जाती है ।

उस दिन माननीय गृह-कार्य मंत्री कहते थे कि हम सिद्धान्त बना रहे हैं उस के बाद देखिये क्या होता है । भावी आंध्र राज्य तथा अवशिष्ट मद्रास राज्य के बीच आस्तियों तथा दायित्वों के बटवारा करने की यह न्यायपूर्ण विधि नहीं है । इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार जिस प्रकार आस्तियों तथा दायित्वों का बटवारा किया जा रहा है उस के अनुसार हम केवल दायित्वों में ही हिस्सा पावेंगे । संविधान सभा के राष्ट्रपति ने एक समिति, धर समिति नियुक्त की थी जिस ने आंध्र तथा अन्य प्रान्तों के प्रश्न की बड़ी गहन छान बीन की है । धर समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ८६ पर सिफ़ारिश की है कि सरकार को चाहिये कि आस्तियों का आगणन बाजार मूल्य के अनुसार करे और जनसंख्या या राजस्व के आधार पर दोनों प्रान्तों के बीच उन का आवंटन कर दे और जिस प्रान्त का भाग कम हो उस की क्षति पूर्ति नक़द धन राशि से कर दी जाय । मैं अपने माननीय मित्र वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस सिफारिश का क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारे पास नक़द धन राशि नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम : निश्चय ही यह कहना सरल है कि नक़द धन राशि हमारे पास नहीं है । मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित विभाजन समिति के प्रतिवेदन के अनुबन्ध १ की कंडिका २० में कहा गया है कि विभाजन के अन्तिम समायोजन होने के समय तक दस करोड़ रुपये के मूल्य की प्रतिभूतियां मार्ग तथा उपाय प्रयोजनार्थ आंध्र प्रान्त को हस्तान्तरित कर दी जायगी तथा शेष प्रतिभूतियां मद्रास प्रान्त को दे दी जायेंगी । निश्चय ही मेरे माननीय मित्र कहेंगे कि नक़द धनराशि नहीं है । तो यह भी तो नहीं हो सकता कि आस्तियां तो जहां हैं वहीं रहें और दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाय । मेरा कहना है कि मद्रास के अविभाजित राज्य को जिस प्रकार बांटा गया है उस की जांच की जाय तथा यह कि आंध्र उचित और समान विभाजन कराने का अधिकारी है ।

मद्रास सरकार के वित्त पर वाद विवाद करना विषयांतर हो सकता है परन्तु हमारे पास और साधन ही क्या हैं । सारी प्रकाशित सामन्ती को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सारा हिसाब किताब बनाया इस प्रकार गया है जिस से भावी आंध्र राज्य को उस के लिये आवश्यक आस्तियों तथा दायित्वों से बंचित रक्खा जा सके ।

१३ तारीख को मैं ने श्री विश्वनाथन तथा मद्रास सरकार के मध्य के सारे पत्र व्यवहार को पढ़ कर सुनाया और दक्षिण के भूमि बंधक बैंकों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो जवाब दिया गया कि यह प्रश्न इस योग्य नहीं है कि इस के लिये कष्ट उठाया जाय । ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया जाता है ।

[डा० लंका सुन्दरम्]

सभापति महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि खण्ड ४७ तथा सातवीं अनुसूची आंध्र जनता के वास्तविक, कानूनी तथा उचित हितों के सर्वथा विरुद्ध है। इसी लिये मैं ने संशोधन की सूचना दी है और यह संशोधन भी मद्रास विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की अक्षरशः प्रतिलिपि हैं। संशोधन का अभिप्राय यह है कि निश्चित तिथि पर आंध्र का बटवारा हो जाय परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सभापतित्व में एक आयोग, द्वारा इस की जांच होती रहे। मेरे विचार से यह बहुत तर्कपूर्ण प्रस्ताव है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस का ध्यान रखना चाहिये कि आंध्र वासियों को यह सन्देह न रहे कि उन के साथ अन्याय किया गया। इस का आधार इसी पर है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानने का हमें अवसर नहीं दिया जा रहा है। हम से कहा जाता है कि इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लो; जो परस्पर विरोधी हैं क्योंकि सातवीं अनुसूची में तीन सिद्धान्त हैं।

भारत सरकार आंध्र तथा मद्रास के अवशिष्ट राज्य के बीच न्याय नहीं कर रही हैं। सरकार पक्षपात से काम ले रही है। यह सारे देश के लिये अच्छा नहीं है।

श्री रघुरामय्या : यद्यपि मैं केन्द्रीय सरकार को पक्षपाती हीं समझता हूं फिर भी मैं यह अनुभव करता हूं कि आंध्रवासियों में ऐसा सन्देह व्याप्त है। जिस का कारण केवल इतना है कि हमें तथ्य आंकड़े नहीं बताये गये हैं। हम यह समझते हैं कि मद्रास सरकार ने जो तथ्य तथा आंकड़े दिये हैं वही सरकार ने हमारे सामने रख दिये हैं। मद्रास सरकार की ईमानदारी पर सन्देह करने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसी लिये हम कहते हैं कि भारत सरकार को चाहिये कि निष्पक्ष आयोग से जांच करवा कर वह इस बात का सन्तोष कर ले। यह तो एक सिद्धान्त का प्रश्न है। कल दूसरे प्रान्तों में विभाजन का प्रश्न आ सकता है। आस्तियों तथा दायित्वों के बटवारे, क्या हम, उन आंकड़ों के आधार पर करेंगे, जो कि प्रान्त विशेष हमारे सामने उपस्थित करेगा; यह जानते हुए कि प्रान्तविशेष के अधिकारी पक्षपाती हो सकते हैं।

कल जब मैं ने कहा था कि स्थानीय संस्थाओं को दिये जाने वाले एडवांस का एक बहुत बड़ा भाग अवशिष्ट मद्रास राज्य को दिया गया है तथा आंध्र में बहुत कम भाग व्यय किया गया है मुझे उत्तर दिया गया था, "नहीं, नहीं; जस्टिस वांचू ने आंकड़े दिये हैं जिस से प्रतिशतता लगभग ३६ जान पड़ती है"। वास्तव में जो आंकड़े जस्टिस वांचू ने दिये हैं वे ३१ मार्च १९५२ तक के हैं। तब से एक वर्ष बीत चुका है। फिर भी इन आंकड़ों से भी हिसाब लगाने से जान पड़ता है कि स्थानीय संस्थाओं को केवल ३३ प्रतिशत एडावांस दिया गया है।

जहां तक स्टोर्स का सम्बन्ध है हमें नहीं पता उन का मूल्य लाखों में है या करोड़ों में। यह कितना अन्याय होगा कि स्टोर्स का बटवारा इन्डेन्ट्स के हिसाब से किया जाय। जब इतनी चीज़ों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है तो क्या यह तर्कपूर्ण नहीं है कि उसी प्रकार स्टोर्स का भी बटवारा कर दिया जाय।

कहा गया है कि पूंजी विनियोग के आधार पर दायित्वों का बटवारा किया जायगा। कहा जाता है कि पूंजी विनियोग ११७ करोड़ रुपये का है। मुझे नहीं पता कि यह अंक ठीक है। फिर करोड़ों रुपये का व्यय बिना किसी हिसाब किताब के रक्खे किया गया है। कहा जाता है, "आप पांच लाख के खर्च की

क्यों परवाह करते हैं ?" पर आंध्र के जैसे घाटे वाले राज्य के लिये एक लाख रुपया भी बहुत है ।

आप को आंध्र जाने भर की देर है कि आप को ज्ञात हो जायगा क आंध्र की सड़कों की दशा कैसी दयनीय है । मार्ग निधि के अवशिष्ट भाग के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उस के अनुसार इस का विभाजन ३६ प्रतिशत के आधार पर होगा और वह भी जब मद्रास सरकार उस का सब से अधिक भाग व्यय कर चुकी है । हमारे मार्गों के सुधार के लिये उन्हों ने हमें हमारा उचित भाग दिया भी नहीं और अब जो बचा है उसे भी ले जाना चाहते हैं ।

जहां तक राजस्व के व्यय करने का सम्बन्ध है हमें नहीं पता कि इतने वर्षों से राजस्व का व्यय किस प्रकार किय गया है । उस स्वतन्त्र समिति के सदस्य जिनको यह कार्य सौंपा जायगा वे बहुत ईमानदार और बड़े अनुभव वाले व्यक्ति होंगे । वे इस बात की जांच करेंगे कि समन्याय के सिद्धान्तों का कहां तक विचार किया गया है । हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि भारत सरकार सन्तोष कर ले । मद्रास सरकार के दिये हुए तथ्य तथा आंकड़ों पर विश्वास कर के कार्य न करे जिन की सत्यता के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते हैं ।

आखिरकार खण्ड ५१ में इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है । अन्तर केवल इतना है कि खण्ड ५१ में किसी के चाहने पर ऐसा होगा और हम चाहते हैं कि भारत सरकार स्वयं इस कार्य को कर डाले । यह आंध्रवासियों की सर्वसम्मति से की जाने वाली प्रार्थना है ।

श्री राघवाचारी : मैं समझता हूं कि मेरे तथा सरकार के इन आस्तियों तथा दायित्वों के वितरण करने के तरीके में कोई अधिक अन्तर नहीं है । इस प्रकार के वितरण के संबंध में होने वाले झगड़ों आदि में राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा । इसमें मैंने कुछ संशोधन करने के लिये अनुमति ले ली है । "निर्णय" तथा "अन्तिम होगा" शब्दों के बीच जोड़िये "उच्चतम न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता में समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित ।"

राष्ट्रपति का निर्णय वही होगा जो केन्द्रीय सरकार का निर्णय होगा । अतः इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पक्षपात रहित निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं । हां इतना अवश्य है कि केवल एक व्यक्ति पर इसका निर्णय छोड़ देना उचित नहीं वरन , एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिये जो इन झगड़ों की पूरी जांच करने के पश्चात अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को दे और अन्त में राष्ट्रपति उन सिफारिशों को ध्यान में रख कर अपना अन्तिम निर्णय दे । यह मेरे संशोधन का क्षेत्र है । केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित किया है कि आस्तियों तथा दायित्वों का बटवारा तालिका ७ के अनुसार किया जाना चाहिये । इस पर मद्रास विधान सभा ने यह निश्चय किया है कि यह निर्णय एक समिति की सिफारिशों पर किया जायेगा । ये सिफारिशें संविधान के अन्तर्गत बाध्य नहीं की जा सकती । उनको मानना या न मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है किन्तु लोक सम्मति के अनुसार यह तरीका उचित नहीं है ।

आज तामिल तथा अन्य लोगों के मस्तिष्कों में अनेक प्रकार की शंकायें हैं । आज वे इस संबंध में सरकार की मनोवृत्ति जानने के इच्छुक हैं । आन्ध्र राज्य या वे क्षेत्र जो इसके अन्तर्गत आते हैं अविकसित हैं अवशिष्ट राज्य के क्षेत्रों का विकास भली प्रकार हो चुका है । हम लोग बराबर इसी के लिये चिल्लाते रहे हैं कि इन क्षेत्रों के विकास

[श्री राघवाचारी]

की ओर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये। हमसे मेरे माननीय मित्र श्री रामस्वामी कहते हैं कि आपके ६ या ७ मंत्री हैं आपको क्या चिन्ता ? किन्तु केवल इससे ही सब कुछ नहीं हो जाता जब तक कि इन उपेक्षित भागों की उन्नति के लिये कुछ उपाय नहीं किये जाते तब तक उनका होना न होना बराबर ही है।

हम रायलसीमा में मैसूर राज्य से बिजली लाना चाहते थे जिससे ग्रामों की उन्नति हो सके किन्तु मद्रास सरकार यह पसन्द नहीं करती थी। परिणाम यह हुआ कि हम लोगों के श्री श्रीप्रकाश, जो वर्तमान राज्यपाल हैं, उनके पास प्रत्यावेदन करने पर भी कुछ लाभ न हुआ जिसका कारण बताया जाता है धन की कमी। यद्यपि सरकार चाहती तो किसी प्रकार लकड़ी के खम्भ ही लगवा कर कम से कम खर्च करके इसका प्रबन्ध कर सकती थी किन्तु उसने नहीं किया। अब वह कहती है कि यदि आप बिजली चाहते हैं तो १००० रुपया जमा कीजिये या सरकार को उतनी राशि ऋण पर दीजिये जितने में बिजली का आवश्यक सामान खरीदा जा सके।

दूसरा उदाहरण यह है कि कई वर्ष पूर्व कदीरी, पेनूकोंडा तथा मदनापल्ली में ताप केन्द्र स्थापित करने के लिये कुछ राशि स्वीकृत की गई थी किन्तु वह आज तक पूरी न हो सकी। इंजन तथा मशीनें आदि अवशिष्ट मद्रास राज्य के अन्य कई भागों में लगा दी गई हैं।

ठीक यही दशा सिंचाई के संबंध में भी लागू होती है।

इस प्रकार आन्ध्र के इस क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ सिंचाई की सुविधायें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व दी गई थीं जब एक दो परियोजनाएं बनाई गई थीं। आज हमयह चाहते हैं कि यदि एक भाग की उन्नति एवं विकास किया जाता है तो दूसरा भाग उपेक्षित क्यों पड़ा रहे। उसके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिये। अतः हम इस सम्बन्ध में न्याय की मांग करते हैं।

वित्त मंत्री का कथन है कि यह किसी कर्म के बंटवारे का मामला नहीं है, यह प्रशासन कार्य है जो किसी भी प्रकार रुकना नहीं चाहिये। मेरा कहना है कि वास्तव में यह बंटवारे का प्रश्न है यदि ऐसा न होता तो अस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के लिये वे नहीं कहते। इस पर ध्यान देकर कार्य करने और न्याय करने की आवश्यकता है। न्याय भी वैसा जैसा कि लोग चाहते हैं ताकि मालूम पड़े कि न्याय किया जा रहा है।

इस विभाजन के कुछ सिद्धान्त भी होने चाहियें। यद्यपि तालिका में दिये हुए बहुत से सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मेरा विभेद नहीं किन्तु मैं चाहता हूं कि वे सिद्धान्त ऐसे हों जिनसे आस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के निर्णय में पथ-प्रदर्शन किया जा सके।

डा० लंकासुन्दरम ने बताया है कि मद्रास में उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न करने पर भी कुल राशि तथा अन्य तकावी कर्जों आदि के आंकड़े आज तक नहीं बताये गये हैं। आज जब कि विभाजन का प्रश्न सम्मुख है तो कुछ न कुछ जोड़-गांठ कर सरकार को आंकड़े तो देना ही चाहिये। अतः आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े तो मिलने ही चाहियें चाहे उसके लिये अतिरिक्त क्लर्क ही क्यों न रखने पड़ें। सरकारी रजिस्टर तो होंगे ही फिर तो बस जोड़ बाकी ही करनी ही रह जाती है। और केवल तभी कुछ निर्णय किया जा सकता है।

केवल उन आंकड़ों पर जिन्हें ईश्वर ही जानता है, हम लोग विश्वास करने को तैयार

नहीं । सिद्धान्त कितना ही सही क्यों न हो किन्तु जब तक उसका उचित उपयोग नहीं किया जाता तब तक इसमें सुधार सम्भव नहीं । अतः यदि हम इसको सुधारने के लिये कुछ प्रयत्न नहीं करते तो यह बुद्धिमत्ता हित एवं अतार्किक होगा ।

यदि हम इसी प्रकार कार्य करते जायेंगे तो झगड़े बढ़ते जायेंगे और अन्त में हमें राष्ट्रपति की शरण फिर लेनी पड़ेगी और हमारा उद्देश्य कभी पूरा न होगा । अतः यह प्रश्न इस प्रकार हल होने का नहीं ।

इतना ही नहीं ये सिद्धान्त मद्रास राज्य के वित्तीय विभाग के परामर्श द्वारा निश्चित किये गये हैं । आज वास्तविकता का पता लगाने की आवश्यकता है । केवल उन सिद्धान्तों से सहमत होने से ही काम नहीं चल सकता ।

मुझे सिन्ध तथा उड़ीसा के आदेशों के सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना है । इस ऋण का कुछ भाग देश का एक वर्ग सहन करेगा और शेष दूसरा भाग । उनके पास इसके तथ्य एवं आंकड़े हैं । लोक ऋणों के भी वहां नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं । स्टोरों तथा आस्तियों का वितरण भी सामान्य रूप में नहीं हो रहा है । कृषि विभाग में आयल इंजनों का अनुपात ३६ प्रतिशत भी नहीं है । स्टोरों के मामलों में भी पिछले तीन वर्षों से किसी एक सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा है । मद्रास के सभी विभागों के प्रधान कार्यालय हैं । इन प्रधान कार्यालयों के लिये स्टाक को निकाल कर फिर बचता ही क्या है ।

"विनियोजित पूंजी" के अनुसार कर्ज भी वितरित कर दिये जायेंगे ऐसा कहा गया था । किन्तु यह विनियोजित पूंजी कहीं किताबों या रजिस्टरों में दिखाई तो गई होती । चाहे उसका हिसाब रखा गया हो या न रखा गया हो किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें या तो आवश्यक परिश्रम नहीं लगाया गया या इस भावना के कारण कि "ये आन्ध्रवासी तो यहां केवल मुट्ठी भर हैं; हम इस विधेयक को यों ही चला सकते हैं, हम इन आंकड़ों के लिये परिश्रम क्यों करें ?" वित्तीय विभाग में प्रत्येक योजना के लिये भिन्न भिन्न राशि नियत करने के लिये बात की जाती है । अतः यह पता ही नहीं लगने पाता कि इस पर कितनी राशि व्यय की जाने को है । अतः इस प्रकार काम नहीं चल सकता और केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इन सब की जांच करने के लिये एक समिति बनाये जो इन छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा कर दे और यदि झगड़े उठें ही नहीं तो और भी अच्छा है । यदि झगड़े उठते हैं तो वे किसी समिति के पास परीक्षा के लिये भेज दिये जायें और राष्ट्रपति समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना अन्तिम निर्णय दे दें । यही एक हल मेरी समझ से लाभदायक हो सकता है ।

राज्यों के बीच किसी एक तथ्य अथवा अधिकार के मामले में झगड़े को तय करना क्या उच्चतम न्यायालय की सीमा के अन्तर्गत है ? यह प्रश्न साधारण एक बार वाद-विवाद में उठा था । मेरी समझ में तो इस से सिवा झगड़ा बढ़ने के कोई लाभ नहीं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन झगड़ों को तय करने के लिये समिति का अध्यक्ष किसी न्यायाधीश को बना दें । गृह मंत्री ने कहा है कि एक न्यायाधीश जिसे इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी नहीं है कैसे निर्णय दे सकता है । मेरा उन से निवेदन यह है कि जिस न्यायाधीश ने न्यायिक प्रयत्न में प्रत्येक तथ्य या झगड़े पर विचार करने की इतनी शिक्षा प्राप्त की है, उसका निर्णय तो मान्य होना ही चाहिये । मेरा इरादा सरकार द्वारा रचित सम्पूर्ण योजना का विरोध करना नहीं है किन्तु मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि इस पर कई लोगों द्वारा

[श्री राघवाचारी]

शान्तिपूर्वक विचार किया जाये और तभी वास्तविक न्याय हो सकता है वैसे नहीं ।

मेरे विरुद्ध यह आपत्ति निराधार है कि मैं इस विधेयक में विलम्ब कर आंध्र राज्य के निर्माण में बाधा उपस्थित कर रहा हूं । सब से आवश्यक वस्तु तो धन है । न्यायाधीश वांचू ने सिफारिश की है कि कुछ करोड़ रुपया दे दिया जाय तो कार्य चलता रहेगा । झगड़े तो होते रहेंगे और निबटते रहेंगे । यदि हम कर्ज ले कर अपने सिर का बोझा बढ़ाते गये तो इससे कोई लाभ नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि लोगों की यह भावना दूर की जाय कि उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार पर यह उत्तरदायित्व है कि वह अस्तियों तथा दायित्वों का समान वितरण करे । मद्रास को निकाल देने से न केवल एक बड़ी चीज़ ही निकल जाती है वरन् उसको बनाने के लिये कई करोड़ रुपया भी व्यय करना पड़ता । बेल्लारी के निकाल देने से २२ लाख रुपये की हानि हो जाती है । जो लाभदायक तथा काम की चीज़ होती है वह तो इधर दे दी जाती है । केन्द्रीय सरकार का कथन है कि वह कुछ भी सहायता नहीं दे सकती । यदि केन्द्र सहायता न देगा तो जहां कहीं से भी हमें सहायता प्राप्त होगी वहीं हमें जाना पड़ेगा । उसे यह कहना चाहिये था कि हम इतनी धन राशी सहायता में दे सकते हैं, अब आप अपना काम चलाइये । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि पहले इस प्रतिज्ञा-लेख्य पर हस्ताक्षर कीजिये और बाद को कुछ राशि दी जायेगी । यह तो सहायता करने की सीमा है । मैं निवेदन करूंगा कि बहुमत को दृष्टि में रखते हुए पहले सहानुभूतिपूर्ण ढंग में इस पर इस प्रकार विचार किया जाय कि जिस से हमारे साथ न्याय हो सके ।

आंध्र राज्य तथा अवशेष राज्य में दायित्वों और आस्तियों को बांटने के ढंग में कोई नीति अथवा सिद्धान्त दिखाई नहीं देता । भाषा के आधार पर प्रान्तों की बांट के समय इन कारणों से गलत फ़हमी पैदा होने का भय है । जन संख्या के आधार का सिद्धान्त ही सब बातों पर और सारे प्रश्न पर क्यों लागू नहीं किया जाता ?

माननीय वित्त मंत्री श्री देशमुख ने उस दिन कहा था कि यह विभाजन एक छोटे संयुक्त परिवार के विभाजन के समान नहीं है । मैं यह बात नहीं समझ सका, यदि परिवार में एक बड़ा भाई अपने बच्चों पर व्यय करता रहा हो और विभाजन के समय वह दायित्वों का उत्तरदात्वि अन्य भाइयों पर डाले तो वह न्याय संगत नहीं होगा ।

अवशेष राज्य के पास हम बड़े बड़े भवन और कई परियोजनायें छोड़ रहे हैं जो हम ने सामूहिक धन और सांझे परिश्रम से बनाई हैं । परन्तु इस सब की अपेक्षा हमें २३०.४ लाख रुपया दे कर तसल्ली दी जा रही है । हमारे भाग के दायित्व इस राशि में से घटाये जायेंगे । नए आंध्र राज्य पर ही तुंगभद्रा परियोजना के व्यय का दायित्व डाला गया है । मैं तो इसे केवल दायित्वों का विभाजन समझता हूं ।

आंध्र राज्य के सब संसद् सदस्यों ने यह मांग की है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाये जो सारे प्रश्न की जांच करे । मद्रास विधान सभा ने भी यही सिपारिश की है ।

माननीय मंत्री श्री काटजू ने धीमे शब्दों में कहा कि आप आयोग को कहां से आरम्भ करने के लिये कहेंगे कलाईव से लेकर अथवा १८०३, १८०५ से । यह एक न्याय संगत

मांग की निन्दा मात्र है। हम ने तो सदा कहा है कि विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी जाये। निर्देश्य पदों का निर्णय बाद में किया जा सकता है। माननीय श्री काटजू ने वित्त मंत्री द्वारा सहायता का आश्वासन दिलाया। वस्तुतः आंध्र सरकार को कई अवसरों पर अर्थात् राजधानी की रचना, गोदावरी बाढ़ों से पीड़ितों की सहायता इत्यादि के लिये केन्द्र की सहायता मांगनी पड़ेगी। परन्तु हम तो यह कहते हैं कि संयुक्त राज्य में जो कुछ बनाया गया था वह हमारे साँझे परिश्रम और धन से बना है। उस में जो हमारा उचित भाग है उसकी हम मांग कर रहे हैं।

हम यह भी नहीं कहते कि यह अधिकार हमें तुरन्त मिल जाये हमारी मांग तो यह है कि एक विशेषज्ञ समिति सारे विषय की जांच करे।

मैं अन्त में फिर मांग करता हूं कि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये जिस का प्रधान एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो और इस की पूछ ताछ के निर्देश्य पद सीमित हों।

सभापति महोदय : जब हम श्री रामस्वामी की बात सुन लेंगे तो इन्हें अपने संशोधनों का उत्तर देने का अवसर दिया जायेगा।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरे मित्र डा० लंका सुन्दरम ने अपने भाषण में आंध्र के दुख की कथा और कुछ शंकायें कहीं हैं। ऐसी ही शंकायें अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ नम्र शब्दों में व्यक्ति की हैं। उन की शंकाये मद्रास के सम्बन्ध में ही नहीं वरन् केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में भी हैं। केन्द्र पर किये गये अरोप का मैं विरोध करता हूं।

मैं द्वैध शासन से ले कर इतिहास की बात कहता हूं। गत ३३ वर्षों में से लगभग २५ वर्ष से केवल आंध्रजन मुख्य मंत्री रहे हैं। इस में साधारण गलती हो सकती है परन्तु यह तथ्य है। पनागल के राजा से ले कर, मुनिस्वामी नायडू, बोबिली के राजा, कुमार स्वामी ये सब आंध्र जन थे। दो तथाकथित तामिल मंत्री भी आंध्र देश के हैं। श्री ओ० पी० रामस्वामी रेड्डियार तामिल नाद में एक आंध्र हैं। हमारे तो केवल सुब्बारायन ही हैं। इस लम्बे काल में यह सब आंध्र के मुख्य मंत्री थे। इनहोंने संयुक्त मद्रास राज्य का शासन किया है। आज भी मंत्री मण्डल के १५ सदस्यों में से ७ आंध्र के हैं २५ वर्ष तक वे राजनतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर शासन करते रहे हैं। जब वे यह कहते हैं कि उनका शोषण किया गया है तो मुझे यह युक्ति संगत नहीं दिखाई देता। इस युक्ति के आधार पर आयोग की नियुक्ति की मांग करना न्याय सगंत नहीं कि "हमें आंकड़ों का पता नहीं। कागज़ जलाये गये हैं। लेखों में गड़बड़ की गई है।" ब्रिटिश राज्य के १८५८ में सत्तारूढ़ होने से ले कर आज तक सम्पूर्ण लेखे नियमित रूप से रखे गये हैं। ये गैर सरकारी लेखे नहीं हैं। इन लेखों का महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष परीक्षण करता रहा है। इन लेखों में कोई परिवर्तन महालेखा पाल के कार्यालय में, रिज़र्व बैंक, इम्पीरियल बैंक तथा सरकारी कोषों में लेखों का परिवर्तन किये बिना नहीं किया जा सकता। विधान सभा में लगभग १३० आंध्र प्रदेश के सदस्य हैं। कई विभागों के सचिव आंध्र हैं। वे सब लेखे देख सकते हैं। आप केवल मन्त्रियों पर संदेह नहीं करते वरन् उच्च असैनिक सेवा के कर्मचारियों पर भी संदेह करते हैं।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

मध्याह्न

लेखे स्पष्ट और साफ़ हैं। उन में न तो कुछ असद्भाव रहा है और न ही कुछ छपाया गया है।

मैं कुछ तथ्य आप के समक्ष रखता हूं। १९५२ से ३ वर्ष पूर्व ५०.९२ करोड़ रुपयों में से जो पूंजी व्यय पर खर्च किये गये, २१.७६ करोड़ रुपये आंध्र क्षेत्र पर व्यय किये गये। १९५२-५३ में पूंजी व्यय पर २० करोड़ व्यय किया गया और उस में से ८ करोड़ आंध्र को मिला। क्या यह ३६ और ६४ का अनुपात नहीं। उस से कहीं अधिक है। जल विद्युत और तापीय विद्युत पर, मद्रास में ११.१७ करोड़ रुपया खर्च हुआ जब कि आंध्र पर ७.७ करोड़ हुआ, क्या यह ३६, ६४ का अनुपात नहीं है, उससे अधिक है।

एक तथ्य और है। आंध्र के १२ ज़िलों में दो तिहाई ज़मींदारी प्रणाली के अधीन हैं। इस प्रणाली के अधीन राज्य को केवल पेशकश मिलती है, भू-राजस्व नहीं। मद्रास में बिक्री कर के आरम्भ होने से पूर्व राज्य के संसाधनों में केवल भू-राजस्व ही प्रधान था। यह रायतवारी क्षेत्र से मिलता था जो मद्रास राज्य का भाग है। इस प्रकार सारे राज्य का कार्य अवशेष भाग के भू-राजस्व से चलाया जाता था।

डा० रामा राव (काकिनडा) : आंध्र के चार डेल्टा के ज़िलों के सम्बन्ध में क्या है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान हम यह जानते हैं। यह विवाद रहित तथ्य है कि आंध्र का दो तिहाई भाग ज़मीदारी प्रणाली अधीन था।

फिर बिक्री कर के सम्बन्ध में मैं बता दूं कि अवशेष मद्रास राज्य से वसूल किये गये बिक्री कर की तुलना में आंध्र क्षेत्र से वसूल किया बिक्री कर कुछ भी नहीं।

१९४५-४६ के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश का तीन करोड़ का अतिरेक था। अन्य सब वर्षों में घाटा होता रहा है, उसी वर्ष मद्रास क्षेत्र का १२ करोड़ का अतिरेक आयव्ययक था। आंध्र का अतिरेक मद्रास की तुलना में एक चौथाई था। जबकि अत्यधिक बिक्री कर मद्रास से वसूल किया गया है तो आंध्र के सदस्यों को यह कहने का क्या अधिकार है कि उन के साथ धोखा हुआ है।

डा० लंका सुन्दरम् : निरर्थक बाधा डालने का मेरा स्वभाव नहीं है परन्तु क्या मेरे माननीय मित्र एक मिनट वांचू प्रतिवेदन के परिच्छेद ८४ का उत्तर देंगे। उस में लिखा है कि सारे राज्य में ६७ करोड़ २० लाख यूनिट विद्युत् तैयार की गई है जिस में से ४ करोड़ २० लाख यूनिट आंध्र प्रदेश के पास है, शेष अवशेष राज्य के पास है। इस घाटे को पूरा करने के लिये अवशेष राज्य को २५ करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को देना चाहिये। बेशक मंचकुड और तुंगभद्रा पर व्यय की गई राशि इस में से घटाई जाए।

मद्रास क्षेत्र की पाइकारा परियोजना में ४६,००० किलोवाट और मैसूर परियोजना में ४०,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न होती है, इस की अपेक्षा आंध्र क्षेत्र में केवल मंचकुंड परियोजना १०२,००० किलोवाट विद्युत प्रदान करती है और तुंगभद्रा ३०,००० किलोवाट उत्पन्न करती है, इस के अतिरिक्त आंध्र में कई थरमल स्टेशन हैं। विजग, विजयवादा, काकीनाडा और नैलोर स्टेशनों की शक्ति क्रमानुसार ६,००० , १२,००० , १,००० तथा ५,००० किलोवाट तक बढ़ा दी गई है। क्या यह पक्षपात है? ऐसा नहीं वरन हम दोनों दिवालिया हो रहे हैं।

एक और विवाद रहित तथ्य यह है कि कुडप्पा, करनूल, चित्तूर, तथा रायलसीमा में अनन्तपुर के चार कमी वाले क्षेत्र हैं। मद्रास के सब अतिरेक भू-राजस्व अधिकतया रायलसीमा क्षेत्र पर व्यय होते रहे हैं। रायलसीमा पर १८५८ से प्रति वर्ष करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। यदि श्री राघवाचारी आयोग चाहते हैं तो इस आयोग को १८५८ से रायलसीमा पर व्यय किए गए लेखे को हिसाब में लेना चाहिये। यदि लेखों से यह पता लगा कि आंध्र प्रदेश को हमें कुछ देना चाहिये तो वे यह कैसे देंगे। यह आयोग उनके लिये हानिकर होगा।

एक दूसरा आधार जिस पर आयोग की मांग की गई है मद्रास के प्रति संदेह है। हम इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। अप्रत्यक्षतः यह कहा गया है कि उन्हें मद्रास के संयुक्त राज्य पर विश्वास नहीं और लेखों में गड़बड़ की गई है। यह मिथ्या है।

यदि आयोग नियुक्त किया ही जाना है तो यह अनुसूची के सिद्धान्तों की जांच के लिये होना चाहिये। तेलुगु में एक कहावत है :—

"एलीचैटी लैका एकी लैका" जिस के अर्थ हैं कि एक व्यक्ति एलीचैटी का लेखा रखने का ढंग था जिस में सब गड़बड़ थी। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे।

अनुसूची ७ की कंडिका १ भूमि और अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है। क्या आप जन संख्या के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं और भवनों को आंध्र में ले जाना चाहते हैं। एक मूल सिद्धान्त जो रोमन काल से चला आता है स्थान सम्बन्धी है कि विभाजन के समय स्थान पर स्थित वस्तुओं को हस्तान्तरित नहीं किया जाता। भूमि तथा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वांचू प्रतिवेदन में भी यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। इस सिद्धान्त का उल्लंघन गलत है।

आस्तियों के संबंध में सातवीं अनुसूची का मुख्य सिद्धान्त जन संख्या का आधार है। खण्ड २, ४, ६, ७, ८ और ९ में जनसंख्या का विषय है। आधुनिक कर निर्धारण के जनतंत्रात्मक ढंगों में जनसंख्या का आधार स्वीकार किया गया है। यदि हम इसे राजनैतिक क्षेत्र में स्वीकार करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में भी यही सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिये।

कंडिका ६ की उप-कंडिका (३) के परन्तुक में लिखा है कि किसी कर अथवा पेशगी के फलस्वरूप वसूल की गई राशि को मद्रास, आंध्र और मैसूर राज्य में ६२-२/३ : ३६ : १-१/३ के अनुपात से होना चाहिये।

उस सिद्धान्त की प्रतिकूलता भी की गई है जिस में आयकर तथा आबकारी के विभाजन के सम्बन्ध में वित्त आयोग का आयोजन किया गया है। वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि ८० प्रतिशत जन संख्या और २० प्रतिशत आकस्मिक आधार पर आय-कर का वितरण हो। केवल जन संख्या के आधार पर आय-कर के विभाजन से ३० लाख रुपये प्रति वर्ष की हानि हुई है।

केन्द्र की सड़क निधि में हमारा १ करोड़ ५२ लाख रुपया है। मद्रास के अवशेष राज्य के पास बहुत संख्या में मोटर गाड़ियां हैं। यदि यह पैट्रोल के खर्च पर लिया जाना है तो हमें १२५ लाख मिलेगा। इस आधार पर भी हमें घाटा है।

अब मैं मद्रास शहर के प्रश्न को लेता हूं। मैं नहीं समझ सका कि श्री वांचू ने किस प्रकार एक आंकड़ा लेकर उस का दुगना कर दिया है और इस प्रकार निर्णय दे दिया है। ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्हों ने इस को तीन से गुणा नहीं किया। क्या कोई ऐसा पूर्व का उदाहरण है जिस में राजधानी के

[डा० लंका सुन्दरम्]

लिए प्रतिकर दिया गया हो ? बम्बई ने सिंध को कुछ नहीं दिया । बिहार ने उड़ीसा को कुछ नहीं दिया, और क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन में देहली का मूल्य पाकिस्तान को दिया गया था ? यदि श्री राघवाचारी सारे प्रश्न की जांच करना चाहते हैं तो हमें इसे आरम्भ से लेना चाहिए। मद्रास शहर २ १/२ शताब्दी पूर्व क्लाईव ने बनाया था और उस के कई भवन तब बनाए गए थे । हमें केवल १८५८ से इस प्रश्न की जांच नहीं करनी चाहिए ।

इसलिए मैं आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इस की नियुक्ति सिद्धान्त रहित है । सातवीं अनुसूची के सिद्धान्त वहीं हैं जो वित्त आयोग और अन्य आयोगों ने पहले निर्धारित किए हैं । नये आयोग द्वारा कोई लाभ नहीं होगा । और कोई सिद्धान्त नहीं ढंढा जा सकता । इस से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। दावे तथा प्रत्युत्तर के दावे चलेंगे आरोप लगाए जाएंगे । इस समय जो शान्ति और प्रसन्नता का वातावरण है उस में कटुता और सन्देह उत्पन्न होगा । हमें अपने आप को पूर्णतया भारतीय समझना चाहिए और आंध्र, मैसूर अथवा बल्लेरी के आधार पर नहीं सोचना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष उदार भावना से सोचेगा और अपने संशोधनों को वापिस ले लेगा ।

श्री नाना दास: मैं माननीय मित्र श्री रामस्वामी की आलोचना नहीं करना चाहता । मैं नहीं कहना चाहता कि तामिल भाइयों ने हमारे साथ बेईमानी का व्यवहार किया है । मैं तो ऐसे सिद्धांतों की रचना करना चाहता हूं कि जिन से दोनों दलों के साथ न्याय हो । इसी लिये मैं ने संशोधन नं० ७२ प्रस्तुत किया है ।

विधेयक के महत्वपूर्ण खंड ४७ में आस्तियों और दायित्वों के विभाजन का विषय है । इस विभाजन के लिए हमें ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जो भविष्य में आने वाले अवसरों पर भी प्रयोग किए जा सकें । परन्तु खंड ४७ अस्पष्ट, मनमाना तथा अन्यायपूर्ण है । सभा को यह नहीं बताया गया कि आस्तियां और दायित्व क्या है किस राज्य से कितना ऋण प्राप्त होना है और किस से ऋण प्राप्त नहीं होना है । इस जानकारी के बिना वर्तमान आस्तियों और दायित्वों का जनसंख्या के आधार पर विभाजन ही न्यायोचित है । यही वह जनतन्त्रात्मक सिद्धांत है जिसके द्वारा सब के साथ न्याय किया जा सकता है । मैं किसी नए सिद्धांत का सुझाव नहीं दे रहा हूं । यह सिद्धांत विधेयक में भी स्वीकार किया गया है । यह सिद्धांत लोक-ऋणों, मद्रास के सरकारी प्रेस की मशीनरी, तथा मद्रास सरकार द्वारा लिए गए सब ऋणों और पेशगियों के संबंध में स्वीकार किया गया है । आयकर, केन्द्रीय उत्पादन कर, केन्द्रीय सड़क निधि के विभाजन और कुछ उद्योग और वाणिज्य संबंधी आयोजनों अर्थात त्रावणकोर, फरटीलाईज़र तथा कैमीकल्ज़ लि०, मद्रास रोड तथा इलैक्ट्रीकल्स लि० तथा मद्रास उद्योग निगम के संबंध में भी यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है । शेष ऋण जो कई करोड़ रुपये का है, बहुत महत्वपूर्ण मद है । आस्तियों और दायित्वों के विभाजन में इस ऋण का विभाजन एक ज्वलंत समस्या है । अनुसूची ७ की कंडिका १२ की उप-कंडिका (२) में यह कहा गया है कि रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण मद्रास, आंध्र और मैसूर राज्य में उसी अनुपात से बांटा जायगा जिस से इन राज्यों को हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों में पूंजी विनियोग और मुख्य कार्यों पर निश्चित तिथि से पूर्व व्यय किया गया है । इस उप-खंड २ के संबंध में मेरे अपने संदेह हैं । यह नहीं बताया

गया कि मुख्य कार्य और पूंजी विनियोग क्या हैं। इन कार्यों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है इसका हमें पता नहीं है। जस्टिस वांचू के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि सारे संयुक्त प्रांत का पूंजी विनियोग ११,११३.३६ लाख रुपये थी जिस में से ४,१८५,६७ लाख आंध्र के लिये और अवशेष ६,९२७.६९ लाख अवशेष राज्य के लिए हैं।

क्या १०० रुपये का ऋण इन पूंजी विनियोगों के आधार पर बांटा जाएगा ? हमें यह भी नहीं बताया गया कि भविष्य में पूंजी विनियोग और मुख्य कार्यों की गणना किन दरों के आधार पर की जाएगी। हमें ज्ञात नहीं कि पूंजी विनियोग की रचना को किस तिथि से विचाराधीन किया जायगा। हमें यह निरन्तर संदेह है कि यह सिद्धांत नए आंध्र राज्य के हित में होगा अथवा अवशेष राज्य के हित में। इस लिए स्पष्ट जानकारी के बिना आस्तियों और दायित्वों का जनसंख्या के आधार पर विभाजन करना न्यायोचित सिद्धांत है।

एक संयुक्त परिवार का ही उदाहरण लीजिये। यदि परिवार की संपत्ति को दो भागों में बांटना हो तो परिवार के सदस्यों की गणना करके ही हम अधिकतम न्याय के साथ संपत्तियों का विभाजन कर सकते हैं। इस लिए मेरा सुझाव है कि जन संख्या के आधार पर आस्तियों और दायित्वों का विभाजन हो तथा इसी आधार पर मुख्य कार्यों, संपत्तियों तथा अप्रयुक्त भंडारों का मूल्यांकन किया जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि यह विषय एक विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया जाए।

इस संबंध में मैं इस तथ्य की ओर निर्देश करना चाहता हूं कि मद्रास-विधान सभा के सब दलों ने एकमत होकर एक संकल्प पारित किया है। उस संकल्प में जन संख्या के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है।

सब दलों न यह संकल्प पारित करके अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है। उसी विधान सभा में श्री टी० विश्वनाथन द्वारा प्रस्तुत किया प्रस्ताव पारित किया गया है। उस के अनुसार यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तटस्थ विशेषज्ञ समिति सिफारिश करे। इस सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार आस्तियों और दायित्वों का विभाजन किया जाए।

यदि ये दोनों सिद्धांत स्वीकार कर लिए जायं तो संबंधित दलों के साथ पूर्ण न्याय हो सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन नं० ७२ स्वीकार किया जाए।

श्री वेंकटारमन : श्रीमान् मुझे दुःख होता है कि मद्रास के संयुक्त राज्य पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता के नाते आप जानते हैं कि एक विभाजन के मामले किसी वस्तु को लेकर यह कहा जा सकता है कि इस का विभाजन ठीक नहीं हुआ। ऐसे उदाहरण निकाले जा सकते हैं। संपत्ति का एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो सकता है जिस के लिए दूसरे दल को प्रतिकर दिया जाता है। इस लिए मैं उदाहरणों को खोजने तथा आरोप लगाने की गलती को नहीं दोहराना चाहता।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिस आयोग की मांग की है उस के लिए पद निर्देशक की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय विधि की परिभाषा बताता है, विधि की रचना संसद् द्वारा की जाती है। न्यायाधीश तो केवल विधि को प्रयोग में लाता है। इस मामले में आयोग के समक्ष कोई विधि नहीं है जिसकी परिभाषा उसे करनी है अथवा उसे प्रयोग में लाना है।

यदि सिद्धांत और विधि की रचना हम ने करनी है तो वह हम सातवी अनुसूची

[श्री वेंकटारमन]

में कर रहे हैं । इस प्रकार हम राष्ट्रपति से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आस्तियों और दायित्वों का विभाजन करते समय इन सिद्धांतों को लागू करें । यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो खंड ४७ (२) के अधीन राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा । जैसा मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि आयोग पर किसी विधि का बंधन न हो तो इससे मुझे भय है कि निरन्तर झगड़े होते रहेंगे । कभी सिद्धांतों के औचित्य पर विवाद होगा तो कभी उन के प्रवर्तन पर ।

यह धारणा, कि एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राज्यों का विभाजन कर सकता है, मिथ्या है । न्यायाधीश विधि का प्रवर्तन करता है परन्तु यहां हम पूर्व शर्त अर्थात् विधि के विद्यमान होने की बात ही भूल रहे हैं ।

राज्यों के बीच आस्तियों और दायित्वों का यह पहला विभाजन है जो कि भारा सरकार कर रही हैं । हमें इसके लिए अच्छे सिद्धांतों की रचना करनी चाहिए । अच्छा होता यदि मद्रास और आंध्र से असंबंधित व्यक्ति इस पर चर्चा करते । भविष्य में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन होना है । इस समय निर्धारित सिद्धांत पूर्व उदाहरण बन जायेंगे । क्या प्रत्येक मामले में शताब्दियों पुराने दायित्वों और आस्तियों के पूर्ण इतिहास का निरीक्षण किया जाएगा ?

अभागे मद्रास का केरला के साथ विभाजन होना है । कर्नाटक के साथ भी विभाजन होना है और दक्षिण कनारा के साथ भी । क्या प्रत्येक अवसर पर आस्तियों और दायित्वों के पूर्व इतिहास का निरीक्षण और विभाजन होगा । यह कैसे न्यायोचित है ? क्या हम विरोधी विचार धाराओं के लोगों के बीच बिना सिद्धांत के, बिना उदाहरण के और बिना निश्चित तिथि के निर्धारण के विभाजन करना चाहते हैं ? क्या ऐसी परिस्थितियों के अधीन आयोग की मांग न्याय संगत है ?

मैं अपने मित्र डा० लंका सुन्दरम् की बात का उत्तर देना चाहता हूं । अधिवक्ता होते हुए मेरा अनुभव है कि जब अधिवक्ता न्यायाधीशों के उद्धरण सुनाते थे तो मैं प्रभावित हो जाता था । डा० सुन्दरम् ने ऐसे बहुत से उद्धरण सुनाए हैं । मैं उन्हें वांचू प्रतिवेदन के पृष्ठ ३१ की ओर निर्देश करता हूं ।

जस्टिस वांचू कहते हैं कि विद्युत योजनाओं से समान ही यह युक्ति है । १९२० से मुख्य विद्युत योजनाएं अवशेष राज्य में बनाई गई हैं ।"

मेरे माननीय मित्र श्री लंका सुन्दरम् ने पहला वाक्य नहीं पढ़ा परन्तु केवल दूसरा वाक्य पढ़ा है । कंडिका ८५ का पहला वाक्य इस प्रकार है :

"मेरा यह विचार है कि सभायोजन का यह ढंग सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । इस वाक्य को मेरे मित्र ने छोड़ दिया था ।

मेरे माननीय मित्र इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि उन के पास तथ्य नहीं हैं । ये तथ्य एक राज्य से संबंध रखते हैं । आय-व्ययक में तीन वर्ष के लेख होते हैं, अर्थात् एक वर्ष जो समाप्त हुआ है, वर्ष के पुनर्निरीक्षित अनुमान तथा अगले वर्ष का आय-व्ययक । भारत के महा लेखा-परीक्षक इन का लेखा परीक्षण करते हैं । कहा जाता है कि लेखों के आंकड़ों में गड़बड़ की गई है यदि ऐसा होता तो अपराधियों को बहुत पहले बन्दी कर लिया गया होता ।

यदि भारत के लेखा परीक्षक ने लेखों का परीक्षण किया है और वे लेखे माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं तो वे इस से अधिक

क्या जानकारी चाहते हैं ? उन से क्या छपाया गया है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा आरोप सर्वथा मिथ्या है ।

हम से यह पूछा जाता है कि "आप आयोग से क्यों भयभीत होते हैं ।" इस का उत्तर यह है । सभापति महोदय अधिवक्ता होने के नाते यह समझ सकते हैं कि जब कार्य का कारण न हो तो मामला रद कर दिया जाता है । धर समिति ने आंध्र प्रदेश का ६ करोड़ का घाटा बताया है और वांचू प्रतिवेदन में ५ करोड़ का घाटा कहा गया है । तब तो आंध्र के क्षेत्र का धन अवशेष राज्य को चले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नाना दास ने अपने संशोधन में यह बात ठीक कही है कि यद्यपि भू-राजस्व में ५ प्रतिशत का अंश दान किया है फिर भी वर्तमान दायित्वों का विभाजन जन संख्या के आधार पर अर्थात् ३६ प्रतिशत पर किया जाना चाहिये । यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसका अर्थ तो यह है कि भू-राजस्व में कुछ भी अंश दान किया हो परन्तु लाभ उसे होगा जिस की जन संख्या अधिक होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आस्तियों और दायित्वों का विभाजन है और यह भू-राजस्व में दिए गए अंश-दान और राज्य के भाग के व्यय के आधार पर होना चाहिये ।

यदि हम विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और शांति के साथ निर्णय करना चाहते हैं तो हमें इस संशोधन को अस्वीकृत करना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे से पूर्व बोलने वाले की बहुमूल्य बातों पर बल देने के लिये मैं बीच में बोलना चाहता हूं । दायित्वों और आस्तियों को बांटने के लिये अपनाए गये तत्वों के संबंध में मुझे अच्छे विवाद की आशा थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो शब्द partisan 'पक्षपात पूर्ण' प्रयुक्त किया, वह ठीक नहीं था, और मुझे आशा है कि जब वे आन्ध्र राज्य की आवश्यकताओं पर सहानुभूति पूर्ण विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो वे इसे याद रखेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : आप धमकी दे रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : : मैं नहीं समझता कि एक तो लानत दे और दूसरा व्यक्ति चापलूसी करे । मैं यह भी समझता हूं कि इन संशोधनों के पक्ष में बोलने वालों को योग्य परामर्श नहीं मिला है । जहां तक हमारा संबंध है, योजना दायित्वों और आस्तियों का निर्देश करके बनाई गई है और यह योजना मद्रास सरकार को बिना निर्देशित किये बनाई गई है । हम ने इस योजना को बनाया, और तथ्यों और आंकड़ों का निर्देश नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर हम नियम बना सकते हैं ।

इन कुछ धाराओं की योजना बहुत सरल है । अनुसूची में दायित्वों और आस्तियों की जितनी ठीक बटौती का ब्यौरा संभवत होता है, हम उतना देते हैं । तब हम ऐसा उपबन्ध रखते हैं कि यदि कोई झगड़ा हो तो उसका निर्देश राष्ट्रपति से किया जाय, जिनका निर्णय अन्तिम होगा । यह झगड़ा भी खंड ५१ के उपबन्धों की दृष्टि से केवल मामले के तथ्यों संबंधी होगा । अर्थात् झगड़ा हिसाब के बारे में हो सकता है कि लेखा क्या है और उनका निर्वचन कैसे हो सकता है । साधारणतया ऐसी आशा की जाती है कि झगड़ा न हो, क्योंकि ये सब तथ्य लोक तथ्य हैं जो लेखा में दर्ज किये गये हैं और यदि कोई सन्देह हो, तो इस मामले के निपुण अधिकारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक

[श्री सी० डी० देशमुख]

का परामर्श लेना हमारे लिये संभव है । यह न्यायाधीशों द्वारा किया जाने वाला फैसला नहीं है । और यदि जज भी नियुक्त किया जाय तो भी मामला नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा लेनी पड़ेगी । यह मामले के तथ्य हैं ।

अब इनके हलों को लीजिये । यदि अज्ञात परिस्थितियों के कारण सप्तम अनुसूची के अनुसार बांट हो चुकी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्याय हो गया है, तो खंड ५१ के अनुसार राष्ट्रपति न्याय के नियमों के अनुसार दायित्वों और आस्तियों की बांट में अन्तर कर सकते हैं । यह हल दिया गया है, जो तीनों तत्संबंधी राज्यों को प्राप्य है । किसी अविचार्य अन्याय को सुधारने के लिये यह मुकम्मिल हल है । इस के पश्चात् हम अपनाये जाने वाले सिद्धांतों को लेते हैं । इन सिद्धांतों का निर्णय कार्यपालिका, या न्यायपालिका अथवा वित्त आयोग के सुपुर्द नहीं किया जा सकता । ये ठीक हैं या गलत, इनको जानने के लिये संसद् ब्यौरेवार इन पर विचार करेगी । धर आयोग, और विभाजन आयोग आदि की सिपारिशों का निर्देश किया गया है । उन आयोगों ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार प्रकट कर दिये थे, अर्थात् कुछ दायित्व, नगद प्रतिभूतियां और दूसरी वस्तुएं विभाजन करने वाली होंगी । उनकी परिस्थितियों के अनुसार उन आयोगों ने सिपारिशें कीं । परन्तु अब अवस्था बहुत बदल चुकी है, अतः हमें इस समस्या पर नये ढंग से विचार करना है । पक्षपात विहीन दृष्टि से देखने पर हमें मालूम होता है कि सप्तम अनुसूचि में दिये गये सिद्धांत ठीक सिद्धांत ही हैं । पिछली बातें देखने से कोई लाभ नहीं होगा । कई सदस्यों ने इन प्रक्रियाओं की कठिनाइयों का वर्णन किया, और १८५७ का वर्णन दिया, तथा विरोधी दल से यह आवाज़ आई कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु मुझे इस पर भरोसा नहीं है । मानो एक राज्य को दूसरे राज्य को भारी रकम देनी है, तो उस के पास उसको देने के लिये कोई रक़म नहीं है । तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वित्त-आयोग के पंचाट के अनुसार दूसरे राज्य को देने के लिये केन्द्र से रुपया मांगा जायगा ।

डा० राना राव : क्या इसी लिये आप इसे रोकना चाहते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह देख कर प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य इसे रोकने की इच्छा करते हैं ।

डा० राना राव : मैं कहता हूं कि केन्द्र इसे रोकना चाहता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : : मैं निश्चय ही जनता के हित के लिये इसे रोकना चाहता हूं । मैं इसमें कोई औचित्य नहीं देखता कि दो राज्यों के झगड़े के लिये केन्द्र उसकी पूर्ति करे । यदि पक्षपात की आवश्यकता है, तो दोनों राज्यों के ऊपर इसका भार पड़ना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि आप लड़ना प्रारम्भ करते हैं तो आप को इसका पश्चाताप करने के लिये भी तैयार रहना चाहिए । तो भी वित्त आयोग के इस पंचाट को चलाने के लिये साधन वर्तमान नहीं है । मैं गड़े हुए मुर्दों को उखाड़कर वर्तमान लोगों के सर पर लादना नहीं चाहता । और मैं नहीं जानता कि बात किस ओर झुक रही है ।

डा० लंका सुन्दरम् : तो आप वर्तमान राज्य क्यों कहते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा मतलब यह है कि यदि रुपया देना भी है तो भावी आन्ध्र राज्य या तामिलनाड को देना चाहिये ।

पूर्व की गई गलतियों का प्रोत्साहन इस सदन को नहीं देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका यह आशय है कि पुराने लेखों को वित्त आयोग देखे अथवा केवल वर्तमान दायित्वों को ही बांट दे ?

श्री सी० डी० देशमुख : लेखे को देखे बिना दायित्वों और आस्तियों को अलग अलग नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आशय वर्तमान संपत्ति से है ।

श्री सी० डी० देशमुख सन्देह करने वाले ने यही कहा कि राज्य के एक भाग के राजस्व को दूसरे राज्य के प्रयोग में लाया गया है अथवा उसका दुरुपयोग किया गया है । वित्त आयोग के सामने जब यह बात आएगी, तो वे यही कहेंगे कि पहले किये गये अन्याय का इलाज किया जाय और भविष्य में किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वह सब कुछ भूलकर वर्तमान दायित्वों का विभाजन किया जाय, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : वर्तमान दायित्व है । मान लीजिये भूमि ५०–५० है, और यदि कहें कि भूमि को ३६ और ६४ के अनुपात में बांट दो तो . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुआवज़ा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुआवज़े का अर्थ है नगद रुपया । तो रुपया किस के पास होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के दिये जाने वाले आयकर के भाग में से यह धनराशि मुजरा कर ली जाय । इस के अनेक तरीके बनाये जा सकते हैं ।

१ म० प०

श्री सी० डी० देशमुख : एक राज्य की धनराशि रोक कर तथा दूसरे राज्य को दे कर, केन्द्र द्वारा उस का भुगतान किया जा चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं कहता हूं कि इस आधार पर कभी कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है । जब किसी राज्य का विभाजन किया जाता है तो हिसाब किताब इस ढ़ंग से नहीं किया जाता है जैसे कि सम्मिलित परिवार में किया जाता है । सम्मिलित परिवार में तो सारे पुराने हिसाब देखे जाते हैं और तब हानि, लाभ तथा हर्जानों का बटवारा किया जाता है ।

हम ने विभाजन के जिन सिद्धान्तों को अपनाया है वे व्यवहारिक सुविधाओं के आधार पर आधारित हैं इन के अतिरिक्त किसी प्रकार के और सिद्धान्तों के लिये गुजांयश रहने देना बड़ा खतरनाक होगा। हम, उन सब दावों पर ध्यान दे कर जो रक्खे गये हैं समाचार पत्रों में तथा राज्य की विधान सभा में जो भी अभ्यावेदन उपस्थित किये गये हैं उन सब पर विचार करने के पश्चात् इन सिद्धान्तों पर पहुंचे हैं । पक्षपात के अपराध का खण्डन करने के पश्चात् हमने इस मामले में पूरी तरह से वाह्यार्थ सम्बन्धी रवैया अपनाया है तथा हमने यथा सम्भव निश्पक्ष विचार बनाने का प्रयत्न किया है । तथ्य यह है कि किसी योजना की वास्तविक लागत वही धन हैं जो राज्य को उस पर समय समय पर व्यय करना पड़ता है। सिंचाई सम्बन्धी निर्माण का बाजार मूल्य निकालने का ढ़ंग मुझे आज तक नहीं मालूम है जैसे कावेरी नदी के मुहाने के सिंचाई निर्माण कार्य, यह शायद 'चोला' राजाओं द्वारा बनाये गये थे, इसी प्रकार 'गोदावरी' तथा

[श्री सी० डी० देशमुख]

'कृष्णा' के मुहानें के सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। ऐसी चीजों का बाजार मूल्य नहीं होता है।

श्री गोपाल राव: वाचूं प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी सिफारिश किसी ने भी की हो वह ग़लत है। आस्तियों के साथ ही दायित्व भी रहेंगे, इस से अच्छा कोई सिद्धान्त नहीं है यहां तक कि व्यवसायों में भी यही सिद्धान्त प्रयोग में लाया जाता है। झगड़ा केवल इतना ही है कि आस्तियों का जो मूल्य अंकित है हम उसी को मान लें या उन का बाजार मूल्य पता लगावें। जैसा मैं कह चूका हूं इस प्रकार के विभाजनों में मूल्य का केवल वही आधार हो सकता है जो रजिस्ट्रों में दर्ज हैं क्योंकि बाजार मूल्य पता लगाने का कोई साधन नहीं है। उदाहरण के लिये तक़ावी के रूप में दिये जाने वाले ऋणों का बाजार मूल्य क्या है ? मैं नहीं जानता हूं। परन्तु यह भी आस्तियां हैं।

दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि माननीय सदस्यों को अंधकार में रक्खा गया है उन को आंकड़े नहीं दिये गये हैं। यह बात याद रखने की है कि हम ऐसी आस्तियों तथा दयित्वों का बटवारा कर रहे हैं जिन का हिसाब ३० सितम्बर १९५३ को पूरा होगा, एक ऐसी तिथि जो कि अभी आई भी नहीं है और न उस समय तक का हिसाब किताब ही तय्यार है।

श्री नाना दास: पर जहां तक पूंजी अपव्यय का प्रश्न है ऐसा हो सकता है, मेरा ऐसा विचार है।

श्री सी० डी० देशमुख: ३० सितम्बर १९५३ तक का व्यय आज संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। पहले इस का हिसाब बनाया जायगा। हिसाब किताब तय्यार करने में कुछ समायोजन भी करना पड़ता है।

श्री लक्ष्मय्या : पुराने हिसाब के सम्बन्ध में आप का क्या कहना है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं तो सारे हिसाब किताब की बात कह रहा था पूराने हिसाब की नहीं। क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी आंकड़े के सम्बन्ध में ९५ करोड़ रूपया बताया गया, दूसरे दिन अनियमित बैठक में जो आंकड़े बताये गये उस में यह धनराशि ११७ करोड़ रुपया बताई गई। मुझे नहीं पता यह आंकड़े कहां से आये हैं। ३० सितम्बर १९५३ तक का आखरी हिसाब तो शायद १९५४ में तय्यार होगा। उदाहरण के लिये तक़ावी के रुप में दिये जाने वाले ऋण जो मार्च १९५२ के पश्चात् रायलसीमा में बांटे गये लगभग तीन चार लाख रुपये होंगे। लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लगान में छट दी गई हैं। यदि यह रकम उन आंकड़ों में जोड़ी जाय जो माननीय सदस्य ने अपने तर्क की पुष्टि में दिये थे तो वे पायेंगे कि बिल्कुल दूसरा ही परिणाम निकलेगा। उन को मिलने वाली आस्तियां ३३ प्रतिशत के स्थान पर ४० प्रतिशत निकलेंगी। जिन राज्यों में यह आस्तियां हैं उन्हीं में इन को रहने देने का बड़ा ही सरल कारण है। जो धन जनता से या स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त करके किसी को देना है उस में हम इतनी सख्ती नहीं कर सकते इसीलिये उन आस्तियों को उन्हीं स्थानों में रहने दिया गया है। इस से यह भी पता चलता है कि भिन्न प्रकार की आस्तियों के विभाजन में विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का प्रयोग क्यों आवश्यक है।

अस्तु मेरा विश्वास है तथा सरकार का भी यही मत है कि तथ्यों तथा सिद्धान्तों दोनों ही की दृष्टि से आयोग सर्वथा अनावश्यक है । उसका केवल एक ही प्रभाव होगा जिसे हम नहीं होने देना चाहते हैं । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि वाद-विवाद में इतनी कटुता थी फिर भी सदन में एक प्रकार से हास-परिहास का वातावरण क़ायम रहा और मैं चाहता हूं कि यह एक दूसरे को समझने की भावना हर दशा में बनी रहे, जिस से यह दोनों राज्य अपनी सारी शक्ति अपना निर्माण करने में, अपनी योजनाएं बनाने में, योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी आवश्यकताएं रखने में, व्यय करें । यदि हम आयोग नियुक्त करके ऐसा वादविवाद आरम्भ कर देंगे जो आगामी कई वर्षों तक समाप्त न होगा तो यह वातावरण खतम हो जायगा । यह विचार कि इस आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप किसी राज्य को कोई नगद धनराशि मिल जायगी सर्वथा भ्रान्तिमूलक हैं क्योंकि राजकोष के धन के अतिरिक्त और कोई नगद धनराशि है ही नहीं और राजकोष के धन का विभाग सातवीं अनुसूची के एक खण्ड के अनुसार हो रहा है । इस में कोई सन्देह नहीं कि अविकसित क्षेत्रों के परिमाप द्वारा इन के विकास में सहायता करने को केन्द्रीय सरकार हमेशा तय्यार रहेगी और यह बात केवल आन्ध्र ही नहीं वरन देश के किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है । परन्तु केन्द्र यह नहीं कर सकता है कि किसी राज्य को नगद धनराशि ऋण के रूप में इसलिये दे दे कि वह पुराने अन्याय के दूर करने के लिये किसी अन्य राज्य को वही धन दान के रूप में अदा करें ।

श्री बो० एस० मूर्ती : क्या भावी आन्ध्र राज्य ३० सितम्बर १९५३ तक के हिसाब किताब के सम्बन्ध में पूछ ताछ कर सकेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां निस्सन्देह । उन को सभी हिसाब किताब दिये जायंगे । वास्तव में सातवीं अनुसूची के अनुसार विभाजन कार्यान्वित हो ही नहीं सकता जब तक कि दोनों राज्यों के महा लेखापाल या अन्य नाम निर्देशित अधिकारी एक साथ बैठकर हिसाब किताब को न देखें ।।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह-कार्य मंत्री ।

श्री राघवय्या : क्या संशोधन के प्रस्तावकों को अपने विचार प्रकट करने का कोई अवसर मिलने की कोई संभावना नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता था कि संशोधन के प्रस्तावकों को ऐसा अवसर प्राप्त हो चुका है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : केवल तीन चार संशोधन हैं और अधिकतर सदस्यों को अवसर मिल चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सारे संशोधन समझ लिये हैं । प्रश्न केवल एक ही है वह यह कि एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति हो या सातवीं अनुसूची में जैसा विभाजन किया गया है उसी के अनुसार विभाजन कर दिया जाय । यदि आयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सातवीं अनुसूची पर विचार करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी और यदि अस्वीकार हुआ तब हम सातवीं अनुसूची के व्यौरे में जायेंगे । इस स्थिति में हमें मत विभाजन करा लेना चाहिये । आरंभ में हम ने सात दिन का समय रक्खा था और समझा जाता था कि इसी समय में इस विधेयक के सारे वाचन समाप्त हो जायेंगे । इस बीच में केवल दो अर्ध दिवस हुए हैं—डेढ़ डेढ़ घन्टे के—अर्थात तीन घन्टे । फिर भी

[उपाध्यक्ष महोदय]

इस विधेयक का अन्त नहीं दिखाई देता है । इस के अतिरिक्त सम्पदा शुल्क विधेयक तथा अन्य वहुत से छोटे छोटे विधेयक हैं । इस समय तो मैं इस विषय पर सदन का मत विभाजन कराना चाहता हूं इसी पर सातवीं अनुसूची तथा अन्य खण्ड निर्भर करेंगे ।

श्री राघवय्या : बिना वार्ता के आप इन पर मत विभाजन कैसे करा सकते हैं ?

श्री गोपल राव : जब यह संशोधन रखे गये थे तो अध्यक्ष-पद से कहा गया था कि सातवीं अनुसूची तथा खण्ड ४७ पर एक साथ विचार किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं । यदि खंड ४७ का संशोधन हो जाता है तो सातवीं अनुसूची का कोई स्थान ही नहीं रहता । अस्तु मैं पहले खंड ४७ के संशोधन से निपट लूं । सातवीं अनुसूची पर हम कल विचार करेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यह अच्छा होगा यदि हम कल वार्ता को जारी रक्खें या कम से कम मत विभाजन ही कल करें । कुछ समय माननीय मंत्री के लिये आवश्यक होगा तथा कुछ कुछ समय मत विभाजन में लगेगा । यह सब कार्य आज नहीं हो सकता । इसलिये हम अब स्थगित कर दें और कल फिर मिलें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, इस विवादास्पद बात में हम ऐसे स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां यह तय करना है कि यह मामला वित्तिय आयोग के पास जाय या नहीं । यदि यह तय हो जाय तो हम अपना समय सातवीं अनुसूची में लगा सकते हैं । यह विधेयक आज समाप्त नहीं हो सकता । हम को कल भी इसी में लगाना पड़ेगा, परन्तु कम से कम कल तो इस विधेयक को समाप्त करने की कोई संभावना है ?

माननीय सदस्यगण : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः खण्ड ४७ पर अभी मत विभाजन कराने के बजाय मैं इस पर मत विभाजन १०-१५ पर कराऊंगा । ८-१५ से ९-१५ तक प्रश्नों का समय है । ९-१५ से १०-१५ तक एक घन्टे के समय में यदि कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहता है और उन्हों ने अभी तक अवसर नहीं पाया है तो वह अपनी बात कह सकते हैं । उस के पश्चात् यदि मत विभाजन की आवश्यकता हुई तो खंड ४७ पर १०-१५ पर मत विभाजन हो जायगा । १०-१५ से १२ बजे तक हम शेष खंड समाप्त कर देंगे तथा १२ बजे से १-१५ तक हम तृतीय वाचन समाप्त कर देंगे । इस प्रकार सारा कार्य १-१५ पर समाप्त हो जायगा । अब सदन कल ८-१५ तक के लिये स्थगित होता है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २६ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।